भारत-रूस

संयुक्त अध्ययन दल

की रिपोर्ट

मास्को-नई दिल्ली

2007

विषय-सूची

अध्याय 1 भूमिका
व्यापार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय और रूसी अर्थव्यवस्थाओं का रुझान
रूसी सुधार और भारतीय सुधार
भारत तथा आरटीए (क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था)
रूस और आरटीए
परिशिष्ट 1.1
परिशिष्ट 1.2

अध्याय 2 भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार
भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार की प्रकृति की बुनियादी रूपरेखा
वर्ष 1991 के उपरांत भारत-रूस व्यापार का मूल्यांकन
1990 के दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन के रूप में ऋण को चुकाने का सीमित प्रभाव
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) घटक
द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु संस्थागत तंत्र
भारत में रूस और रूसी कंपनियों की छवि तथा रूस में भारतीय कंपिनयों की छवि
उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा

अध्याय 3 वस्तु व्यापार
भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार की प्रकृति और संघटन का विश्लेषण
रूस को किए जाने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात
भारत को किए जाने वाले प्रमुख रूसी निर्यात
वस्तु व्यापार में संवर्धन की संभावना
वस्तु व्यापार में संभावित वृद्धि का समग्र आकलन : मॉडल विश्लेषण के परिणाम
व्यापार में वृद्धि हेतु संभावित क्षेत्र
भारत से रूस को निर्यात में वृद्धि हेतु संभावित क्षेत्र
औषाधीय उत्पाद
कृषि उत्पाद तथा संसाधित खाद्य पदार्थ
मसाले
तम्बाकू
सिले-सिलाए वस्त्र
चमड़ा
रूस से भारत को निर्यात में वृद्धि हेतु संभावित क्षेत्र
कृषि उत्पाद तथा संसाधित खाद्य पदार्थ

मशीनरी
वायुयान
रसायन उद्योग तथा उर्वरक
आयुर्विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी
धातुकर्म
खनन
रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में सहयोग
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग
व्यापार संबंधी बाधाएं तथा इन बाधाओं को दूर करने के उपाय
परिवहन तथा संभारतंत्र
भाषा तथा सूचना संबंधी बाधाएं
व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) - प्रमाणन, मानक एवं विनियम
प्रशुल्क संबंधी बाधाएं
व्यापार को सुकर बनाना तथा सीमाशुल्क सहयोग
प्रतिपाटन तथा सुरक्षा उपाय
निष्कर्ष तथा भावी योजना
भारत और रूस के बीच वस्तु व्यापार में वृद्धि करने हेतु सिफारिशें
सामान्य उपाय
क्षेत्र विशिष्ट उपाय
परिशिष्ट 3.1
प्रतिरूपण प्राक्कलन तथा पूर्वानुमान क्रियाविधियों का विवरण
(क) ग्रैविटी प्रतिरूपों के अनुप्रयोग द्वारा सहायता किए गए अनुसार भारत और रूस के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों हेतु संभावना का मूल्यांकन
(ग) अभिज्ञात प्रतिस्पर्धी लाभों के मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष
रूस में भारत से आयात
परिशिष्ट 3.2
परिशिष्ट 3.3
परिशिष्ट 3.4
परिशिष्ट 3.5
परिशिष्ट 3.6
परिशिष्ट 3.7

अध्याय 4 सेवा व्यापार
भूमिका
भारत और रूस : द्विपक्षीय सेवा व्यापार
सेवा व्यापार की संरचना

विशिष्ट क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने हेतु सिफारिशें
सूचना प्रोद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवाएं
परिवहन सेवाएं
दूरसंचार सेवाएं
वित्तीय सेवाएं
वितरण सेवाएं
अनुसंधान तथा विकास सेवाएं
पर्यटन सेवाएं
स्वास्थ्य सेवाएं
शिक्षा सेवाएं
श्रव्य-दृश्य तथा मनोरंजन सेवाएं
ऊर्जा सेवाएं
फैशन प्रौद्योगिकी
द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हेतु भावी योजना तथा सेवा व्यापार में वृद्धि करने
हेतु निर्धारित सिद्धांत
परिशिष्ट 4.1
सेवा के क्षेत्र में विश्व व्यापार में भारत और रूस की भागीदारी
परिशिष्ट 4.2
सेवा व्यापार (निर्यात) के महत्त्वपूर्ण संघटक : भारत
कुल सेवाएं
परिशिष्ट 4.3
सेवा व्यापार (निर्यात) के महत्त्वपूर्ण संघटक : रूस
विवरण
परिशिष्ट 4.4
विभिन्न सेवा क्षेत्रों में भारत और रूस को होने वाले ज्ञात तुलनात्मक लाभ

अध्याय 5 निवेश सहयोग
भूमिका
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
रूस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
रूस में विदेशी निवेश को शासित करने वाले कानून
भारत में विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड)
भारत में विशेष आर्थिक जोनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)
भारत में विशेष आर्थिक जोनों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोत्साहन तथा सुविधाएं
रूस में विशेष आर्थिक जोन
विदेश में भारतीय निवेश

विदेश में रूसी व्यवसाय
भारत और रूस के बीच निवेश सहयोग
निवेश हेतु संभावित क्षेत्र
रूस में निवेश
भारत में निवेश
दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग में वृद्धि करने हेतु संस्थागत एवं कानूनी उपाय

अध्याय 6 अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग
अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग
धातुकर्म और खनन
गुणवत्ता निरीक्षण तथा प्रमाणन संगठनों के मध्य सहयोग
सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग

अध्याय 7 निष्कर्ष
व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सिफारिशें

.....

अध्याय 1 भूमिका

1.1 भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में पर्याप्त संबंध बना हुआ है। इन दोनों देशों के बीच दिसंबर 1991 में रूसी परिसंघ की एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना से और इससे भी काफी पहले से मैत्री संबंध बना हुआ है। तथापि, इन दोनों देशों के बीच व्यापार में वर्ष 1992 और 2006 के बीच पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है।

1.2 इस पृष्ठभूमि पर, रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास तथा व्यापार मंत्रालय तथा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बीच भारत के माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ तथा रूसी परिसंघ के माननीय आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री श्री जी ओ ग्रेफ के बीच सहयोग हेतु एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष 2010 तक 10 बिलियन अमेरिकी डालर तक की वृद्धि करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने तथा दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) की संभावना की तलाश करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) गठित किया गया।

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और रूस

1.3 विगत हाल में भारत और रूसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलापों का सूचक है। दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है जिससे इन दोनों देशों के बीच वाणिज्य की पर्याप्त संभावना सूचित होती है।

1.4 सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के संदर्भ में भारत वर्तमान में विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। एटी केअर्नी एफडीआई कनफिडेंस सूचकांक-2005 के अंतर्गत भारत को सर्वाधिक अनुकूल लोकतांत्रिक देश का दर्जा दिया गया है। बीआरआईसी (ब्रिक) देशों की अर्थव्यवस्था में जी-6 देशों की तुलना में उच्च दर से विकास की संभावना है तथा भारत के ब्रिक देशों के बीच सर्वाधिक उच्च विकास दर प्राप्त करने की संभावना है तथा गत तीन वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्षानुवर्ष लगभग 8% से अधिक रही है। भारत एक गतिमान पूंजी बाजार का देश है और हमारे देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या द्वारा किए जाने वाले निवेश में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1.5 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 200 बिलियन अमेरिकी डालर से भी अधिक है और हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर 4% से मामूली अधिक है। भारत में औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 2006 में 12.3% की वृद्धि हुई जो इस दशक के दौरान सर्वाधिक तीव्र वृद्धि दर थी। विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख रूप से वृद्धि के साथ ही खनन और विद्युत सहित लगभग सभी क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि दिखाई पड़ी है। भारत के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से देश में आय और बचत की मदों में निरंतर सुधार होने की जानकारी प्राप्त होती है (अनुबंध 1.1)।

1.6 सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रूसी परिसंघ का स्थान विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम से पीछे है (2005)। सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डालर (पीपीपी) है तथा यहां की कुल जनसंख्या 143 मिलियन है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर पर्याप्त है तथा स्थिर स्तर पर बनी हुई है।

1.7 वर्ष 1998 में वित्तीय अस्थिरता के पश्चात रूसी अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से विकास प्रदर्शित हुआ है। वर्ष 2003 के पश्चात तेल, प्राकृतिक गैस और रूसी परिसंघ से निर्यातयोग्य अनेक अन्य वस्तुओं के मूल्य में हुई पर्याप्त वृद्धि से और अतिरिक्त आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए नए सिर से बल प्राप्त हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के साथ सम्बद्ध सकारात्मक प्रवृत्तियों, निवेशक

प्रेरित सक्रियता, बजटीय अधिशेष, और निर्धनता दर में कमी आना वर्ष 2004-06 के बाद से ही निरंतर बना हुआ है। तेल के उच्च मूल्यों तथा रूसी सरकार द्वारा लागू की गई उत्तरदायी बृहत आर्थिक नीतियों के कारण विदेशी निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए रूस के आकर्षण में वृद्धि हुई है तथा रूसी उद्यमियों को निवेश तथा ऋण संसाधनों के संदर्भ में अधिक अभिगम्यता प्राप्त होने लगी है।

1.8 अतः 1998 के परवर्ती महीनों से शुरू होकर वर्ष 2006 तक की संपूर्ण अवधि के दौरान वास्तविक संदर्भों में रूस के सकल घरेलू उत्पाद में 62% की वृद्धि हुई है जबकि यहां के लोगों की वास्तविक आय में 54% की वृद्धि हुई है। आधुनिक इतिहास में आम जनता के कल्याण की बात सर्वोच्च स्तर पर पहुंची है तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तरों में देखे जाने वाला अंतराल भी सिमट रहा है।

1.9 उच्च तेल मूल्यों तथा विशाल पूंजीगत अंतर्वाह के बावजूद रूस की बृहत्त-आर्थिक नीति अत्यधिक कठोर होने के कारण मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2000 के 20.2% से घटकर वर्ष 2006 में 9% हो गई। उदाहरण के लिए, देश का बृहत्त आर्थिक स्थायित्व विदेशी मुद्रा भण्डार (एफईआर) में निरंतर वृद्धि जैसे घटकों द्वारा निर्धारित होता है, जो 01 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार 250.6 बिलियन अमेरिकी डालर था।

व्यापार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय और रूसी अर्थव्यवस्थाओं का रुझान

1.10 भारत का निर्यात वर्ष 2002-03 के 53 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2006 में लगभग 125 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जिससे गत चार वर्षों के दौरान संयोजित वार्षिक औसत वृद्धि दर (सीएएजीआर) 24% प्रदर्शित होती है। विश्व में वस्तु और सेवा व्यापार के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2003 के 0.9% से बढ़कर वर्ष 2006 में 1.5% हो गई है।

1.11 निर्यात में यह उल्लेखनीय वृद्धि विनिर्माण के क्षेत्र में रिकार्ड वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से की गई निरंतर मांग द्वारा प्रेरित हुई। अब वस्तु और सेवाओं का निर्यात जीडीपी का लगभग 20% है। भारत का प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्य इंजीनियरी, वस्त्र, रसायन और औषधि-निर्माण, ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में है जिससे हाल के वर्षों में निर्यात में प्रभावोत्पादक वृद्धि हुई है।

1.12 भारत में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है और ये सम्पुष्ट हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप इन उद्योगों द्वारा निर्यात के क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इन उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण (जिनमें पेप्सी फूड जैसी कंपनियों ने देश में अपना एक विशाल तंत्र स्थापित कर लिया है), वस्त्र (जिसमें हाल के विगत वर्षों में लगभग बिना किसी आरक्षण के बड़ी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है), ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे उद्योग शामिल हैं। वर्ष 2005-06 में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 54% था तथा भारत द्वारा सेवा निर्यात इस वर्ष में किए गए कुल निर्यात का 40% था।

1.13 भारत में किया गया आयात वर्ष 2002-03 के लगभग 61 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2005-06 में लगभग 149 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2006) तक 84 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का आयात किया गया था जो 32% वृद्धि (अनंतिम) को सूचित करता है। इसमें से तेल आयात का मूल्य 29 बिलियन अमेरिकी डालर था तथा तेल को छोड़कर, अन्य मदों के आयात का मूल्य 55 बिलियन

अमेरिकी डालर था। भारत मुख्य रूप से यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ व्यापार करता है।

1.14 भारत की विदेश व्यापार नीति (2004-09) का लक्ष्य क्रियाविधियों को सरल बनाना, सौदा निष्पादन की लागतों को कम करना, प्रौद्योगिकीय तथा अवसंरचनात्मक विकास को सुगम बनाना आदि है।

1.15 सुधार की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा उत्पादों के आयात पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि वृद्धिशील उत्पादन क्षमता तथा घरेलू खपत को समर्थन प्रदान किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मशीनरी का आयात भी किया गया है।

1.16 वर्ष 2001 और 2006 के बीच की अवधि के दौरान रूसी निर्यात और आयात में निरंतर वृद्धि हुई है। निर्यात मूल्य प्रति वर्ष 25% से भी अधिक की दर से बढ़ा है तथा वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान वृद्धि की दर तुलनात्मक रूप से अधिक रही है (जो क्रमशः 35.9% और 32.9% है)। आयात मूल्य में अधिक संतुलित वृद्धि हुई है और इसमें इस अवधि के दौरान अधिकतम 31.8% की वृद्धि दर्ज की गई है।

1.17 वर्ष 2005 में विश्व के वस्तु निर्यात में रूस की हिस्सेदारी 2.4% और आयात में 1.2% रही है। इस प्रकार वस्तु व्यापार के संदर्भ में रूस विश्व के अग्रणी निर्यातकों की सूची में नौवें स्थान पर तथा विश्व वस्तु व्यापार में प्रमुख आयातकों की सूची में 12वें स्थान पर है। इसी वर्ष वाणिज्यिक सेवाओं के विश्व निर्यात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 1% थी और आयात के संबंध में इसकी हिस्सेदारी लगभग 2% थी। तदनुसार वर्ष 2005 में वाणिज्यिक सेवाओं के विश्व व्यापार में निर्यातक के रूप में इसका बारहवां स्थान तथा आयातक के रूप में ग्यारहवां स्थान था (विश्व व्यापार 2006)।

1.18 रूस के प्रमुख व्यापारिक भागीदार सुविस्तृत यूरोपीय संघ के देश और अन्य यूरोपीय देश हैं (वर्ष 2006 में विदेश व्यापार का 60%)। वर्ष 2006 में एपीईसी के देश रूस के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हो गए जिनकी प्रतिशत भागीदारी 16.7% थी। सीआईएस देश जो एक लंबे समय से दूसरे स्थान पर रहे थे, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं (14.8%)। हाल ही में रूसी व्यापार में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 6% हो गई है।

1.19 वर्ष 2006 की स्थिति के अनुसार रूस द्वारा किए गए मुख्य निर्यात निम्नलिखित हैंः ईंधन और ऊर्जा उत्पाद (65%), धातु और उससे निर्मित उत्पाद (14%), रासायनिक उत्पाद (6%), इमारती लकड़ी और लुगदी तथा कागज उत्पाद (3.5%), मशीन और उपकरण (3.2%)।

1.20 रूस में हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र और साथ ही सेवा व्यापार में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में सेवा क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग 60% थी। वर्ष 2004 में रूस के सेवा निर्यात में 25% की वृद्धि हुई और इसका मूल्य 16 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 20 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं में 15% की वृद्धि हुई।

1.21 रूसी वित्तीय क्षेत्र जो अभी भी विकसित देशों द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार छोटा और कमजोर है, गत दो-तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 में रूसी पूंजी बाजार में 67.5% की वृद्धि हुई है जिससे पूंजी बाजार वृद्धि दर के संदर्भ में रूस विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश (चीन, इंडोनेशिया और वेनेजुएला के बाद) हो गया है। वाणिज्यिक बैंकों में जमा की

राशि में 32% की वृद्धि हुई है तथा रियल सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर द्वारा दिए गए ऋण की राशि बढ़कर जीडीपी के 12% पर पहुंच गई है। उपभोक्ता ऋण और बंधक के क्षेत्र में वर्ष 2005-06 के दौरान अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

1.22 वर्तमान में रूस में वृद्धि काफी हद तक निवेश आधारित है। न केवल घरेलू निवेश बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में भी वृद्धि दर्ज की गई है जो वर्ष 2002 के 3.46 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2006 में लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डालर पर पहुंच गया है। हाल के वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र की परिधि के बाहर आधुनिकीकरण और श्रमिकों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि के कारण आर्थिक विकास के क्षेत्र में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

1.23 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्व रुझानों के अनुसार निर्यात तथा आयात दोनों के संदर्भ में रूस की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है, किंतु यह ध्यान दिया जाए कि रूसी व्यापार संतुलन में सुधार मुख्य रूप से रूस द्वारा किए जा रहे निर्यात में शामिल मुख्य उत्पाद समूहों के उच्च विश्व स्तरीय मूल्यों के कारण हुआ है तथा इसमें अन्य कारकों की भूमिका अपेक्षाकृत कम है। रूस में सरकार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित कार्यनीति पर काम कर रही है जिसका उद्देश्य इस स्थिति में बदलाव लाना तथा गैर-वस्तु निर्यात के विकास को बढ़ावा देना है तथा एक और अधिक संतुलित विकास के लिए आधार तैयार करना है।

रूसी सुधार और भारतीय सुधार

1.24 भारत में वित्त तथा व्यापार के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होने के संबंध में इस देश के निर्णय (भारत जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना) से "परिबंधित" प्रशुल्क, विद्यमान प्रशुल्कों के आधुनिकीकरण तथा व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण हेतु कानून को स्थापित करने के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। आयात हेतु लाइसेंस व्यवस्था को प्रभावी रूप में समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन परिवर्तनों के फलस्वरूप आयात के क्षेत्र में उदारीकृत व्यवस्था सृजित हुई। अन्य स्तरों पर कुछ क्षेत्रों में (उदाहरण के लिए बिजली और वस्त्र उद्योग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बड़े पैमाने पर उद्यमीय पहल पर प्रतिबंध हटा लिया गया। द्वितीय पीढ़ी के सुधारात्मक उपायों को शुरू किया गया जिनमें विश्वसनीय नियामक तंत्र स्थापित करना, वित्तीय क्षेत्र को और अधिक उदार बनाना, निवेश व्यवस्था में, विशेषकर अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधार लाना शामिल है। विनिवेश का एक कार्यक्रम शुरू किया गया, हालांकि यह रूस में शुरू किए गए विनिवेश कार्यक्रम से भिन्न था क्योंकि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र निजी उद्यमों की व्यवस्था के भीतर कार्य करते हैं और इसका अर्थ यह है कि इसके लिए इक्विटी की बिक्री की जाए न कि उद्यम का पुनर्गठन। सार्वजनिक निगमों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) विशेषकर नवरत्नों (भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड) को अवसर तथा निवेश उपलब्ध कराने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अवसंरचना विकास हेतु सड़क नेटवर्क में विस्तार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास; प्रमुख बंदरगाहों का स्तरोन्नयन; विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण; जैसे उपाय किए

गए तथा विद्युत क्षेत्र में सुधार किए गए ताकि उद्योग क्षेत्र को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सके। दूरसंचार के क्षेत्र में एक क्रांति लाई गई है। समग्रतः अभिशासन में सुधार लाने तथा सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने पर बल दिया गया है।

1.25 वर्ष 1992 और 2000 के बीच अनेक वित्तीय और संस्थागत सुधार किए गए जिसके फलस्वरूप रूसी व्यवसाय पर्यावरण में आमूल परिवर्तन आया है। सुधार में मुख्य बल (क) रूसी अर्थव्यवस्था को नियंत्रणमुक्त करना तथा निजी उद्यम को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा प्रबंधक और उद्यमी के रूप में सरकार की भूमिका को कम करना, (ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने पर दिया गया। ये सुधार निम्नलिखित उपायों द्वारा लाए गएः रूसी परिसंघ में नियोजन संरचना का निर्धारण (1992); उद्यमों को अपना स्वयं का मूल्य निर्धारण स्तर स्थापित करने की अनुमति प्रदान करना (जनवरी 1992 में); केवल आंतरिक रूप में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देने के लिए रूबल को "प्रवर्तन" में लाना, कठोर मुद्रा के निर्यात को प्रतिबंधित करना, विदेश व्यापार पर एकाधिकार को राज्य द्वारा छोड़ देना तथा देश की सीमाशुल्क व्यवस्था में सुधार लाना। उद्यम पुनर्गठन से संबंधित कार्य निम्नलिखित के माध्यम से किया गयाः जनवरी-जून, 1992 में वितरण केंद्रों का बड़े और गहन पैमाने पर निजीकरण; दिसंबर 1992 के पश्चात वाउचर विधि द्वारा अपवादों की एक सूची में से उत्पादक इकाइयों का निजीकरण करना, 11 जून, 1992 को संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात वर्ष 1996 तक अधिकांश क्षेत्रों में निजीकरण पूरा कर लिया गया।

1.26 रूस में सुधारों का नया दौर वर्ष 2000 में शुरू हुआ। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सुधार जैसेकि कराधान सुधार तथा प्रशासनिक सुधार तथा साथ ही निजी उद्यमों द्वारा झेली जा रही प्रशासनिक बाधाओं में कमी लाने से अनेक क्षेत्रों में बाजार संस्थाओं में अत्यधिक तेजी से विकास को सहायता प्राप्त हुई है।

1.27 अधिकांश पूर्व-नियोजित अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप ही 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में सुधारों की शुरुआत किए जाने पर रूस को गंभीर बजटीय कमी और उच्च मुद्रा स्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ा। बृहत आर्थिक स्थायित्व की स्थिति 1998 में आए वित्तीय संकट के बाद ही प्राप्त की जा सकी है। तेल तथा गैस क्षेत्र से अधिक राजस्व प्राप्त करने की दृष्टि से एक स्थायी पहल निधि स्थापित की गई जिसकी राशि अब 90 बिलियन अमेरिकी डालर है। विदेशी कर्ज का पूर्व भुगतान एक अन्य उपाय था जिसके फलस्वरूप रूस बृहत आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखने में सफल हुआ। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपना ऋण चुका दिया। पैरिस क्लब से लिया गया ऋण अग्रिम में चुकाया गया (कुल ऋण की राशि 21.6 बिलियन अमेरिकी डालर थी, वर्ष 2005 में रूस ने 15 बिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान किया, तथा वर्ष 2006 में इसने शेष राशि का भुगतान कर दिया। लंदन क्लब से लिए गए ऋण को पुनर्गठित किया गया और इसका बांड के माध्यम से भुगतान किया गया है)। रूस में मुद्रा स्फीति की दर में 2001-2005 के दौरान गिरावट का रुख रहा और वर्ष 2006 में यह दर गिरकर 10% पर पहुंच गई। इससे पूर्व जनवरी, 2005 में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी और उसके पश्चात फिच एंड मूडीज एजेंसीज ने रूस को एक निवेश ग्रेड रेटिंग प्रदान किया। वर्तमान में ये रेटिंग BBB/Baa2/AAA- (एसएंडपी/मूडीज/फिच) के स्तर पर हैं।

भारत तथा आरटीए (क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था)

1.28 वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था विभिन्न स्तरों पर जिनमें वस्तु, सेवाएं, निवेश, विभिन्न देशों के बीच व्यावसायिकों की आवाजाही, पर्यावरण, सिविल समाज में चलाए जाने वाले आंदोलन, मानक आदि शामिल हैं, अत्यधिक समन्वित अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। भारत हमेशा से ही एक मुक्त, साम्य, अनुमानयोग्य, भेदभावरहित और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का पक्षधर रहा है। भारत की दृष्टि में क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) व्यापार उदारीकरण के समग्र उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में ''निर्माणकारी'' इकाई के समान हैं। आरटीए को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का अनुपूरक बनना चाहिए।

1.29 विगत में भारत ने क्षेत्रीयता के प्रति अत्यधिक सचेत और रक्षित दृष्टिकोण अपनाया और आरंभ में केवल कुछ द्विपक्षीय/क्षेत्रीय क्रियाकलापों में ही शामिल हुआ, जो मुख्य रूप से बैंकाक करार (1975 में हस्ताक्षरित) जिसका उद्देश्य ईएससीएपी क्षेत्र में प्रशुल्क रियायतों का आदान-प्रदान करना था, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रिफरेंसेज (जीएसटीपी - 1998 में हस्ताक्षरित) जिसका उद्देश्य जी-77 सदस्य देशों के बीच प्रशुल्क रियायतों का आदान-प्रदान करना था तथा सार्क अधिमानी व्यापार करार (सापटा - 1993 में हस्ताक्षरित) जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में व्यापार का उदारीकरण करना है जैसे पीटीए के माध्यम से किया गया। तथापि, इन व्यवस्थाओं से सदस्य देशों के साथ व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने के संदर्भ में सीमित परिणाम प्राप्त हुए। भूटान और नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी देशों के साथ भारत द्वारा एक अपारस्परिक आधार पर मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना है। भारत द्वारा श्रीलंका के साथ प्रथम मुक्त व्यापार करार पर वर्ष 1998 में हस्ताक्षर किए गए और यह करार वर्ष 2000 से लागू है। इस करार के संबंध में भी श्रीलंका को, जो एक छोटा द्वीपीय पड़ोसी है, ऋणात्मक सूची के आकार तथा प्रशुल्क उदारीकरण की अवधि के संदर्भ में अधिक छूट प्रदान की गई।

1.30 भारत विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय बातचीत को महत्त्व देता है। तथापि, यह समझते हुए कि क्षेत्रीय व्यापार करार विश्व व्यापार में भविष्य में भी स्थायी रूप से बना रहेगा, भारत अपने व्यापारिक भागीदारों/देशों के साथ जुड़ा रहा जिसका उद्देश्य निर्यात बाजार को विस्तार प्रदान करना था तथा कुछ मामलों में व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) हेतु करार को अंतिम रूप देने की दिशा में अग्रसर हुआ जिसमें वस्तुओं (पर्याप्त व्यापार से संबंधित वस्तुओं पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर शून्य सीमाशुल्क की व्यवस्था है तथा जो संवेदनशील मदों की नकारात्मक सूची और जिन पर कोई भी प्रशुल्क रियायत उपलब्ध नहीं है या सीमित प्रशुल्क रियायत उपलब्ध है, में अपेक्षाकृत शामिल नहीं है), सेवाएं, निवेश और आर्थिक सहयोग के कुछ पहचाने गए क्षेत्र शामिल हैं। अनेक व्यापारिक भागीदारों के साथ ढांचा करार पहले ही किया जा चुका है जिसके लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गईं और जिनका आगे अनुपालन किया जाना है तथा विशिष्ट समय-सीमा के भीतर इस संबंध में वार्ता पूर्ण की जानी है।

1.31 भारत ने सिंगापुर के साथ पहले ही एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) किया है जिसे 01 अगस्त, 2005 से लागू किया गया है। सार्क के सदस्य देशों द्वारा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार

क्षेत्र करार पर जनवरी, 2004 में हस्ताक्षर किए गए। इस करार के सभी पहलुओं के संबंध में बातचीत पूरी कर ली गई है तथा 01 जुलाई, 2006 से प्रशुल्क उदारीकरण कार्यक्रम को लागू कर दिया गया है। आशियान देशों और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग से संबंधित ढांचा करार, बीआईएमएसटीईसी मुक्त व्यापार करार के लिए ढांचा करार, भारत-थाईलैंड ढांचा करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं तथा वस्तु, सेवाओं और निवेश के संबंध में मुख्य व्यापार करार पर बातचीत की जा रही है। मर्कोसर और चिली के साथ आर्थिक सहयोग करार हेतु ढांचा तैयार किया गया और जिसके पश्चात इनके बीच एक अधिमानी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद् और मॉरीशस के साथ मुक्त व्यापार करार/व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदारी करार भी किया है। एक संभावित क्षेत्रीय व्यापार करार के संबंध में बातचीत करने के लिए भारत तथा कोरिया के बीच और भारत तथा चीन के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर वार्ता करने के लिए पृथक संयुक्त कार्यबल स्थापित किए गए हैं। भारत-इजरायल के संबंध में गठित किए गए संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तथा इस संबंध में शीघ्र ही वार्ता आरंभ की जाएगी।

रूस और आरटीए

1.32 क्षेत्रीय समन्वयन के क्षेत्र में रूस के क्रियाकलाप मुख्य रूप से सीआईएस तक सीमित हैं जिसके अतिरिक्त इसके द्वारा कुछ सीआईएस देशों के साथ इसने अनेक क्षेत्रीय व्यापार करार किए हैं, के साथ इसके द्वारा द्विपक्षीय संधि की गई है। इनमें से कुछ का नीचे उल्लेख किया गया हैः

1.33 रूस-बेलारूस के बीच संबंध एक संघ राज्य के ढांचे के रूप में विकसित हो रहा है। दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार, इसे स्थापित करने के लिए संधि तथा संधि को लागू करने से संबंधित उपायों के कार्यक्रम में समन्वयन से संबंधित मुख्य निर्देशों और चरणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संयुक्त आर्थिक क्षेत्रों का सृजन, ऊर्जा, परिवहन व्यवस्था, तेल और गैस अवसंरचना का एकीकरण, मानवता तथा सामाजिक क्षेत्रों में तथा विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

1.34 अक्तूबर, 2000 में बेलोरूस, कजास्तान, किर्गिजिया, रूस और तजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा यूरोपीय-एशियाई आर्थिक समुदाय (यूरो-एशियन इकोनमिक कम्युनिटी) की स्थापना हेतु संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसे सभी सदस्य देशों द्वारा अनुस्वीकृति प्रदान की गई तथा यह संधि मई, 2001 में लागू हो गई।

1.35 सितंबर 2003 में रूस, बेलारूस, कजास्तान तथा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने साझा आर्थिक संगठन (सीईएस) स्थापित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सीईएस के अंतर्गत सदस्य देशों के सीमाशुल्क क्षेत्रों, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम शक्ति की निर्बाध आवाजाही और साथ ही साझा विदेशी व्यापार तथा समन्वित कर, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों के संबंध में सहमति व्यक्त की गई है। क्षेत्रीय समन्वयन संगठन का सृजन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतियों से जो बुनियादी संधि में निर्धारित किया गया है, के अनुसार समन्वयन के सिद्धांत पर आधारित है।

1.36 रूस और यूरोपीय संघ कार्यनीतिक भागीदारी स्थापित कर रहे हैं जो अब पीसीए करार तथा सीईएस करने के संबंध में बनाई गई रूपरेखा द्वारा प्रतिबिंबित होता है। 2007-08 में नए पीसीए से संबंधित वार्ता शुरू हो जाएगी।

परिशिष्ट-1.1

भारत के मुख्य आर्थिक संकेतक

संकेतक	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कारक लागत पर जीडीपी					
मौजूदा मूल्य पर	बिलियन रुपए	25494	28559	32509*	37175**
1999-2000 के मूल्य पर	बिलियन रुपए	22226	23897	26045*	28440**
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीडीपी					
मौजूदा मूल्य पर	बिलियन रुपए	5336	5366	5951*	6524**
1999-2000 के मूल्य पर	बिलियन रुपए	4833	4831	5121*	5261**
जनसंख्या (01 अक्तूबर की स्थिति)	मिलियन सं.	1073	1090	1107	1124
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद)					
1999-2000 के मूल्य पर	रुपए	18263	19297	20734*	22379**
खाद्यान्न उत्पादन	मिलियन मीट्रिक टन	213.19	198.36	208.60	211.78#
मुद्रस्फीति की दर					
थोक मूल्य सूचकांक आधार (1993-94=100)					
औसत	%	5.5	6.5	4.4	5.2^^
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - आईडब्ल्यू आधारित (2001=00)					
औसत	%	3.8	3.7	4.5	6.8
कृषि उत्पादों हेतु थोक मूल्य सूचकांक		182.9	186.7	190.7	202.9^^
गैर-कृषि उत्पादों हेतु थोक मूल्य सूचकांक		174.0	187.5	196.9	206.3^^
विदेश व्यापार					
निर्यात	बिलियन अमेरिकी डालर	63.8	83.5	103.1	89.5@@
आयात	बिलियन अमेरिकी डालर	78.2	111.5	149.2	131.2@@
शेष	बिलियन अमेरिकी डालर	-14.4	-28.0	-46.1	-41.7
कुल कृषिजन्य आयात	करोड़ रुपए	21972.7	22811.8	21025.5	16164.8@
राष्ट्रीय आयात का प्रतिशत		6.1	4.6	3.3	3.0
कुल कृषिजन्य निर्यात	करोड़ रुपए	37266.5	41602.7	49802.9	37346@
राष्ट्रीय निर्यात का प्रतिशत		12.7	11.1	11.0	10.1
बकाया विदेशी ऋण (मार्च के अंत में)	बिलियन अमेरिकी डालर	111.65	123.20	126.41	142.66***
विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत में)	बिलियन अमेरिकी डालर	107.4	135.6	145.11	173.08^
विनिमय दर	रुपए/अमेरिकी डालर	45.95	44.93	44.27	45.48##

* शीघ्र प्राक्कलन **अग्रिम प्राक्कलन # तीसरा अग्रितम प्राक्कलन ## औसत अप्रैल 2006-जनवरी 2007

@ अप्रैल-नवंबर, 2006 @@ अप्रैल-दिसंबर, 2006 ^ जनवरी 2007 के अंत में

*** दिसंबर 2006 के अंत में ^^ जनवरी 2007 तक

स्रोतः

1. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय
3. आर्थिक सर्वेक्षण, 2006-07
4. भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट; आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यालय

परिशिष्ट-1.2

वर्ष 2005 में रूस में विकास के प्रमुख सामाजिक और आर्थिक संकेतक

संकेतक	रूस
जीडीपी, मौजूदा मूल्य, बिलियन अमेरिकी डालर	763.29
जीडीपी, स्थिर मूल्य, वार्षिक दृष्टिकोण, %	6.4
जीडीपी, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अनुसार, विश्व में हिस्सेदारी, %	2.6
प्रति व्यक्ति जीडीपी, मौजूदा मूल्य, अमेरिकी डालर	5348.9
स्थायी पूंजीगत व्यय का परिमाण सूचकांक (तुल्य मूल्यों में), % में, गत वर्ष की तुलना में	110.7
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मिलियन, अमेरिकी डालर	13072[1]
मुद्रास्फीति, %	10.9
सोना और मुद्रा भंडार (अवधि की समाप्ति की स्थिति), बिलियन, अमेरिकी डालर	182.24
सरकारी विनिमय दर	28.3
अधिशेष, समेकित बजट का घाटा, मिलियन, अमेरिकी डालर	59017.7
अधिशेष, समेकित बजट का घाटा, जीडीपी का %	7.7
सरकारी ऋण (विदेशी और आंतरिक), बिलियन अमेरिकी डालर	111.4
सरकारी ऋण (विदेशी और आंतरिक), जीडीपी का %	14.8
निर्यात[2], एफओबी,बिलियन अमेरिकी डालर	243.6
आयात[2], सीआईएफ, बिलियन अमेरिकी डालर	137.8
आबादी के सभी तबकों की प्रति व्यक्ति औसत आय, अमेरिकी डालर प्रति माह	280.49
निर्धनता के स्तर से नीचे की आय वाली आबादी, कुल आबादी का %	17.6[3]
निधि सूचकांक (आय अंतर सूचकांक), गुना	14.7
बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या और आर्थिक दृष्टि से सक्रिय आबादी का अनुपात, %	7.7

स्रोतः आईएमएफ, सीबी आरएफ, रोस्सेट, फेडरल ट्रेजरी, रूसी परिसंघ का आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय

1. रोस्सेट आंकड़ों के अनुसार। सीबीआरएफ आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 में रूसी परिसंघ की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15151 मिलियन अमेरिकी डालर था।

2. आईएमएफ आंकड़ों के अनुसार। सीबीआरएफ विदेश तुलन आंकड़ों के अनुसार, वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 243569 मिलियन अमेरिकी डालर था; 125303 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया। रूस के एससीसी के अनुसार, 240998 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया, आयात-98687 मिलियन अमेरिकी डालर।

3. 2004

अध्याय 2 भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार

भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार की प्रकृति की आधारभूत रूपरेखा

2.1 परंपरागत रूप से भारत और रूस घनिष्ट व्यापारिक सहयोगी रहे हैं। वर्ष 2005-2006 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.72 बिलियन अमेरिकी डालर था, जो वर्ष 2004-05 के 1.95 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में 39.5% अधिक था। वर्तमान में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समग्र रूसी व्यापार की तुलना में औसतन केवल 1.1% है। इसी प्रकार भारत के मामले में रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार भारत द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार की कुल मात्रा का केवल 1.1% है। गत कुछ वर्षों के दौरान भारत-रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित ब्योरा निम्नानुसार हैः

भारतीय आंकड़े

तालिका 2.1

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
1999-2000	947.92	623.18	1571.10
2000-2001	889.01	517.66	1406.67
2001-2002	798.18	535.71	1333.89
2002-2003	704.00	592.61	1296.61
2003-2004	713.76	959.63	1673.39
2004-2005	631.26	1322.74	1954.00
2005-2006	729.89	1992.01	2721.90

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

रूसी आंकड़े

तालिका 2.2

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

	2003	2004	2005	2006 (9 महीने)
व्यापार की मात्रा	3320.0	3153.2	3098.7	2495.1
इसी अवधि के दौरान प्रतिशत में		95.0	98.3	121.8
निर्यात	2735.3	2502.0	2314.1	1798
इसी अवधि के दौरान प्रतिशत में		91.5	92.5	121.1
आयात	584.7	651.2	784.6	697.1
इसी अवधि के दौरान प्रतिशत में		111.4	120.5	123.6

स्रोतः रोस्सेट

2.2 भारत के आंकड़ों और रूस के आंकड़ों के बीच स्पष्ट अंतर है। तथापि, ये इसी प्रकार का रुझान प्रदर्शित करते हैं जो इस बात का सूचक है कि वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2002 तक संपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में गिरावट आई।

2.3 भारत के आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा रूस को किए गए निर्यात की मात्रा में वर्ष 1999-2000 के 947.92 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से गिरावट होकर वर्ष 2004-05 में 631.26 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2005-06 के दौरान इस आंकड़े में मामूली सुधार हुआ तथा भारत द्वारा किए गए निर्यात में 15.62% की वृद्धि हुई तथा इसका मूल्य 729.89 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। गत दस वर्षों के दौरान रूस के आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा रूस को किया गया निर्यात 1999 के 667 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से गिरकर वर्ष 2002 में लगभग 513 मिलियन अमेरिकी डालर पर पहुंच गया। वर्ष 2003 में इसमें मामूली सुधार हुआ तथा भारत द्वारा किए गए निर्यात में लगभग 14% की वृद्धि हुई और यह 583.5 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया।

2.4 इसी प्रकार रूस के आंकड़ों के अनुसार रूस द्वारा किया गया निर्यात 1999 के 1177 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से गिरकर वर्ष 2001 में 704 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2002 के बाद से ही इसमें स्थायी वृद्धि प्रदर्शित हुई है और यह 731 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से बढ़कर वर्ष 2006 के प्रथम 9 महीनों के दौरान 1798 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया।

2.5 वर्ष 2002-03 तक व्यापार में गिरावट संभवतः सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस में वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति तथा साथ ही 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में दोनों देशों द्वारा अधिक बाजारोन्मुख आर्थिक नीतियों को अपनाने को दर्शाती है। इसी संबंध में एक अन्य कारक रुपया-रूबल व्यवस्था का समाप्त होना है। अब दोनों देश आर्थिक दृष्टि से अधिक सार्थक व्यापार स्थापित करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास पर आधारित आर्थिक संबंध को विस्तृत करने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्ष 1991 के उपरांत भारत-रूस व्यापार का मूल्यांकन

2.6 वर्ष 1992 में सोवियत युग के सहयोग का वित्तीय आधार विद्यमान नहीं था। यह ''रुपया-रूबल'' विनिमय स्कीम थी। इस स्कीम के अंतर्गत मूल्य तथा भुगतान का निर्धारण परस्पर सहमत विनिमय दरों के अनुसार रुपया-रूबल में किया जाता था, किंतु लेखाओं का समाधान वस्तु के रूप में बाद की अवधि में किया जाता था। इन दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार निर्धारित तथा प्रतिबंधित था तथा क्रय और सौदों का निष्पादन भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाता था। इस व्यवस्था के समाप्त हो जाने से भारत-रूस के बीच व्यापार की प्रकृति जो वर्ष 1992 से परिवर्तनीय मुद्रा पर आधारित थी, में आमूल परिवर्तन आया।

2.7 1991 से पूर्व के सहयोग के परिणामस्वरूप भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध इस्पात उत्पादन, कोयला उत्पादन, भारी विद्युत कार्यों के लिए मशीनों का उत्पादन, इस्पात तथा कोयला उत्पादन, औषधियों का उत्पादन, तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज तथा परिष्करण के क्षेत्र में था। यह संबंध रूसी उपकरणों तथा भारतीय कामगारों के बीच समन्वय तथा भारत में नौकरी करने और इन उपकरणों के अनुरक्षण के लिए तैनात किए गए रूसी परामर्शदाताओं के समूह द्वारा किए जा रहे दौरों के कारण विकसित हुए निजी संबंधों के कारण अक्षुण्ण बना रहा।

2.8 भारत-रूस व्यापार संस्थाओं और उद्यमों के बीच संपर्क तथा अन्य देश के बाजार और इसकी आवश्यकताओं के पारस्परिक मूल्यांकन पर आधारित रहा है। इसमें कंसलटेंसी जिप्रोमेज तथा विनिर्माणकारी इकाइयों यूरालमास और इलेक्ट्रोसिला जैसे बड़े उद्यम अंतर्निहित हैं। भारत और रूस के पक्ष की इनमें से कुछ कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित की जाती हैं। किंतु इसके साथ ही रूस में काफी लंबे समय से कार्य करने का अनुभव रखने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इनमें

से अधिकांश व्यापार को संचालित किया जाता है (उदाहरण के लिए सन ग्रुप, जो पहले मुख्य रूप से मशीनों के उत्पादन से संबद्ध था, चाय के क्षेत्र में जे वी गोकल आदि जैसी कंपनियां)।

2.9 भारत-रूस व्यापार के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण संघटक रक्षा से संबंधित उपकरणों और विशेषकर नौसेना और वायु सेना के प्रयोग हेतु उपकरणों की खरीद है। तथापि इस पर इस अध्ययन के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है।

1990 के दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन के रूप में ऋण को चुकाने का सीमित प्रभाव

2.10 वर्ष 1993 (जबकि ऋण वापस करने से संबंधित करार का औपचारिक रूप में अनुमोदन किया गया था) के तत्काल पश्चात भारत सरकार द्वारा रूसी व्यवसाय को उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा के साथ ही ऋण को लौटाना व्यापार के लिए एक प्रोत्साहन के समान था।

2.11 1992-97 जबकि व्यवसाय में अनिश्चितता थी, रूबल का मूल्य काफी तेजी से घट-बढ़ रहा था तथा जब तक भारत से रवाना की गई खेप रूस के बंदरगाह पर नहीं पहुंच जाती तब तक लाई गई वस्तु के संबंध में एलसी प्रभावी नहीं होता था, के दौरान मुद्रा स्फीति में उतार-चढ़ाव के दौर में ऋण को लौटाने के लिए प्रदान की गई राशि ने दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान किया।

2.12 वर्ष 1996-97 के दौरान ऋण को लौटाने के तरीके का पुनर्निर्धारण किया गया जबकि रूसी सरकार (वित्त मंत्रालय) ने रूस के नेसेकोनोम बैंक द्वारा संचालित विदेशी विनिमय निविदाओं पर ऋण के भुगतान की नीलामी की। आरंभ में निविदा में केवल रूस के निजी बैंकों ने ही भाग लिया तथा भारत से वस्तुओं की खरीद के लिए रूसी प्रतिष्ठानों और संगठनों ने उनसे ऋण भुगतानों का क्रय किया। इसके पश्चात रूसी प्रतिष्ठान और संगठन मुख्य रूप से, चाय और भारतीय निर्यात की अन्य परंपरागत वस्तुओं के निर्यातकों ने निविदा पर इन भुगतानों के क्रय का अधिकार प्राप्त कर लिया।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) घटक

2.13 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीआ) का सदस्य देश होने के कारण भारत को डब्ल्यूटीओ के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना पड़ता है। हालांकि रूस अभी तक डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश नहीं है, किंतु इसने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता हेतु आवेदन किया है। अतः व्यापक संदर्भों में इन दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार विकसित करने के लिए विश्व व्यापार संघटन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना पड़ता है।

द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु संस्थागत तंत्र

2.14 रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, उच्च प्रौद्योगिकी, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार है।

2.15 सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस के साथ मैत्री संबंध को जनवरी 1993 में की गई मैत्री संबंध तथा सहयोग संधि के द्वारा पुनः निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के पहली बार भारत आगमन के दौरान अक्तूबर, 2000 में दिल्ली में कार्यनीतिक भागीदारी से संबंधित एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

2.16 वर्ष 2000 के बाद से बारी-बारी से दिल्ली और मास्को में संस्थागत रूप से वार्षिक शीर्ष स्तरीय दौरे आयोजित किए जाते रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के सचिवों के स्तर पर तथा सुरक्षा परिषदों के स्तर पर नियमित रूप से संस्थागत वार्षिक परामर्श बैठकों सहित गहन द्विपक्षीय उच्च स्तरीय संपर्क स्थापित किए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा रूसी सुरक्षा परिषद् के

सचिव के बीच नियमित आधार पर बैठक आयोजित की जाती है। इसरो तथा रूसी परिसंघ की अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉसमोस) और साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और रूसी परिसंघ के परमाणु ऊर्जा संबंधी संघीय एजेंसी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान एक-दूसरे के संपर्क में रहती हैं।

2.17 भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री एवं रूस के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री ने व्यापार तथा निवेश के संबंध में एक संयुक्त मंच स्थापित करने की दिशा में एक पहल की है जिसकी पहली बैठक दिल्ली में 12-13 फरवरी, 2007 को संपन्न हुई। इस मंच की बैठक ने दोनों पक्षों के व्यापार तथा उद्योग के बीच साझे मुद्दों को ज्ञात करके दोनों देशों के व्यवसायों के बीच पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा देने हेतु एक अवसर प्रदान किया।

2.18 समेकित दीर्घकालिक कार्यक्रम (आईएलटीपी) हेतु संयुक्त परिषद् में दोनों पक्षों के ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक शामिल हैं तथा यह परिषद् दोनों देशों के बीच सभी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त अनुसंधान तथा विनिमय कार्यक्रमों को आयोजित करता है और उन पर निगरानी रखता है। दोनों देशों के संस्कृति मंत्रालयों द्वारा द्विवार्षिक आधार पर ऐसे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें शामिल विषय अन्य तंत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं होते।

2.19 दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध रूसी परिसंघ की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के संबंध में 04 मई, 1992 को हस्ताक्षरित करार द्वारा विनियमित होता है।

2.20 दो भारत-रूसी अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी) गठित किए गए हैं - (i) भारत के विदेश मंत्री और रूस के उप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग विषयक भारत-रूसी अंतरसरकारी आयोग; (ii) भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री (जो वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पदभार भी संभाल रहे हैं) की अध्यक्षता में गठित सैन्य तकनीकी सहयोग विषयक भारत-रूसी अंतरसरकारी आयोग। इन दोनों भारत-रूसी अंतरसरकारी आयोगों (आईआरआईजीसी) की बैठक बारी-बारी से दोनों देशों की राजधानियों में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।

2.21 पहला भारत-रूसी अंतरसरकारी आयोग (आईआरआईजीसी) 04 मई, 1992 को हस्ताक्षरित एक करार के द्वारा स्थापित किया गया। इस आयोग को 19 सितंबर,1972 में स्थापित किए गए पूर्ववर्ती भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग जिसकी 12 बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं और जिसकी अंतिम बैठक मार्च, 1989 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, को निरंतरता प्रदान करते हुए, गठित किया गया था। अंतरसरकारी आयोग (आईजीसी) के अंतर्गत 11 कार्यदल गठित किए गए। इन कार्यदलों ने नवंबर 2004 में आयोजित की गई आईआरआईजीसी की दसवीं बैठक तक आईजीसी के अंतर्गत कार्य किया। वर्तमान में आईआरआईजीसी के पांच कार्यदल हैं जो क्रमशः व्यापार और अर्थव्यवस्था; सूचना प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; धातुकर्म और खनन; विद्युत और पेट्रोलियम क्षेत्र सहित ऊर्जा; पर्यटन और संस्कृति से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के वित्त सचिवों की अध्यक्षता में पारस्परिक वित्तीय दायित्वों का निपटान करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल भी स्थापित किया गया है तथा अनेक पूरक तंत्र स्थापित किए गए हैं, उदाहरण के लिए नियमित रूप से नागरिक विमानन वार्ता, बैंकिंग से संबंधित उप-दल आदि।

2.22 नई दिल्ली में वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक करार द्वारा भारत-रूसी संयुक्त व्यवसाय परिषद् गठित की गई। इस परिषद् की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती रही है तथा इसकी अंतिम बैठक दिसंबर, 2005 में रूस में आयोजित की गई।

2.23 इसके अतिरिक्त, रूस के साथ भारत के व्यापार को विकसित करने में एक महत्त्वपूर्ण संघटक भारतीय छात्रों और व्यावसायिकों का एक ऐसा समुदाय रहा है जिन्होंने रूस के साथ लम्बे समय तक व्यवसाय किया था और जिन्होंने भारतीय व्यवसाय को रूस में और रूसी व्यवसाय को भारत में संवर्धन प्रदान करने का चयन किया था। समुदाय के सदस्य का भारत-सोवियत व्यापार से सीधे संबंधित उद्यमों (सन ग्रुप, जेवी गोकल, टोरेंट, कैडिला, रैनबैक्सी, डॉ रेड्डी) के साथ कभी न कभी संबंध स्थापित हुआ था। किंतु इसमें रूस और सीआईएस में शिक्षाप्राप्त ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जिनका इस देश में व्यक्तिगत रूप से संबंध था और जो व्यवसाय के लिए कार्यरत हुए। विभिन्न अवसरों पर वर्ष 1991 के बाद से देश में प्रवेश करने वाले व्यावसायिकों ने इस व्यवसाय में कौशल प्राप्त कर लिया तथा संबंधित देश में विभिन्न हैसियतों से निवास करने लगे। ये सभी काफी हद तक भारतीय व्यवसाय संबंध की स्थापना में भागीदारी करते हैं तथा ये एक ऐसे संगठन के प्रतिभागी हैं जो वर्तमान में छोटे तथा मध्यम आकार के व्यवसाय से जुड़े हैं।

भारत में रूस और रूसी कंपनियों की छवि तथा रूस में भारतीय कंपिनयों की छवि

2.24 भारतीय व्यावसायिकों और उपभोक्ताओं को रूसी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभी भी रूस को 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों के दौरान की स्थिति के अनुरूप ही एक अस्थिर अर्थव्यवस्था और उच्च आपराधिक क्रियाकलापों का देश माना जाता है। अधिकांश भारतीय व्यावसायिक इस बात से अवगत नहीं हैं कि रूस विश्व का एक सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहा बाजार है और एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है। अनेक रूसी कंपनियां जिनमें बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, और जो सुधारों की शुरुआत होने के पश्चात गठित की गई, उनके बारे में भारत के व्यावसायिक और यहां के उपभोक्ता अवगत नहीं हैं। इसके फलस्वरूप समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि इस प्रकार की रूसी कंपनियां भारत में निवेश करने या भारतीय भागीदारी के साथ व्यापार करने में अपनी रुचि व्यक्त करती हैं।

2.25 इसी प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व के चौथे सबसे बड़े देशों की सूची में शामिल है और यहां आर्थिक विकास की दर काफी उच्च है, रूस के लोग प्रायः भारत को एक गरीब तथा अल्पविकसित देश मानते हैं और इस कारण वे इसे अपने उत्पादों या निवेश के लिए एक रोचक बाजार नहीं मानते। रूस में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और भारतीय उत्पादकों के बारे में जानकारी की कमी है तथा कम सूचना उपलब्ध होने के कारण भारतीय उत्पादों के बारे में गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के आपूर्तिकर्ता के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है तथा भारतीय डायसपोरा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। तथापि, रूस में भारतीय व्यावसायिकों को अविश्वसनीय भागीदार समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, सोवियत संघ के समय से ही भारत में जिन रूसी कंपनियों ने कार्य नहीं किया है, वे भारत के व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में पूरी तरह से अवगत नहीं हैं।

2.26 अतः भागीदार देशों के संबंध में पारस्परिक नकारात्मक छवि और एक-दूसरे के सामर्थ्य और तुलनात्मक लाभों के बारे में जानकारी की कमी को द्विपक्षीय व्यापार को बाधित करने वाले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में माना जा सकता है। दोनों देशों के व्यावसायिक समुदाय एक-दूसरे देश के बारे में सकारात्मक छवि निर्मित करने में महती भूमिका निभा सकते हैं और इस प्रकार द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा

2.27 उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण पहल है। भारत और रूसी परिसंघ के बीच वस्तुओं का परिवहन अधिकांशतः कोटका/रोटरडम और सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए समुद्री मार्ग से

किया जाता है। यह समुद्री मार्ग, लंबा, अधिक खर्चीला है और इस मार्ग से माल की ढुलाई में अधिक समय लगता है। भारत और रूस के बीच छोटा मार्ग विकसित करने की दृष्टि से भारत और रूस के बीच ईरान, कैस्पियन सागर, अस्तरखन (रूस) होते हुए मास्को पहुंचने के लिए एक पारगमन मार्ग विकसित करने की संभावना की तलाश की गई तथा भारत, ईरान और रूसी परिसंघ के परिवहन मंत्रियों के बीच दिनांक 12.09.2000 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में भारत, ईरान और रूसी परिसंघ के बीच ''उत्तर-दक्षिण गलियारा'' से होकर पारगमन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।

2.28 यह गलियारा भारत के बंदरगाहों को बंदर अब्बास (ईरान) से जोड़ता है जहां से वस्तुओं को कैस्बियन सागर के रास्ते रूस तक पहुंचाया जाता है। इस गलियारे के खुलने से ईरान के रास्ते व्यापार के फिर से शुरू होने की आशा है। एक एजेंसी इस गलियारे का कार्य देख रही है तथा अनेक प्रायोजकों ने इस परियोजना हेतु अपनी सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश की है। हालांकि रूस में चाय और तम्बाकू की छोटी खेपें भेजी जाती हैं किंतु इस गलियारे से होकर कंटेनरों की खेप के पहुंचने में 10-20 दिनों का कम समय लगता है और ऐसा करना पर्याप्त सस्ता है।

अध्याय 3 वस्तु व्यापार

भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार की प्रकृति और संघटन का विश्लेषण

3.1 भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार थोड़े से उत्पादों के संबंध में ही सीमित है। भारतीय आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा रूस को किए गए निर्यात के 50% से भी अधिक भाग में चार उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं अर्थातः औषधि, औषधि निर्माण सामग्री तथा सूक्ष्म रसायन (32.53%); कॉफी (9.23%); चाय (6.83%) और अविनिर्मित तम्बाकू (5.38%)। अन्य निर्यात सामग्रियों में उपकरणों सहित सूती सिले-सिलाए कपड़े (2.56%); संसाधित फल और फलों के रस (4.25%); परिवहन उपकरण (4.07%); सूती धागे, वस्त्र और निर्मित सामग्रियां (4.05%), प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद, मशीन और यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल हैं। इसी प्रकार भारतीय आंकड़ों के अनुसार रूस द्वारा भारत को किए गए निर्यात के 60% से भी अधिक में चार उत्पाद श्रेणियों की अधिकता बनी रहती है अर्थात लोहा और इस्पात (25.59%); निर्मित उर्वरक (17.5%); अलौह धातु (11.72%), कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि (10.05%)। अन्य आयातित सामग्रियों में अखबारी कागज (6.88%); सिल्वर (5.42%); संश्लिष्ट और संसाधित रबर (4.98%) शामिल हैं। आंकडों के अनुसार रूस द्वारा निर्यात की गई 43% सामग्रियों में मशीने और उपकरण तथा अन्य 22% में धातु शामिल हैं।

3.2 2001-06 की अवधि के दौरान व्यापार के सभी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से परिवर्तन देखे गए हैं। तथापि, औषधियों एवं औषधि निर्माण सामग्रियों; परिवहन उपकरण, मशीन उपकरणों और धातु निर्मित सामग्रियों; तथा संसाधित फल और फलों के रस के संबंध में लगभग स्थायी वृद्धि देखी गई है (तालिका 3.1)।

3.3 रूस से उर्वरकों का मानक रूप में आयात जारी है (तालिका 3.2)।

रूस को किए जाने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात

भारतीय आंकड़ों के अनुसार रूस को किए जाने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात में शामिल 10 सर्वाधिक मात्रा में निर्यातित वस्तुओं से संबंधित ब्योरा निम्नवत हैः

तालिका 3.1

क्रम सं.	**वस्तु**	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	**2005-2006**
1.	औषधि, औषधि निर्माण सामग्री तथा सूक्ष्म रसायन	100.87	106.96	139.95	172.22	**237.41**
2.	कॉफी	66.79	46.21	46.02	40.47	**67.39**
3.	चाय	84.5	59.33	56.59	52.09	**49.85**
4.	अविनिर्मित तम्बाकू	21.54	24.09	20.87	31.62	**39.27**
5.	संसाधित फल और फलों के रस	1.2	3.11	5.73	11.62	**31**
6.	परिवहन उपकरण	5.67	14.27	5.7	13.92	**29.72**
7.	सूती धागे, वस्त्र और सिले-सिलाए कपड़े	26.62	15.57	17.89	13.72	**29.56**
8.	मशीन और यंत्र	16.9	12.53	14.83	21.29	**28.82**
9.	प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद	16.4	13.5	22.36	24.32	**28.79**
10.	सूती सिले-सिलाए कपड़े ,सहायक उपकरणों सहित	216.06	219.15	164.47	79.13	**18.65**

3.4 औषधि और औषधि निर्माण सामग्री एवं सूक्ष्म रसायन भारत द्वारा रूस को किए गए निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं। वर्ष 2002 और 2005 के बीच इन वस्तुओं के निर्यात में 7.5 मिलियन डालर से अधिक की वृद्धि हुई तथा निर्यात में उनकी भागीदारी 27.28% से बढ़कर 32.5% से भी अधिक हो गई। 15 वर्षों के दौरान रूस में विभिन्न आय समूहों के लोगों के लिए औषधियों की स्थानीय उत्पादन व्यवस्था विघटित हो जाने के बाद और विदेशी उत्पादों की निम्न पहुंच के कारण भारतीय उत्पाद रूस में और विशेषकर यहां के दूरदराज में स्थित क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनिवार्य हो गए हैं। भारतीय औषधियों को लाभ मुख्य रूप से भारतीय औषधि कंपनियों द्वारा रूस में स्थित भारतीय वितरकों और स्थापित किए गए स्थानीय नेटवर्क के अत्यधिक परिश्रम द्वारा किए गए कार्य के कारण होता है।

3.5 सिले-सिलाए कपड़े (सूती, रेशमी, ऊनी और मानव-निर्मित रेशे) और विभिन्न प्रकार के धागों और वस्त्रों के निर्यात के मामले में हाल तक इन वस्तुओं की रूस में भारी मांग रही है। तथापि, 2002 से लेकर 2005 के बीच रूस को भारत द्वारा किए गए सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है।

3.6 चाय और कॉफी निर्यात के मामले में गत पांच वर्षों के दौरान व्यापक बदलाव आया है। रूसी बाजार में भारतीय चाय की मौजूदगी में निरंतर गिरावट का रुख बना हुआ है। वर्ष 2005-06 के दौरान चाय के निर्यात में निरपेक्ष मूल्य में गिरावट आई (हालांकि मामूली रूप में - 52 मिलियन अमेरिकी डालर से घटकर 49.85 मिलियन) और भारतीय निर्यात 8.2% से घटकर 6.8% हो गया। भारत (दार्जीलिंग) से किए जाने वाले अत्यधिक मूल्यवान चाय (लग्जरी टी) का रूस में एक विशेष बाजार है। भारत से रूस में चाय के निर्यात में गिरावट का रुख भारत के लिए चिंता का एक विषय है। वर्तमान में कुछ स्थानीय वेंडर (मिश्रक) निम्न गुणवत्ता की गैर-भारतीय चाय की कुछ किस्मों को मिश्रित करके रूसी बाजार में भारतीय चाय के नाम से बेच रहे हैं। दूसरी ओर, कॉफी का निर्यात 6.4% से बढ़कर 9.2% हो गया है। हालांकि कॉफी के निर्यात में आमतौर पर गिरावट हुई है जो 2001-02 के 66.79 मिलियन अमेरिकी डालर से घटकर वर्ष 2004-05 में 40.47 मिलियन के स्तर पर पहुंच गया, किंतु 2005-2006 के दौरान रूस को कॉफी के निर्यात में 66.52% की वृद्धि हुई और यह 67.39 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। रूस के कॉफी बाजार में अन्य निर्यातकों जैसेकि ब्राजील, वियतनाम, जर्मनी आदि की तुलना में भारत की उच्च बाजार हिस्सेदारी (28%) बनी हुई है।

3.7 रूस विश्व में तम्बाकू का एक प्रमुख आयातक है और तम्बाकू पत्तों के विश्वभर में किए जाने वाले कुल आयात में इसकी भागीदारी 15% है। रूस में प्रतिवर्ष लगभग 3,00,000 मीट्रिक तम्बाकू की खपत होती है। रूस द्वारा किए गए आयात में प्राच्य, अर्ध-प्राच्य, एफसीटी, बर्ली और डार्क सिगरेट तम्बाकू शामिल हैं। रूस द्वारा तम्बाकू के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि रूसी बाजार में भारत की हिस्सेदारी गत 7-8 वर्षों के दौरान 8-9% के बीच बनी हुई है।

3.8 भारत द्वारा रूस को किए जाने वाले मशीन निर्यात में हालांकि गत कुछ वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है किंतु रूस द्वारा विश्व बाजार से किए जा रहे मशीनों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी अत्यधिक कम है। इस संबंध में एक प्रमुख विकास यह हुआ है कि भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां रूसी बाजार में अपनी पैठ बना रही हैं।

भारत को किए जाने वाले प्रमुखी रूसी निर्यात

तालिका 3.2

गत कुछ वर्षों के दौरान रूस द्वारा भारत को किए गए प्रमुख निर्यात से संबंधित ब्योरा निम्नवत हैः

मूल्य (मिलियन अमेरिकी डालर में)

	2001	2002	2003	2004	2005
खाद्य पदार्थ तथा कृषि क्षेत्र की असंसाधित सामग्री	2.5	6.7	4.0	2.6	1.1
खनिज उत्पाद	12.3	13.8	61.8	121.5	58.8
प्राकृतिक मोती	3.4	20.2	1.9	10.9	22.1
रासायनिक उद्योग के उत्पाद, रबर	165.2	109.6	112.4	100.8	234.9
ईंधन, ऊर्जा वस्तुएं	5.5	2.9	50.6	93.6	33.5
मशीन तथा परिवहन उपकरण	549.7	861.6	1525	1654	1008
विविध विनिर्मित वस्तुएं	165.1	304.2	367.8	149.1	292.3
धातु और इसके उत्पाद	92.8	143.2	248.6	307	525.8
काष्ठ, काष्ठ लुगदी और कागज उत्पाद	148.1	193.7	182.7	192.4	169.5
वस्त्र, वस्त्र उत्पाद और जूते	1.1	0.7	1.4	1.8	1.1
अपरिस्कृत सामग्रियां, फर और इसके उत्पाद	0.1	0.0	0.3	0.6	0.5

3.9 रक्षा उत्पादों के अतिरिक्त, भारत को किए जाने वाले सर्वाधिक रूसी निर्यात में इस्पात का स्थान प्रमख रहा है। वर्तमान में भारतीय बाजार में इस्पात की मांग काफी अधिक है क्योंकि भारत में इस्पात की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बना हुआ है। रूसी इस्पात का आयात करने से बुनियादी इस्पाती उत्पादों के लिए मांग पूरी होती है। तथापि, रूस से इस्पात आयात का हिस्सा भारत द्वारा किए जाने वाले इस्पात के समग्र आयात का केवल एक अत्यल्प प्रतिशत ही है।

3.10 रूस से भारत में उर्वरकों के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारत में बिल्कुल हाल में रूस से किए गए उर्वरकों के आयात का मूल्य 460 मिलियन अमेरिकी डालर था जो रूस द्वारा उर्वरकों के किए गए कुल निर्यात का 10% है। चीन के साथ ही भारत भी रूसी उर्वरकों का एक प्रमुख आयातक देश है। चूंकि रूस को उर्वरकों के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से लाभ है और यहां उत्पादन हेतु संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, अतः भविष्य में रूस में उर्वरकों के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि होने की आशा है।

3.11 मशीनों का रूस से भारत में परंपरागत रूप से निर्यात किया जाता रहा है और यह रूस से भारत को की जाने वाली एक प्रमुख निर्यात सामग्री है। तथापि, वर्ष 2003 तक भारत को रूसी मशीनों का निर्यात रुका रहा और अभी भी यह अस्थिर बना हुआ है। रूस द्वारा किए जा रहे कुल निर्यात में मशीनों के निर्यात की हिस्सेदारी निरंतर घट रही है।

3.12 रूसी सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार गत दशक के दौरान पुनः प्रक्रमित इमारती लकड़ियों से निर्मित उत्पादों - कागज, गत्ता; कागज की लुगदी, कागज, या गत्ते से बनी वस्तुओं का भारत में निरंतर निर्यात किया गया है और इसका निर्यात मूल्य वर्ष 1994 के 21.5 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2004 में 94.5 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया (रूस द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)। इसमें अखबारी कागज की भी पर्याप्त हिस्सेदारी है।

वस्तु व्यापार में संवर्धन की संभावना

3.13 संयुक्त अध्ययन दल ने यह नोट किया कि वर्ष 2010 तक भारत और रूस के बीच व्यापार में 10 बिलियन अमेरिकी डालर तक की वृद्धि करने की दृष्टि से दोनों देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे

अपने निर्यात की सामग्रियों में विविधीकरण लाएं। इस संबंध में कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जो द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।

वस्तु व्यापार में संभावित वृद्धि का समग्र आकलन : मॉडल विश्लेषण के परिणाम

3.14 भावी आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाले तथा दोनों देशों के बीच सीईसीए (व्यापक आर्थिक सहयोग करार) के निष्कर्षों के मूल्यांकन से प्राप्त प्रतिरूपों (मॉडलों) की सहायता से भारत और रूस के बीच व्यापार के प्रवाह का एक आकलन किया गया है। इस अनुसंधान के परिणामस्वरूप दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण सामने आए हैं -

(क) **ग्रैविटी मॉडल (भार प्रतिरूप)** के आधार पर व्यापार के प्रवाह का विश्लेषण किया गया है जिसके अंतर्गत वैश्विक द्विपक्षीय बाह्य व्यापार प्रवाह के संदर्भ में भारत और रूस के बीच व्यापार की मात्रा का आकलन किया गया है, जैसाकि (परिशिष्ट 3.1क) में स्पष्ट किया गया है। अनुमान लगाने के लिए यूएन कॉमट्रेड आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिरूप (मॉडल) से प्राप्त परिणामों के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा एक देश से दूसरे देश में वस्तु व्यापार के संबंध में समग्र वैश्विक पैटर्नों के समतुल्य है।

(ख) प्राप्त मॉडल का प्रयोग रूस और भारत के बीच वर्ष 2010 में व्यापार की मात्रा का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया गया (परिशिष्ट 3.1ख)। यह पूर्वानुमान **जीडीपी के वैश्विक अंतर्दृष्टि पूर्वानुमान** पर आधारित है। परिणामों से यह ज्ञात होता है कि रूस और भारत के बीच वस्तु व्यापार वर्ष 2010 में 7 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच जाएगा। अतः 10 बिलियन अमेरिकी डालर के अपेक्षित स्तर पर पहुंचने के लिए वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.15 यहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत और रूस के बीच व्यापार प्रवाह की संभावित मात्रा ज्ञात करने के लिए किए गए विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राप्त आकलन के संबंध में पूर्वानुमान मौजूदा वैश्विक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है जो द्विपक्षीय संबंधों के विकसित होने को शासित करती हैं, जैसाकि ग्रैविटी मॉडल जिसके अंतर्गत पूर्वानुमान लगाने की क्षमता के अस्थायी अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में पर्याप्त रूप से सक्षम होने की संभावना नहीं है, के मूल्यांकन के ढांचे के भीतर अभिज्ञात किया गया है।

व्यापार में वृद्धि हेतु संभावित क्षेत्र

3.16 उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिनमें व्यापार की मात्रा में वृद्धि संभव है, परंपरागत उपाय ज्ञात तुलनात्मक लाभ (आरसीए) सूचकांक का प्रयोग करना है। रूस और भारत के संबंध में आरसीए/ आरसीडी द्वारा प्राप्त समग्र आंकड़े परिशिष्ट 3.1 में दिए गए हैं जिनके रूस में निर्यात से भारत को और भारत में निर्यात से रूस को लाभ हो सकता है। तथापि, आरसीए विश्लेषण भारत-रूसी व्यापार के भविष्य के संबंध में एक राय निश्चित करने में सीमित रूप से सहायक होने के अतिरिक्त कोई अधिक लाभप्रद नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि विशिष्ट लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट उत्पाद और विशिष्ट बाजार में आरसीए का वैश्विक आरसीए रुझानों से मिलान किए जाने की प्रवृत्ति है। अतः भारत से रूस में और रूस से भारत में भावी निर्यात से संबंधित वस्तुओं की श्रेणियों की पहचान आरसीए विश्लेषण और साथ ही दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के देश से पहले से आयात की जा रही वस्तुओं की सूची के आधार पर किया जाता है (परिशिष्ट 3.1 ग)।

भारत से रूस को निर्यात में वृद्धि हेतु संभावित क्षेत्र

3.17 भारतीय पक्ष का यह मानना है कि भारत से रूस को किए जाने वाले निर्यात का मौजूदा स्तर क्षमता से काफी कम है। जिन प्रमुख क्षेत्रों में रूस को भारत द्वारा किए जा रहे निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, वे हैंः कृषि और संबद्ध उत्पाद - खाद्य फल और गिरीदार फल, जंतु मूल के उत्पाद, पेय पदार्थ (चाय और कॉफी आदि) और तम्बाकू; जंतु तथा वनस्पति वसा और तेल; सामग्री आधारित विनिर्माण जैसेकि धातु और धातु से बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात तथा उससे बनी वस्तुएं); सूती धागे और वस्त्र जिनमें सिले-सलाए कपड़े, मानव-निर्मित भारी मात्रा में निर्मित रेशे और तंतुः रसायन और प्लास्टिक - कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन; मशीनरी और परिवहन उपकरण आदि। भारतीय निर्यातक कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसेकि चाय, ''संसाधित फल'' उत्पाद, डेयरी उत्पाद जिसमें संसाधित डेयरी उत्पाद शामिल हैं, मांस उत्पाद आदि का भी निर्यात कर सकते हैं। असामान्य कारणों (भारतीय उत्पादों के लिए प्रयुक्त वितरण नेटवर्क की लागत और मूल्य से संबंधित) के फलस्वरूप रूस को किए जाने वाले निर्यात के विशिष्ट लाभ हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भारत के निर्यात सामर्थ्य को देखते हुए चमड़े के निर्यात तथा रंगीन बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातु आभूषणों के रूसी बाजार में निर्यात की भारी संभावना है। कुछ विशिष्ट निर्यात संभावित क्षेत्रों से संबंधित ब्योरा नीचे दिया गया हैः

औषधीय उत्पाद

3.18 औषधीय उत्पादों के संबंध में भारतीय निर्यात सामर्थ्य में विभिन्न समूहों की औषधियों की अच्छी ख्याति, जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों, पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी, प्रयुक्त धन की तुलना में प्राप्त लाभ (वैल्यू फॉर मनी) तथा रूस में प्रतिनिधिक कार्यालयों और वितरकों के शाखित नेटवर्क आदि शामिल हैं।

3.19 भारतीय पक्ष ने यह व्यक्त किया कि वर्तमान में भारत से रूस को निर्यात की गई औषधियों की प्रत्येक खेप को एक प्रमाणन प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित किया जाता है जिसमें एक महीने से भी अधिक का समय लगता है। रूसी प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र की मंजूरी लंबित रहने के कारण कंपनियों को विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिसके कारण औषधियों की आपूर्ति की लागत में वृद्धि हो जाती है। भारतीय पक्ष ने यह सुझाव दिया कि बंदरगाहों पर विलंब शुल्क से बचने के लिए औषधीय खेपों को रूस में सीमाशुल्क विभाग द्वारा अविलंब क्लियर किया जाए और इस संबंध में आयातक द्वारा एक शपथपत्र ले लिया जाए कि बाजार में इन औषधियों की बिक्री के प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात ही की जाएगी। रूसी पक्ष द्वारा यह सूचित किया गया कि 01 जनवरी, 2007 के बाद से प्रमाणपत्र के स्थान पर घोषणापत्र को प्रयोग में लाया जाने लगा है। यह भी कहा गया कि घोषणा की प्रक्रिया उद्योग तथा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विनियमित की जाती है तथा इससे संबंधित ब्योरे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। भारतीय पक्ष ने यह भी प्रस्ताव किया कि दोनों देशों के तकनीकी संगठन उत्पादों के भारत में ही प्रमाणन को सुकर बनाने के लिए समरूपता मूल्यांकन (सीए) और समतुल्यता के लिए पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) पर हस्ताक्षर करें। गुणवत्ता के संबंध में भारतीय कंपनियों/उत्पादों को भारत में ही प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए रूसी तकनीकी टीमों को भारतीय कंपनियों के विनिर्माणकारी प्रतिष्ठानों का दौरा करना चाहिए।

3.20 भारतीय पक्ष ने यह कहा कि रूस में उत्पादों हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया भी काफी लंबी है और अन्य देशों की तुलना में उत्पादों के पंजीकरण हेतु शुल्क भी काफी अधिक है। यह राशि प्रति अणु प्रति सामर्थ्य लगभग 10,000 अमेरिकी डालर है। भारतीय पक्ष ने यह प्रस्ताव किया कि इस राशि में एक

युक्तियुक्त स्तर तक कमी लाने की आवश्यकता है तथा पंजीकरण के लिए अपेक्षित समय में कमी लाने की दिशा में रूसी प्राधिकारियों द्वारा प्रयास किए जाएं।

3.21 भारतीय पक्ष ने यह इंगित किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आपूर्ति रूसी औषधीय बाजार के एक पर्याप्त हिस्से का घटक है। भारतीय पक्ष ने यह सुझाव दिया कि औषधियों के सरकार द्वारा अधिप्रापण में भारतीय कंपनियों को घरलू कंपनियों के समकक्ष समझा जाए।

चाय

3.22 भारत चाय का एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत से ''दार्जीलिंग'' चाय के निर्यात को विश्व के बाजारों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तथापि, भारतीय चाय की रूसी बाजार में एक नकारात्मक छवि बनी हुई है जिसका कारण यह है कि रूस में भारतीय चाय के नाम पर अल्पविकसित देशों से निम्न गुणवत्ता की बहुत अधिक मात्रा में मिश्रित चाय बेची जाती है तथा कम मात्रा में भारतीय चाय के साथ अन्य चाय को मिश्रित करके उसे रूसी बाजार में भारतीय चाय के नाम पर बेचा जाता है। रूसी उपभोक्ता में भारतीय चाय का संवर्धन तथा व्यावसायिक संस्थाओं के साथ अधिक पारस्परिक संबंध विकसित करने एवं रूसी कानून के द्वारा यह उपबंध करने कि ''भारतीय'' चाय शब्दों का प्रयोग कब और कैसे किया जा सकता है, से रूसी बाजार में उत्तम गुणवत्ता की भारतीय चाय की मौजूदगी में वृद्धि होने की संभावना है। जीआई के रूप में ''दार्जीलिंग चाय'' तथा लेबलों/प्रख्यात ब्रांडों के रूप में ''असम'', ''नीलगिरी'', ''भारतीय चाय लोगो'' को मान्यता प्रदान करने से स्थिति में सुधार होने की संभावना है। इस मामले पर भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय करार को लागू करने तथा रूस में थोक बिक्री चाय की तुलना में पैकेज में रखी चाय पर आयात शुल्क को युक्तियुक्त बनाने से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

कॉफी

3.23 रूस द्वारा भारत से ग्रीन कॉफी और साथ ही भुनी हुई कॉफी के आयात की अत्यधिक संभावना है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ग्रीन कॉफी के आयात में पिछले वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है जो 2001-02 के 2347 मीट्रिक टन से बढ़कर 2005-2006 में 5449 मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। इसके लिए दोनों देशों के क्रेताओं-विक्रेताओं की नियमित बैठकें तथा विशेष रूप से केंद्रित प्रोत्साहनात्मक क्रियाकलापों की आवश्यकता है। भारतीय पक्ष का यह सुझाव है कि रूस विलयशील कॉफी के मामले में भारत को जीएसपी रियायत प्रदान करने पर विचार करे।

कृषि उत्पाद और संसाधित खाद्य पदार्थ

3.24 रूस आलू, आम, ताजे और सूखे अमरूद और मूंगफली का एक प्रमुख आयातक है। भारत द्वारा रूस को इन वस्तुओं और साथ ही खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों जैसेकि पपीता, अनानास, अंगूर, जौ, मक्का, चावल, ताजे टमाटर, ककड़ी, हरी मिर्च, सूखे प्याज, गाजर, गोभी, केला, नींबू, चूना, सेब, नाशपाती, हरी इलायची, काली मिर्च और खीरा के निर्यात की काफी अधिक संभावना है। रूस भारत से खीरे का सबसे बड़ा आयातक है और यूरोपीय संघ द्वारा अब रूस को फ्रोजन खीरे का प्रमुखता से निर्यात नहीं किया जा रहा है। भारतीय पक्ष ने यह सुझाव दिया कि भारत से खीरे के निर्यात को जीएसपी दर्जा प्रदान करने और आयात शुल्क को 25% से घटाकर 11% करने से भारत से खीरे के निर्यात को संवर्धन प्राप्त होगा।

3.25 भारत गत 37 वर्षों से अर्थात 1969 से 55 देशों जिनमें से मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देश, मलेशिया, ईरान, फिलीपीन और अनेक सीआईएस देश शामिल हैं, को गोमांस और अण्डे के चूर्ण का नियमित निर्यातक है। भारतीय पक्ष ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि उचित क्षमता के बावजूद भारत से रूस को जंतु मूल के उत्पादों का निर्यात पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। रूसी पक्ष इन आयातों के

संबंध में स्व्च्छता संबंधी पहलुओं के संदर्भ में चिंतित है। रूसी पक्ष का यह मानना है कि रूसी स्वच्छता संबंधी मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। तथापि, भारतीय पक्ष का यह मानना है कि रूसी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में उच्च मानकों का अनुपालन कर रहा है। अतः भारत और रूस के बीच गोमांस और कुक्कुट उत्पादों तथा जंतु मूल के अन्य उत्पादों का संगत अतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के अनुरूप आयात के संबंध में भारत और रूस के बीच अनुरूपता मूल्यांकन तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों संबंधी समतुल्यता विषय पर एक पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) किए जाने से जंतु मूल के पारस्परिक व्यापार से संबंधित स्थिति में सुधार होगा।

3.26 रूस फूलों के संबंध में प्रीमियम उच्च गुणवत्ता और उच्च मूल्य का बाजार उपलब्ध कराता है। वर्ष के अधिकांश महीनों के दौरान फूलों के संबंध में यह आयात पर निर्भर करता है जो मुख्य रूप से हालैंड से किया जाता है। हालैंड से 4-5 दिनों की अवधि में ट्रक से लाए गए फूल अपनी गुणवत्ता खो देते हैं, फिर भी रूस में इन्हें उच्च मूल्यों पर बेचा जाता है। भारत का रूस के साथ अच्छा हवाई संपर्क है। तथापि, रूस में भारत से फूलों का निर्यात शुरू नहीं किया गया है। रूस में फूलों के प्रमुख क्रेताओं के संबंध में तथा रूसी बाजार के लिए अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान से भारत से रूस में फूलों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

मसाले

3.27 वर्ष 1991 के दौरान भारत रूस को काली मिर्च और अन्य मसालों की एक अच्छी-खासी मात्रा का निर्यात कर रहा था जो 20,000 मीट्रिक टन से भी अधिक के स्तर पर था। तथापि, गत कुछ वर्षों के दौरान भारत द्वारा मसालों के निर्यात में तेजी से कमी आई है। रूसी बाजार मूल्ययोजित मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात के अवसर उपलब्ध कराता है तथा रूस द्वारा भारत से मुख्य रूप से मसाला ओलियोरेजिन और कढ़ी पाउडर, मिश्रित मसाले, पुदीने का तेल और इसके उत्पाद, हरी इलाचयी और काली मिर्च आदि का आयात किया जाता है। रूसी लोग बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षित भोजन को अधिमान प्रदान करने लगे हैं। अतः मांस तथा कुक्कुट उत्पादों की व्यापक पैमाने पर खपत को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से संसाधन और कैटरिंग उद्योग द्वारा प्रयुक्त मसाला पाउडर/मिश्रित मसालों की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता है जिसके स्थान पर मसाला ओलयोरेजिन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। भारत से व्यावसायिकों की टीम जो संसाधित मांस और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए मसाला ओलियोरेजिन पर आधारित विभिन्न प्रमुख मिश्रणों के उत्पादन में पूर्णतः कुशल हों, द्वारा ओलियोरेजिन के प्रयोग के संबंध में प्रदर्शन और मानकीकरण के लिए रूस के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का दौरा किया जाए और उन्हें नमूना उत्पाद प्रदान किया जाए। इसी प्रकार रूस के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय ओलियोरेजिन उद्योग की संसाधन और आपूर्ति क्षमताओं के संबंध में जायजा लेने के लिए तथा भारतीय मसाला तेल और ओलियोरेजिन उद्योग के प्रौद्योगिकीय विकास के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए भारत का दौरा किया जाना चाहिए।

तम्बाकू

3.28 परंपरागत रूप से भारत रूस को तम्बाकू का एक प्रमुख निर्यातक देश रहा है। रूस में तम्बाकू का आयात कई गुना बढ़कर 300 मिलियन किलोग्राम हो गया है। तथापि, रूस द्वारा किए जा रहे आयात में भारत की हिस्सेदारी जो 1980 के दशक में 25-30% थी, गत 7-8 वर्षों के दौरान कई कारणों से घटती जा रही है और वर्तमान में यह 9% है। वर्ष 2005-06 में भारत चीन से भी आगे निकलकर धूमनाल संसाधित तम्बाकू के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है जिसका कारण यह है कि भारत द्वारा स्थिर, बड़े फसल आकार, निम्न मूल्य और अच्छी गुणवत्ता के पूरक तम्बाकू का निर्यात

किया जाता है जिसके कारण इसके द्वारा निर्यात किए गए तम्बाकू में आकर्षक मूल्य/गुणवत्ता संबंध विद्यमान है। गत पांच वर्षों के दौरान भारत में तम्बाकू के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है और यह मात्रा लगभग 240 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गई है। विशेष रूप से भारत अब रूसी विनिर्माताओं के लिए उपयुक्त तम्बाकू की थोक मात्रा में और सही मूल्य पर आपूर्ति करने की स्थिति में है तथा अविनिर्मित तम्बाकू के रूसी आयात में भारत की हिस्सेदारी के वर्तमान 9% से बढ़कर लगभग 15% तक होने की संभावना है। इस क्षेत्र में सहयोग की संभावना के आकलन की आवश्यकता है।

सिले-सिलाए कपड़े (आरएमजी)

3.29 भारत के सामर्थ्य में भारतीय वस्तुओं की निम्न लागत, अच्छी गुणवत्ता और विश्वसनीय छवि शामिल है। तथापि, व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने के मार्ग की प्रमुख बाधा ढुलाई लागत है। इस घटक के कारण तुर्की, चीन और यूरोपीय वस्त्र तथा परिधान के निर्माता अधिक लाभ की स्थिति में हैं । तथापि, चूंकि अच्छी गुणवत्ता के कपड़ों और परिधानों के लिए रूस की मांग में वृद्धि हो रही है, अतः भारतीय सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात की अच्छी संभावना है जो वस्त्र तथा कपड़ों के भारतीय उत्पादन की व्यापक रेंज और विभिन्न रंगों के होने, रूस में वस्त्र की स्थानीय उपलब्धता सीमित होने, प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सीमित रंग के वस्त्रों तथा भारतीय डिजाइन की विशेषज्ञता के कारण है।

3.30 भारतीय पक्ष का यह मानना है कि दोनों देशों के बीच के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बीच बृहत्तर पारस्परिक संबंध तथा रूस में सिले-सिलाए कपड़ों पर प्रशुल्क के युक्तिकरण और रूसी सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथामूल्य आधार पर आयात शुल्क के निर्धारण से भारत से रूस में अच्छी गुणवत्ता वाले सिले-सिलाए कपड़ों के आयात को बढ़ावा मिल सकता है। रूसी पक्ष का मानना है कि भारतीय उत्पादक रूसी उपभोक्ताओं की पसंद के संबंध में एक अध्ययन करें तथा तदनुसार अपनी आपूर्ति की रेंज और गुणवत्ता में बदलाव लाएं।

चमड़ा

3.31 इस क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य में अच्छी गुणवत्ता के फैशन दस्तानों, प्रीमियम किस्म के चमड़े के जूते और उच्च कोटि के तैयार चमड़े की उपलब्धता शामिल है। तथापि, उच्च आयात शुल्क और चीन एवं तुर्की से प्रतिस्पर्धा तथा जापान से चमड़े की आपूर्ति भारत के निर्यात के लिए एक चुनौती बनी हुई है। भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार में विकास से सतत अवसर उपलब्ध होता है। रूसी बाजार के संबंध में बेहतर जानकारी तथा चमड़े के उत्पादों के संबंध में रूसी खरीददारों की जागरूकता आवश्यक है।

मशीनरी

3.32 भारत से इंजीनियरी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2005-06 में 19.18 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया तथा इसमें 24.68% की भारी वृद्धि दर्ज हुई। इसी प्रकार, रूसी आयात में मशीनी उत्पादों का आयात सर्वाधिक रहा (2005 में 41%)। भारत से रूस में आयात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद हैंः संपीड़न प्रज्ज्वलन और वैद्युत प्रज्ज्वलन प्रकार के आंतरिक दहन इंजन; वातानुकूलन में रेफ्रिजरेशन; उत्खनन मशीनों के पुर्जे; लोहा और इस्पात के जोड़रहित पाइप और ट्यूब, लोहा और इस्पात के वेल्ड किए गए पाइप और ट्यूब; लोहा और इस्पात के ट्यूब या पाइप फिटिंग; आरा मशीन के लिए हस्तचालित आरा और ब्लेड; ग्राइंडिंग स्टोन और ग्राइंडिंग व्हील आदि।

3.33 भारतीय वस्तुओं ने औषधीय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पैकेजिंग मशीन के क्षेत्र में भी अच्छी ख्याति अर्जित की है। रूसी बाजार में भारतीय उत्पादकों की रुचि इन उत्पादों की बिक्री को देखते हुए सुस्पष्ट है। तथापि, ये कम मात्रा में की जाने वाली व्यापारिक बिक्री हैं। इस संबंध में

भारतीय उत्पाद के बड़े पैमाने पर आपूर्तिकर्ता बड़ी कंपनियों की क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय पक्ष ने सुझाव दिया कि मशीनों पर आयात शुल्क में कमी तथा रूस में खरीददारों की आवश्यकताओं तथा भारत में उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान सहायक सिद्ध होगा।

ऑटोमोबाइल

3.34 भारत से रूस में ऑटोमोबाइल पुर्जों की आपूर्ति करने और रूस में भारतीय कारों को असेम्बल करने की भारी संभावना है। प्रमुख भारतीय कंपनियों जैसेकि महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने हाल ही में रूसी बाजार में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। इस क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग में वृद्धि करना सहायक सिद्ध होगा।

रूस से भारत को निर्यात में वृद्धि हेतु संभावित क्षेत्र

3.35 रूसी पक्ष का यह मानना है कि भारत में रूस द्वारा किए जा रहे निर्यात का वर्तमान ढांचा रूस की अर्थव्यवस्था की क्षमता के अनुरूप नहीं है। रूसी पक्ष का मानना है कि कृषि उत्पाद, खनन, मशीनरी आदि जैसे नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में कुछ अवसर उपलब्ध हैं। तथापि, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करने की दृष्टि से व्यापार ढांचे में नए उद्योगों और नूतन उत्पादों को शामिल करना अनिवार्य होगा।

कृषि उत्पाद और संसाधित खाद्य पदार्थ

3.36 अपने विशाल भू-संसाधन के कारण रूस को कृषि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकता है। रूस से भारत को अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है जिनमें मुख्य रूप से खाद्यान्न और वनस्पति तेल शामिल हैं। रूस से भारत को कृषि उत्पादों का निर्यात शुरू करने की दिशा में पहला कदम पहले ही उठाया जा चुका हैः रूसी कंपनियों ने परीक्षण के तौर पर भारत को अपनी खेप भेजी है,- रूसी पक्ष ने सुझाव दिया कि पारस्परिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.37 रूसी पक्ष ने यह कहा कि कृषि क्षेत्र में सहयोग केवल कृषि उत्पादों की खेपें भेजने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। रूसी पक्ष ने इस क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकियों की पेशकश करते हुए कहा कि उदाहरण के लिए भारत में रूसी प्रौद्योगिकी पर आधारित स्पार्कलिंग वाइन प्लांट का प्रचालन आरंभ किया जा सकता है। एक दूसरा क्षेत्र किण्वित दूध उत्पादों का है जिसमें रूस की अपनी प्रौद्योगिकी है जिसे भारत में अपनाया जा सकता है।

मशीनरी

3.38 रूसी पक्ष ने भारत को व्यापक किस्म के मशीन-निर्माण उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने में अपनी रुचि व्यक्त की क्योंकि परंपरागत रूप से रूस की भारी मशीनें भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मद रही हैं और इस निर्यात में वृद्धि करने की और अधिक संभावना विद्यमान है।

3.39 रूसी पक्ष ने यह कहा कि कृषि यंत्रों के रूसी उत्पादक अपने सस्ते किंतु सुरक्षित उत्पादों के लिए जाने जाते हैं। अतः रूसी पक्ष ने यह सुझाव दिया कि भारत को कृषि यंत्रों की आपूर्ति में रूसी कंपनियों की भागीदारी दोनों पक्षों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

3.40 रूसी पक्ष ने यह कहा कि भारत और रूस की परिवहन मशीन निर्माता कंपनियां नई पीढ़ी के इंजन, स्थानीय विद्युतचालित रेलगाड़ी और भूमिगत रेलगाड़ी को विकसित करने में सहयोग करने की संभावना की तलाश करें क्योंकि रूसी रेलवे उद्योग सुधार के दौर से गुजर रहा है तथा प्रमुख

पाश्चात्य कंपनियों के सहयोग से रूस में नई प्रकार की रेलगाड़ियां विकसित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रूस को भूमिगत रेलगाड़ियों के निर्माण का व्यापक अनुभव है।

वायुयान

3.41 रूसी पक्ष का यह मानना है कि उड़ान सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए रूसी परिसंघ की सरकार तथा भारतीय गणराज्य की सरकार के बीच नागरिक विमानन द्वारा यात्रियों और माल (कार्गो) के परिवहन के संबंध में वर्ष 2006 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात भारत में नए प्रकार के रूसी सिविल जेट विमानों और हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति करके/ पट्टे पर देकर वायु परिवहन के क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की संभावना है।

3.42 रूसी पक्ष ने वायुयान इंजीनियरी, पूर्ण चक्र उत्पादन को अपनाने और बाजार संवर्धन, जिसमें अन्य देशों के बाजार भी शामिल हैं, के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने की संभावना पर विचार करने का भी सुझाव दिया।

रसायन उद्योग और उर्वरक

3.43 रूस में उपलब्ध संसाधनों तथा भारत में उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग के बीच अनुपूर्ति की भारी संभावना है। संयुक्त अध्ययन दल ने यह नोट किया कि रूस में उपलब्ध आदानों जैसेकि प्राकृतिक गैस और अन्य संसाधनों पर आधारित संयुक्त निवेश, भारत और रूस के बीच उर्वरक क्षेत्र (विशेषकर अमोनिया-यूरिया, पोटाश, फॉस्फेटिक उर्वरक) में संयुक्त निवेश की संभावना है, और साथ ही भारत द्वारा रूस में उपलब्ध विनिर्माणकारी सुविधाओं से दीर्घकालिक बाई बैक व्यवस्था की संभावना के संबंध में अध्ययन करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, उर्वरकों का निर्यात भारत को रूस द्वारा किए जाने वाले निर्यात का पहले से ही एक उल्लेखनीय हिस्सा बना हुआ है तथा इस क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं विद्यमान हैं।

आयुर्विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी

3.44 रूसी विज्ञान तथा अनुसंधान संगठन एवं उद्यम जैव-प्रौद्योगिकी जैसे विकासशील क्षेत्रों में भारतीय भागीदारों के साथ सहयोग करने में रुचि रखते हैं और उनका लक्ष्य ऐन्टिबायोटिक्स हार्मोनल औषधियों, फरमेंट, एल्ब्यूमिन, पेपटाइडों और विटामिनों के विकास से संबंधित है। रूसी पक्ष नई पीढ़ी की ऐन्टिबायोटिक औषधियों के तैयार प्रमात्रा रूपों के उत्पादन हेतु संयुक्त कार्यक्रम विकसित करने का इच्छुक है।

3.45 रूसी पक्ष ने चिकित्सीय और निवारक उपचार सुविधाओं, सुदूर क्षेत्रों में महामारी की स्थितियों और जन स्वास्थ्य के तत्काल मूल्यांकन हेतु सचल चिकित्सा वाहनों और विशेष चिकित्सा यूनिटों की सेवा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सीय उत्पादों की भारत को सम्मिश्र आपूर्ति करने में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की।

3.46 औषधीय उत्पादों के क्षेत्र में रूसी पक्ष द्वारा प्रतिरक्षी-जैविक औषधियों जैसेकि पोलियोमाइलिटिस, रोसियोला आदि से बचाव के लिए टीकों के विकास, उत्पादन और सुपुर्दगी के संबंध में प्रस्ताव किया। रूस को पशु चिकित्सा से संबंधित औषधीय उत्पादों के उत्पादन का व्यापक अनुभव है जिसे भारतीय बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है।

धातुकर्म

3.47 दोनों पक्ष ऐसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों में रुचि रखते हैं जिनका भारतीय धातुकर्म उद्योग के निर्माण और आधुनिकीकरण में प्रयोग किया जा सकता है। रूसी पक्ष लौह और अलौह धातुकर्म और साथ ही

धातुकर्म से संबंधित संयुक्त परियोजनाओं में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्यमों के साथ सहयोग में वृद्धि करने में रुचि रखता है।

खनन

3.48 भारत में कोकिंग कोल की पर्याप्त मांग है जिसमें रूस द्वारा अवसर की पेशकश की गई है। इसके अतिरिक्त, रूसी निवेशक भारत में कोयला खनन क्षेत्र में भाग लेने के लिए तैयार हैं। टिटैनियम डाइऑक्साइड और टिटैनियम स्पंज का उत्पादन एक अन्य क्षेत्र है जिसमें रूसी कंपनियां विश्व बाजार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और भारत अयस्कों का एक अच्छा स्रोत है। इस क्षेत्र में संयुक्त कार्य की संभावनाओं की तलाश की जाए। खनन उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में रूसी और भारतीय कंपनियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की भी आवश्यकता है।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में सहयोग

3.49 वर्ष 2006 के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने की संभावना है। भारत और रूस हीरे के क्षेत्र में एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक भागीदार के रूप में कार्य करते रहे हैं। भारत रूक्ष हीरे का सबसे बड़ा प्रक्रमक देश है। भारत प्रति वर्ष लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के रूक्ष हीरे का आयात करता है जबकि रूस में प्रति वर्ष 2.5 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के रूक्ष हीरे का उत्पादन किया जाता है। भारतीय हीरा प्रक्रमण उद्योग के लिए रूक्ष हीरे की सीधी और नियमित आपूर्ति अपेक्षित है जिनका इस देश में प्रक्रमण और मूल्ययोजन किया जाता है। मुख्य रूसी हीरा खनन और निर्यात एजेंसी (एलरोसा) को रूक्ष हीरे की पालिश करने के लिए वैकल्पिक एजेंसियों की तलाश करनी पड़ती है तथा इस क्षेत्र में भारत को स्पष्टतः हिस्सेदारी प्राप्त हुई है जिसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय पक्ष का यह मानना है कि भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जीजेईपीसी) द्वारा प्रायोजित डायमंड इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग द्वारा एमएमटीसी लिमिटेड तथा ''एलरोसा'' के बीच सहयोग इन दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने का एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

3.50 वर्तमान में रूस विश्व में हाइड्रोकार्बनों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। अतः रूस की प्रमुख कंपनियों के पास पाइपलाइन निर्माण जैसी बड़ी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए संसाधन और प्रौद्योगिकी दोनों उपलब्ध हैं। रूसी ''रोस्नेफ्ट'' और ओएनजीसी के बीच सहयोग हेतु ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना इस क्षेत्र में रूसी-भारतीय सहयोग को विकसित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। भारतीय पक्ष का यह मानना है कि सखालिन और पूर्वी साइबेरिया स्थित रूसी आरक्षित भंडारों से तेल और एलएनजी की आपूर्ति में वृद्धि होने की संभावना है।

3.51 इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत में विद्यमान विद्युत आपूर्ति संयंत्रों के पुनर्निर्माण में तथा नए विद्युत आपूर्ति संयंत्रों (नाभिकीय, ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों) के निर्माण में रूसी कंपनियों द्वारा सहयोग पर विचार किया जा सकता है।

व्यापार संबंधी बाधाएं तथा इन बाधाओं को दूर करने के उपाय

3.52 भारत और रूस के बीच निम्न स्तरीय द्विपक्षीय व्यापार के लिए अनेक समस्याओं को उत्तरदायी माना गया है। द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में ऐसी कुछ सामान्य बाधाओं और इन्हें दूर करने के लिए सुझाए गए उपायों का ब्योरा निम्नवत है:

परिवहन तथा संभारतंत्र

3.53 1991 के बाद रूस के साथ भारत का व्यापार नोबोरोसिस्क और सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से हो रहा था। 1990 के दशक के दौरान नोबोरोसिस्क स्थित सीमित सुविधाओं के समक्ष लंबी कतारें और भारी मांग की समस्या उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप रूस को जाने वाले यातायात को यूक्रेन स्थित बंदरगाहों से डाइवर्ट किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में प्रवेश का पसंदीदा बंदरगाह बन गया - तथापि, यह बंदरगाह अत्यधिक महंगा था और यहां सीमाशुल्क संबंधी प्रक्रियाओं से निपटना भी कठिन था। तथापि, समस्याओं से निपटने वाली एजेंसियों और संरक्षक एजेंसियों ने यह आश्वासन दिया कि दोनों बंदरगाह पूरे वर्ष भर अभिगम्य होंगे, किंतु सर्दी के दौरान इन बंदरगाहों में पानी का जम जाना वाणिज्य हेतु अतिरिक्त कठिनाई बना। रूसी बंदरगाहों में विलंब शुल्क की भारी लागत तथा अत्यधिक खर्चीले और अनुचित भंडारण शुल्क जैसी समस्याओं के कारण अन्य देशों के माध्यम से व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप रूस को जाने वाले मार्ग वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरते हैं जिसके फलस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन मार्गों में दुबई और हैम्बर्ग स्थित एजेंट भी शामिल हैं जो आयातकों के रूप में कार्य करते हैं और जो अनेक देशों के साथ सामान्य माल व्यापार के हिस्से के रूप में इन वस्तुओं को रूस को पुनः निर्यात कर देते हैं। रूस को जाने वाले माल तालिन और रिगा से होकर भी गुजरते हैं।

3.54 रूसी पक्ष ने यह कहा कि रूसी कंपनियों को कुछ भारतीय बंदरगाहों पर स्थित सुविधाओं का प्रयोग करने में और अपना माल उतार कर वापस लौटने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय पक्ष ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु वहां उपस्थित सुविधाओं और अपेक्षित अवसंरचना को अपग्रेड करने के लिए प्रमुख उपाय किए गए हैं।

3.55 जहां तक रूस और भारतीय कंपनियों द्वारा अन्य देशों के बंदरगाहों के माध्यम से माल के परिवहन को पसंद करने का संबंध है, रूस और भारत को इस प्रथा की अधिक सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए ताकि इसके कारणों को समझा जा सके।

3.56 रूसी पक्ष ने यह सूचित किया कि इस वर्ष रूसी सरकार बंदरगाहों में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित विधेयक पर विचार करेगी। यह आशा है कि वर्ष 2007 में संबंधित कानून लागू हो जाएगा। इस प्रकार के विशेष आर्थिक जोन से इन जोनों में रहने वाले निवासियों द्वारा निवेश किए जाने के कारण मुख्य रूसी बंदरगाहों पर स्थित अवसंरचनाओं को उन्नत बनाने में सहायता प्राप्त होगी। अतः नोरोसिस्क और सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाहों में लगने वाली लंबी कतारों और सीमित सुविधाओं की समस्याओं का क्रमशः समाधान हो जाएगा।

3.57 यह रूस और भारत के बीच एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा (आईटीसी) स्थापित करने के उपायों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के महत्त्व पर भी प्रकाश डालता है। नॉर्थ-साउथ आईटीसी की स्थापना और परवर्ती प्रभावी कार्यकरण परिवहन समस्या के समाधान की दिशा में एक अतिरिक्त कदम होगा। नॉर्थ-साउथ आईटीसी की स्थापना काफी हद तक रूसी परिसंघ के कैस्पियन स्थित क्षेत्रों द्वारा इस परियोजना को लागू करने के संबंध में किए जाने वाले समेकित प्रयासों तथा रूस, भारत, ईरान और अन्य स्टेकहोल्डरों द्वारा अपेक्षित ढांचा, विशेषकर पारगमन प्रक्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की दिशा में किए जाने वाले सहयोग

पर निर्भर करता है। नॉर्थ-साउथ आईटीसी कंटेनर शिपमेंट पर आधारित है जो कैस्पियन सागर, ईरान और अरब सागर से होकर भेजे जाते हैं।

3.58 अतः नॉर्थ-साउथ आईटीसी के जरिए कार्गो के परिवहन के लिए अपेक्षित स्तर की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस मार्ग से कंटेनरों की आवाजाही हेतु निरापद व्यवस्था विकसित करके इस कॉरिडोर को उपयोग में लाने के लिए विद्यमान बाधाओं को समाप्त करने को एक दीर्घकालिक उद्देश्य समझा जाए।

3.59 नॉर्थ-साउथ आईटीसी में प्रगति लाने के लिए किए गए अनेक उपायों को सिफारिशों में सूचीबद्ध किया गया है।

3.60 महंगे और शीघ्र नष्ट होने वाले माल की ढुलाई के लिए हवाई संपर्कों को विकसित करने की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता है।

भाषा तथा सूचना संबंधी बाधाएं

3.61 भारतीय और रूसी व्यावसायिकों के बीच सूचना के कम आदान-प्रदान के कारण द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ है। फिक्की, सीआईआई और भारत-सीआईएस वाणिज्य मंडल द्वारा सरकारी एजेंसियों और रूस के वाणिज्य मंडल के सहयोग से अनेक प्रदर्शनियां और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। भारत और रूस में आयोजित व्यापार मेलों में निजी व्यावसायिक प्रतिनिधियों की अधिक सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए और इस प्रकार के मेले अधिकाधिक प्रमुख रूसी और भारतीय शहरों में आयोजित किए जाएं तथा रूस और भारत के बीच सुदृढ़ व्यापार को विकसित करने के लिए सभी संभावित क्षेत्रों को इनमें शामिल किया जाए। बाधाओं की पहचान करने में सहायता के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार मेलों में प्रतिभागियों के साथ नियमित रूप से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाए ताकि व्यापारिक संबंधों की स्थापना में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं की पहचान की जा सके। एक-दूसरे के देश में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भाषा भी एक नियमित बाधा बनी हुई है।

3.62 संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की गई है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संभावनायुक्त परियोजनाओं के बारे में नियमित आधार पर सूचना का आदान प्रदान करना आवश्यक है तथा रूस और भारत में व्यापार के अवसरों के संबंध में सूचना का नियमित आधार पर आदान-प्रदान करने के लिए एक सूचना माध्यम स्थापित किया जाए। यह कार्य दोनों पक्षों के जाने-पहचाने ख्यातिप्राप्त व्यापारिक निकायों और प्रमुख क्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच सूचना के नियमित आदान-प्रदान द्वारा किया जा सकता है।

3.63 विशेषकर, संयुक्त अध्ययन दल का यह मानना है कि भारत और रूस में आमंत्रित किए जाने वाली सरकार द्वारा प्रायोजित निविदाओं के संबंध में सूचना का अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के मिशनों के वाणिज्यिक स्कंधों की क्षमता का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है। सूचना के पारस्परिक आदान-प्रदान के माध्यम से पारदर्शिता लाना द्विपक्षीय वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों की सफलता की कुंजी है। संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि संबंधित सरकारी विभागों और व्यापारिक निकायों के बीच बाजार, कानूनी स्थिति, व्यापार नीतियों, निवेश अवसरों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जाए। दोनों देशों में व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए कानूनी स्थितियों के संबंध में सूचना प्रदान करने वाली, व्यापार तथा निवेश संबंधों को स्थापित करने हेतु शर्तों, बाजार सूचना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों, सीमाशुल्क संबंधी नियमों आदि से संबंधित वेबसाइट को पूर्णतः कार्यशील बनाया जाए।

व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) - प्रमाणन, मानक एवं विनियम

3.64 तकनीकी उत्पाद अपेक्षाओं, सर्वप्रथम अनिवार्य अपेक्षाओं में, और राष्ट्र विशिष्ट अनुरूपता-रेटिंग नियमों और प्रक्रियाओं में अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उल्लेखनीय बाधा है जिन्हें व्यापार प्रतिबंधों का विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है, तथाकथित ''व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाएं (टीबीटी)'' या ''स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय (एसपीएस)'' है जिन्हें विशिष्ट प्रयोजन हेतु किए गए डब्ल्यूटीओ करारों द्वारा शासित किया जाता है जैसेकि तकनीकी बाधा संबंधी करार तथा स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के संबंध में व्यापार और करार।

3.65 संयुक्त अध्ययन दल का यह मानना है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दोनों देशों के बीच तकनीकी विनियमों और मानकों की अनुरूपता में सुधार लाने के लिए दिशानिर्देशों और सिफारिशों पर आधारित होने चाहिए। भारत द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि भारत द्वारा रूस को निर्यात के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु रूसी प्राधिकरण भारत की सरकारी निर्यात निरीक्षण एजेंसी या किसी अन्य प्रमाणन एजेंसी को मान्यता प्राप्त करे और उसके साथ तकनीकी सहयोग स्थापित करे। यह भी कहा गया कि भारत और रूस दोनों देशों के बीच व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों और विशेषकर पंजीकरण से संबंधित नियमों/विनियमों के संबंध में संगत सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराए। भारतीय पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि औषधीय उत्पादों, मांस और कुक्कुट उत्पादों, डेयरी उत्पादों, जंतु मूल के अन्य उत्पादों और अन्य संगत खाद्य पदार्थों और अन्य उत्पादों जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों के संबंध में अनुरूपता मूल्यांकन (सीए) और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानक संबंधी समतुल्यता के बारे में भारत और रूस द्वारा एक एमआरए करने की संभावना की तलाश करने की आवश्यकता है। संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह नोट किया गया कि इस प्रयोजनार्थ दोनों देशों की संगत एजेंसियों के बीच बृहत्तर तकनीकी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3.66 भारत में 100 से भी अधिक विशिष्ट वस्तुएं (जिनमें खाद्य परिरक्षक और योजक, दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, कुछ प्रकार के सीमेंट, घरेलू तथा इसी प्रकार के वैद्युत उपकरण, गैस सिलेंडर, टायर और बहु-उद्देश्यीय शुष्क सेल बैटरियां शामिल हैं) जिनके संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा इन उत्पादों को देश में प्रवेश करने की अनुमति देने से पूर्व प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है। अब एक ऐसी व्यवस्था विद्यमान है जिसके द्वारा विदेशी कंपनियां भारत से बाहर निर्मित उत्पादों के लिए स्वतः प्रमाणन प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले उत्पादन सुविधा का निरीक्षण किया हो (विनिर्माता के व्यय पर) और लाइसेंस प्रदान किया हो। लाइसेंस शुल्क में आरंभिक निरीक्षक के दौरे और परीक्षणों की लागत, लगभग 2000 पाउंड का वार्षिक शुल्क और भारत में आयातित या उत्पादित प्रमाणित वस्तुओं के मूल्य के 0.2% से 1% के बीच चिह्नन शुल्क शामिल है। भावी रूसी निर्यातकों को इस अपेक्षा के संबंध में सूचित किया जा सकता है।

व्यापार संबंधी अन्य गैर-प्रशुल्क बाधाएं

3.67 ऋण चुकाने से भिन्न रूस से किए जाने वाले सभी व्यापार रूसी बैंक में एक साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी) शुरू करने पर निर्भर करता है। परंपरागत रूप से रूस का केंद्रीय बैंक अपने किसी भी बैंक को भारत में न्यास स्थापित करने के दर्जे की गारंटी प्रदान नहीं करता। इसके साथ ही, भारतीय बैंक ऐसी गारंटी के बिना रूसी वाणिज्यिक बैंकों को तदनुरूपी खाता खोलने और लेटर ऑफ क्रेडिट स्वीकार करने के लिए मान्यता प्रदान नहीं करता है।, भारतीय और रूसी अनेक कंपनियां यह शिकायत करती हैं कि यह स्थिति वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत और समय में वृद्धि करके दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। यह बताया गया कि दो केंद्रीय बैंकों ने रूसी बैंकों की गारंटी को स्वीकार करने की प्रक्रिया को अनुमति प्रदान

की है और दस शीर्षस्थ रूसी बैंकों की सूची भारतीय बैंको को परिचालित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के समक्ष भारतीय बैंकों के एक शिष्टमंडल को रूसी बैंकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए रूस भेजने का प्रस्ताव किया है। तथापि, गारंटी को स्वीकार करना दोनों देशों के बीच के पारस्परिक संबंध और प्रत्येक सदस्य बैंक के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करेगा।

3.68 भारतीय पक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि रूस का दौरा करने के इच्छुक भारतीय व्यावसायिकों के लिए वीजा संबंधी नियमों में प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। इन दिनों, वीजा के लिए पूर्ण आवास संबंधी गारंटी और चिकित्सीय बीमा आवश्यक है जो उन व्यावसायिकों के लिए एक कठिन बात है जो मानक रूसी होटलों में ठहरने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए उच्च शुल्कों का भुगतान करना कठिन समझते हैं। इसके लिए संगत रूसी मंत्रालय के माध्यम से एक आमंत्रण पत्र भेजना भी अपेक्षित है। कार्य और रोजगार वीजा के लिए दो चरणों की एक प्रक्रिया अपेक्षित है जिसमें कर्मचारी को रूस में उपस्थित होना, आवास की व्यवस्था करना, गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जांच करवाना और तब कार्य वीजा जारी कराने के लिए अपने गृह देश में वापस लौटना पड़ता है। उद्यमियों के लिए वीजा संबंधी औपचारिकताओं को त्वरित करने के लिए भारतीय पक्षकार का यह मानना है कि त्वरित वीजा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पात्र घोषित करने की दृष्टि से संबंधित श्रेणी की पहचान करने के लिए रूस द्वारा सुस्पष्ट मानदंड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

3.69 रूसी पक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि भारत रूस के साथ रेड मिशन संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अभी सहमत नहीं हुआ है जिसे रूसी पक्ष वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक पूर्वापेक्षा समझता है और वे यह महसूस करते हैं कि इस संबंध में यथासंभव शीघ्र वार्ता शुरू की जानी चाहिए। भारतीय पक्ष का यह प्रस्ताव है कि उद्यमीय और व्यावसायिकों के लिए वीजा औपचारिकताओं को त्वरित बनाने की दृष्टि से विशेष प्रक्रियाएं विकसित की जानी चाहिए। रूस का दौरा करने वाले भारतीय व्यावसायिकों को रूसी वीजा प्रदान करने के लिए भारत के व्यापार निकायों या निर्यात संवर्धन परिषदों की सिफारिशों को पर्याप्त समझा जाए।

प्रशुल्क संबंधी बाधाएं

भारतीय पक्ष द्वारा पहचानी गई रूसी व्यवस्था की समस्याएं

3.70 रूस में लागू मानक प्रशुल्क प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं और उनके साथ टिप्पणियों का एक सेट भी जारी किया गया है। टिप्पणियों का यह सेट समस्याओं का सूचक है। क्योंकि, हालांकि ये उपयुक्ततः व्यापक हैं, किंतु ये नवप्रवर्तन उपस्थित करने वाले उत्पादों (उदाहरण के लिए वस्त्र और मसालों, या जैविक इंजीनियरी वाली वस्तुओं किंतु कुल मिलाकर अधिकांश वस्तुओं के लिए) के एक व्यापक रेंज को कवर नहीं कर सकते और नहीं करते। अपील करने की व्यवस्था को समझना कठिन है और काफी भ्रामक भी है - जबकि ये समस्याएं प्रत्याशित हैं और इनसे संबंधित मुद्दों को मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग स्थित सीमाशुल्क प्रशासन कार्यालय के समक्ष उठाया जा चुका है।

3.71 रूस में कुछ श्रेणी की वस्तुओं के संबंध में प्रशुल्क की दर काफी उच्च है (जैसाकि कुछ वस्तुओं और मशीनों के संबंध में यह दर 20% या इससे भी अधिक है)। भारत जैसे देश के लिए जिसे समीपता का लाभ उपलब्ध नहीं है, इसके कारण बाजार पहुंच संभव नहीं है। इन श्रेणियों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऑटोमोबाइलों पर तुलनात्मक रूप से उच्च प्रशुल्क (25%) जो रूस में स्थित भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा की जा रही क्रमिक पहलों को कठिन बना रहे हैं।

- थोक चाय (5%) की तुलना में पैकेज में रखी चाय (20%) पर अधिक आयात शुल्क निर्धारित किया गया है जो अच्छी किस्म के पैकेज युक्त भारतीय चाय के रूस में निर्यात को हतोत्साहित करता है।

- रूस में तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे, स्वर्ण आभूषण, रंगीन रत्न और मोती के लिए आयात शुल्क 20% है जो अधिक है। भारत में यह शुल्क या तो शून्य (रूक्ष हीरे और बहुमूल्य पत्थरों के संबंध में) या 5% (तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे तथा रंगीन रत्न) है। बहुमूल्य धातु आभूषण के मामले में यह दर 13.88% है तथा ब्रांडेड आभूषणों के संबंध में यह दर 16.24% है।

रूसी पक्ष द्वारा पहचानी गई भारतीय व्यवस्था की समस्याएं

3.72 भारत सरकार द्वारा आयात पर लागू होने वाले प्रशुल्कों और अतिरिक्त कर दरों को प्रकाशित किया गया है। किंतु यहां एक भी ऐसा सरकारी प्रकाशन नहीं है जिसमें आयात संबंधी सभी प्रशुल्कों, शुल्कों और कर दरों से संबंधित समग्र सूचनाएं निहित हों। आयातक वर्तमान प्रशुल्क और कर दरों के संबंध में निर्धारण करने के लिए पृथक प्रशुल्क और उत्पाद कर अनुसूची तथा साथ ही, कोई अन्य प्रयोज्य अतिरिक्त सार्वजनिक अधिसूचनाओं और नोटिसों का संदर्भ लेकर मौजूदा प्रशुल्क और कर दरों का निर्धारण कर सकता है। वस्तुओं पर जिस दर से सीमाशुल्क लगाया जाता है, वह सीमाशुल्क प्रशुल्क के अंतर्गत निर्धारित किए गए वस्तुओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है। सीमाशुल्क प्रशुल्क प्रायः नामकरण की समन्वित प्रणाली (एचएसएल) से अलग होता है। वस्तुओं पर आरोपित उत्पाद शुल्क की दर उत्पाद प्रशुल्क के अंतर्गत वस्तुओं के वर्गीकरण पर भी निर्भर करती है जो मुख्य रूप से एचएसएन पर आधारित है।

3.73 कृषिजन्य पदार्थों और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क 9.3% से 110.1% तक - विनिर्मित मृदु पेय पदार्थों (कोड 2106 90) के लिए सिरप और सांद्र पदार्थों पर आयात शुल्क 206.4% से 264.5% तक, पृथक तम्बाकू मिश्रणों (कोड 2403 10 20) पर आयात शुल्क 471.9% है। रासायनिक वस्तुओं (कोड 28-29, 38) पर आयात शुल्क 36.7%, उर्वरकों (कोड 31) पर जो रूसी निर्यात की एक आधारभूत सामग्री है, आयात शुल्क 17.3% से अधिक नहीं है किंतु यह अभी भी उच्च दर पर है। रूस द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं जैसेकि हीरा (कोड 7102) और सोना (कोड 7108) पर आयात शुल्क 17.3% और 36.7% है तथा कोयला (कोड 4401-4402) पर आयात शुल्क 9.3% निर्धारित किया गया है। लौह धातुओं (कोड 72) पर आयात शुल्क की दर 27.5% से 30.6%, अलौह धातुओं पर 27.5% {निकल और सीसा (कोड 75 और 78) पर} से 36.7% {तांबा, ऐलुमिनियम और जस्ता (कोड 74, 76 और 79) पर} तक।

3.74 मशीन, उपकरण, वाहन और साथ ही यंत्रों के उत्पादन पर आयात शुल्क 17.3% से लेकर 36.7% तक है। इस संबंध में कार्गो और हवाई यात्री (10 यात्रियों से अधिक) मोटर परिवहन (कोड 8702, 8704, 8706), ऑटोमोबाइल और विशेष कार (कोड 8703) और साथ ही, मोटरसाइकिलों और मोटर स्कूटरों (कोड 8711) को अपवादस्वरूप रखा गया है। इन वस्तुओं पर आयात शुल्क की दरें 46.5%, 162.0% और 144.7% हैं। अतः भारतीय पक्ष पर आयात शुल्क भारत को रूसी निर्यात के विविधीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

3.75 रूसी पक्ष द्वारा उल्लिखित प्रशुल्क संबंधी समस्याओं के प्रतिक्रियास्वरूप भारतीय पक्ष द्वारा यह कहा गया कि कृषिजन्य और साथ ही गैर-कृषिजन्य उत्पादों के संबंध में प्रशुल्क विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में काफी कम हैं। उपर्युक्त कतिपय मदों के संबंध में उल्लिखित शुल्क सही नहीं हैं और इनमें काउंटर वेलिंग (सीवी) प्रशुल्क शामिल हैं। सीवी प्रशुल्क (जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए पारिभाषित शब्दों की सूची में राज सहायता विरोधी सीवी प्रशुल्क

नहीं हैं) आयातित वस्तुओं पर उसी दर पर आरोपित किया जाता है जो दर स्वदेश-निर्मित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर है। ये शुल्क दरें विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित दरों के तुल्य हैं और ये आरटीए की परिधि के भीतर नहीं आतीं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पक्ष ने निम्निलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालाः

- भारत की कर व्यवस्था अत्यधिक सरल और पारदर्शी है। भारत की सरकार का यह सुस्पष्ट उद्देश्य है कि आयात शुल्कों में कमी लाई जाए ताकि उन्हें हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई पड़ोसी देशों के समरूप स्तर पर लाया जा सके।

- इस नीति के अनुरूप सीमाशुल्क की दरों में गत अवधि के दौरान कमी की गई है और इसे 1990-91 के 300% की उच्चतर दर से घटाकर 2007-08 में 10% की दर पर लाया गया है। प्रमुख सीमाशुल्क दरों की संख्या 1990-91 में 22 थी जो घटकर 2007-08 में 3 हो गई है।

- जहां तक प्रशुल्क का संबंध है, अधिकांश गैर-कृषि उत्पादों का उच्चतम समरूप प्रशुल्क दर 10% है। कुछ प्रकार की बुनियादी कच्ची सामग्रियों/मध्यवर्ती सामग्रियों जैसेकि बहुलकों, लौह मिश्रधातुओं तथा अलौह धातुओं, कार्बनिक रसायनों का प्रशुल्क काफी कम अर्थात 7.5%/5% है।

- अधिकांश कृषि उत्पादों का प्रशुल्क दर एकसमान 30% है। कुछ कृषिजन्य वस्तुओं का प्रशुल्क उच्च दर पर है ताकि हमारे घरेलू किसानों, जिनके लिए ये वस्तुएं आजीविका के साधन हैं, को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

- शुल्क संरचना में इस वर्ष किए गए परिवर्तनों से गैर-कृषि उत्पादों के संबंध में भारत का सरल औसत प्रशुल्क (सभी 8 - अंक पंक्तियों के लिए प्रभावी दरों का समानांतर औसत) 9.4% है।

- सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों, प्रशुल्क वर्गीकरण तथा छूट/रियायत, लागू अधिसूचना और साथ ही समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना के संबंध में संपूर्ण विवरण भारतीय वेबसाइट (www.cbec.gov.in) पर उपलब्ध है। बाद में जारी किए गए परिपत्रों और स्पष्टीकरणों को भी तत्काल इस वेबसाइट पर डाल दिया जाता है।

व्यापार को सुकर बनाना तथा सीमाशुल्क सहयोग

3.76 दोनों देशों में सीमाशुल्क प्रशासनों द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उनमें अनेक समानताएं हैं। दोनों देश प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापार की मांग के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य से दोनों देशों के सीमाशुल्क विभागों ने अपने प्रचालनों में पर्याप्त आधुनिकीकरण का समावेश किया है और इनके पास इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के आदान-प्रदान हेतु अपेक्षित संसाधन और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं और दोनों ही देश सीमाशुल्क नियंत्रण की आधुनिक विधियों और रूपों में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। इस संदर्भ में भारतीय और रूसी कस्टम विभागों की भागीदारी से (क) व्यापार को सुकर बनाने हेतु उपायों, (ख) प्रवर्तन उपकरणों, (ग) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अपेक्षित अवसर उपलब्ध होगा।

3.77 भारत इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ो के पारस्परिक विनिमय (ईडीआई) प्रणाली द्वारा पोषित सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप कस्टम क्रियाविधियों को लाने के लिए गत वर्षों से प्रयासरत रहा है जिसके अंतर्गत योग्यताप्राप्त आयातकों के लिए एक त्वरित कार्य करने की स्कीम शुरू की गई है और उन्हें स्वतः शुल्क आकलन आधार पर शुल्क का भुगतान करने और आयातित वस्तुओं का कस्टम क्लियरेंस करवाने की अनुमति प्रदान की गई है। विगत के निष्पादन के आधार पर अभिज्ञात योग्य आयातकों के आयातित माल को निरीक्षण से छूट देने के लिए एक ग्रीन चैनल की सुविधा भी

शुरू की गई है। व्यापारियों को उनके दस्तावेजों की स्थिति सुनिश्चित करने में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पोंस प्रणाली (आईवीआरएस) तथा टच स्क्रीन कियोस्क स्थापित किए गए हैं। व्यापार के संवर्धन के लिए दोनों देशों के बीच उद्गम सत्यापन, माल की लदाई के बाद पारगमन, विवादों के निपटान में सहयोग के लिए सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान अनिवार्य है। अधिक दक्ष और सरल सीमाशुल्क प्रक्रियाओं को अपनाने से ही बंदरगाहों पर विलंब शुल्क को कम किया जा सकता है। भारतीय सीमाशुल्क विभाग ने भारतीय सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) के लिए गेट-वे (आईसीई जीएटीई) विकसित किया है। आईसीई जीएटीई एक पोर्टल है जो आयातकों, निर्यातकों, कस्टम हाउस एजेंटों और कार्गो कॅरियरों तथा सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अन्य ग्राहकों को ई-फिलिंग सेवाएं प्रदान करता है।

3.78 रूस में, लाइसेंस प्रदान करने की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से संगत संघीय कानून में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है ताकि लाइसेंस के अध्यधीन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की संख्या में कमी की जा सके। इस कानून पर रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति द्वारा 07 जुलाई, 2005 को हस्ताक्षर किए गए। 09 दिसंबर, 2003 संख्या 164-एफजैड के ''निर्यात/आयात क्रियाकलापों के सार्वजनिक नियंत्रण के आधारभूत तत्त्वों'' विषय पर संघीय कानून के उपबंधों को लागू करने की दृष्टि से रूसी परिसंघ की कस्टम सीमा के पार लाइसेंसयोग्य और नियंत्रणाधीन वस्तुओं की आवाजाही के संबंध में प्रतिबंधों के अनुपालन की जांच और सत्यापन हेतु एकल राज्य स्वचालित सूचना प्रणाली की संकल्पना विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूसी पक्ष ने यह व्यक्त किया कि इन उपायों के फलस्वरूप रूस में लाइसेंस प्राप्त करने और उत्पादन का निर्यात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्याप्त सरलीकरण हुआ है।

प्रतिपाटन तथा सुरक्षा उपाय

3.79 रूस और भारत दोनों मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य के प्रति सहयोग करने की आवश्यकता में विश्वास करते हैं। इस संबंध में संयुक्त अध्ययन दल का यह मानना है कि दोनों देश प्रतिपाटन, राज सहायता तथा सुरक्षोपाय के संबंध में विश्व व्यापार संगठन करारों के अंतर्गत देशों के अधिकारों और दायित्वों का सम्मान करते हैं।

निष्कर्ष तथा भावी योजना

3.80 वर्तमान में, दोनों देशों के व्यापार प्रोफाइल के लिए भारत-रूसी व्यापार का सीमांत महत्त्व है (औसतन 1% या कम)। रूस को किए जाने वाले भारतीय निर्यात के विशिष्ट मामलों में क्षमता के बावजूद अनेक मदों के संबंध में व्यापार में स्थिरता या तीव्र कमी दिखाई पड़ रही है जबकि रूस से भारतीय आयात में अनेक वस्तुओं जिनमें प्रमुख रूप से लौह और अलौह धातुओं का आयात शामिल है, में समग्रतः वृद्धि दिखाई दे रही है।

3.81 परंपरागत मदों के मामले में संभारतंत्र और परिवहन संबंधी कठिनाइयों के बावजूद और यूरोपीय संघ तथा चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों के होते हुए भी सुधार की पर्याप्त संभावना विद्यमान है। तथापि, वस्तु व्यापार में विकास को इन क्षेत्रों में व्यापार संबंधी बाधाओं के रूप में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं को दूर करने तथा दोनों देशों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बीच बृहत्तर सूचनाओं का आदान तथा पारस्परिक संबंध विकसित करने से द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक संवर्धन प्राप्त होगा।

3.82 विश्व व्यापार संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्ता मानक, प्रमाणन अपेक्षाएं आदि के संबंध में अनुरूपता मूल्यांकन और तुल्यता आदि के संबंध में एमआरए के माध्यम से पारस्परिक सहमति बनाई जाए ताकि तकनीकी बाधाओं के कारण द्विपक्षीय व्यापार बाधित न हो।

3.83 कुछ ऐसे क्षेत्र जिसके संबंध में यहां उल्लेख नहीं किया गया है, में भी व्यापार में वृद्धि की पर्याप्त संभावना उपलब्ध है। यह मुख्य रूप से मशीनरी निर्यात; ऑटोमोबाइल; रत्न और आभूषण; और कृषिजन्य तथा खाद्य उत्पादों के निर्यात से संबंधित है। प्रशुल्क दरों के युक्तिकरण, संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था करने से इन क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

3.84 हाल में की गई पहलों के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में और अधिक सहयोग की आशा है।

भारत और रूस के बीच वस्तु व्यापार में वृद्धि करने हेतु सिफारिशें

3.85 संयुक्त अध्ययन दल ने भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2010 तक बढ़ाकर 10 बिलियन अमेरिकी डालर तक करने के लिए उपायों की एक सूची तैयार की है। वस्तु व्यापार से संबंधित संगत सिफारिशों का नीचे उल्लेख किया गया हैः

सामान्य उपाय

3.86 **सूचना के आदान-प्रदान में सुधार लाने के लिए लक्षित उपायः**

- उद्योग विशिष्ट मेलों और प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों का आयोजन जिनमें दोनों पक्षों के व्यावसायिक समुदायों द्वारा भाग लिया जाए।
- सूचना का आदान-प्रदान अंग्रेजी भाषा में किया जाए ताकि दोनों देशों के बीच भाषा संबंधी बाधाएं दूर की जा सकें।
- निम्नलिखित के संबंध में अंग्रेजी और रूसी दोनों भाषाओं में सूचना प्रदान करने के लिए एक इंटरनेट वेबसाइट आरंभ करनाः
  - रूस और भारत में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश हेतु अवसर;
  - सांविधिक ढांचा, प्रक्रिया, प्रमाणन प्रक्रिया, मानक आदि;
  - मेलों और प्रदर्शियों के लिए तिथि और स्थान;
  - भारत और रूस दोनों में संघीय और क्षेत्रीय सरकारों की परियोजनाएं और निविदाएं;
  - भारत और रूस में विशिष्ट उत्पादों के क्रेताओं और विक्रेताओं की सूची।
- दोनों देशों में आर्थिक परिवेश के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए भारतीय पत्रकारों के रूस में और रूसी पत्रकारों के भारत में दौरे आयोजित करना ताकि एक-दूसरे के देश में अधिक विश्वास सृजित किया जा सके।
- दोनों देशों में व्यावसायिक पद्धतियों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत-रूस सेमिनार आयोजित करना।
- रूस और भारत में उपलब्ध व्यवसाय अवसरों के संबंध में सूचना के नियमित आधार पर परिचालन के लिए व्यापारिक निकायों और एजेंसियों की पहचान करना। यह सहमति हुई कि व्यापार से संबंधित सूचनाएं, विशेषकर निविदाओं से संबंधित सूचनाएं इन संगठनों को अंग्रेजी में नियमित रूप से भेजी जाएं। भारतीय पक्ष की ओर से ये एजेंसियां भारतीय दूतावास, मास्को, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, इंडिया, सीआईएस वाणिज्य मंडल, निर्यात संवर्धन परिषद् आदि

हैं। रूसी पक्ष की ओर से ये एजेंसियां भारत स्थित रूसी व्यापार प्रतिनिधिक कार्यालय, रूसी-भारत व्यवसाय परिषद्, रशियन यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड आंत्रप्रन्योर्स, रशियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदि हैं।

- भारत-रूसी व्यवसाय परिषद् के क्रियाकलापों के हिस्से के रूप में विशिष्ट उद्योगों के अनुसार रूसी और भारतीय व्यवसायों की नियमित बैठकों के आयोजन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- भारत में रशियन ट्रेड हाउस तथा रूस में इंडिया ट्रेड हाउस की स्थापना करना।

3.87 **वीजा संबंधी प्रक्रिया**

- भारत और रूस के बीच वीजा व्यवस्था विशेषकर व्यवसाय और कार्य वीजा से संबंधित व्यवस्था को सरल बनाने के लिए परस्पर स्वीकार्य समाधान के आधार पर विचार-विमर्श करना।

3.88 **सीमाशुल्क और सांख्यिकी सहयोग**

- दोनों देशों के बीच मौजूदा सीमाशुल्क सहयोग करार के अंतर्गत दोनों देशों के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बीच नियमित रूप से सूचना का आदान-प्रदान करना।
- दोनों देशों के बीच कार्गो के पहुंचने से पहले सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रोटोकोल लागू करना।
- दोनों देशों के सांख्यिकीय अधिकारियों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में आंकड़ों के आदान-प्रदान की गति को तीव्र करना।

3.89 **व्यापार संबंधी अनौपचारिक बाधाओं को दूर करनाः**

- लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के परामर्श से बैंकों की एक सूची तैयार करना।
- अनुरूपता मूल्यांकन और तुल्यता संबंधी पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानक संबंधी करार की संभावना पर विचार करना।
- प्रमाणन एजेंसियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को अभिज्ञात करने तथा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को परस्पर मान्यता प्रदान करने के लिए भारत और रूसी पक्षों के संबंधित तकनीकी निकायों के बीच सहयोग स्थापित करना।
- प्रमाणन हेतु प्रक्रिया को सरल और छोटा बनाना।
- प्रमुख बंदरगाहों पर विश्वसनीय भंडारण सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

3.90 **प्रशुल्क संबंधी मुद्दे**

- विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप वस्तुओं की अपेक्षित श्रेणियों में व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता के समय प्रशुल्क को युक्तियुक्त बनाना और द्विपक्षीय प्रशुल्क उदारीकरण पर विचार करना। इसके साथ ही, सुस्पष्ट, असंदिग्ध, सतत और पारदर्शी उद्गम नियम (आरओओ) जारी किए जाएंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ रूस के प्रशुल्क वर्गीकरण की प्रणाली का समन्वयन करना तथा वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों में प्रशुल्क वर्गीकरण संबंधी कठिनाइयों को दूर करना।

क्षेत्र विशिष्ट उपाय

3.91 **कृषि उत्पाद और खाद्य उत्पादः**

- एक सामान्य उपाय के रूप में भारत से रूस को और अन्य देशों को निर्यात के लिए एक बाई बैक व्यवस्था के साथ ही भारत में फलों के रस, डेयरी उत्पादों आदि सहित विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य पदार्थों के विनिर्माण हेतु एक संयुक्त उद्यम (रूसी प्रौद्योगिकी की सहायता से विशिष्ट मामलों में) स्थापित किया जाए।

3.91.1 **चाय और कॉफी**

- भौगोलिक संसूचन (जीआई) के रूप में ''दार्जीलिंग'' चाय और मान्यताप्राप्त ''असम'', ''नीलगिरि'' और ''भारतीय चाय लोगो'' का प्रख्यात ब्रांडों के लेबल के रूप में संरक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रभावी रूसी कानून को पारित कराना।
- रूसी कानून में यह उपबंध करना कि किसी भी मिश्रण (ब्लेंड) को ''भारतीय चाय'' कहे जाने के लिए मिश्रण में भारतीय चाय की मात्रा 75% से कम न हो।
- भारतीय पक्ष ने पैकेज में रखी चाय पर आयात शुल्क में कमी के लिए अनुरोध किया ताकि वर्तमान में थोक चाय पर 5% आयात शुल्क और पैकेज में रखी चाय पर 20% आयात शुल्क के बीच की खाई समाप्त की जा सके।
- रूसी बाजार में भारतीय चाय के लिए एक संवर्धन अभियान विकसित करने और लागू करने पर विचार करना।
- रूसी बाजार में चाय की बिक्री के लिए चाय को पैकेज में रखने और मिश्रित करने के लिए संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने पर विचार करना।
- रूस को भारतीय कॉफी निर्यात में वृद्धि करने पर लक्षित केंद्रित संवर्धनात्मक क्रियाकलापों तथा क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों को शुरू किया जा सकता है।
- भारतीय पक्ष ने रूस द्वारा विलयशील कॉफी पर 25% के जीएसपी अधिमान की मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया।

3.91.2 **मांस, कुक्कुट उत्पाद और जंतु मूल के अन्य उत्पादः**

- रूसी पक्ष ने गोमांस और कुक्कुट उत्पादों और साथ ही जंतु मूल के अन्य उत्पादों के आयात पर रूस में लागू वर्तमान स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का अनुरोध किया।
- भारत से गोमांस और जंतु मूल के उत्पादों के आयात हेतु मानकों से संबंधित करार को शीघ्र पूरा करना। दोनों पक्षों के बीच डब्ल्यूटीओ मानदंडों के अनुरूप परस्पर सहमत स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर सहमति व्यक्त की जाए।

3.91.3 **फल और फूलः**

- रूस पपीता, अनानास, अंगूर और खीरे जैसे फलों का प्रमुख आयातक देश है। भारतीय पक्ष ने जीएसपी के अंतर्गत 25% के अधिमान का प्रशुल्क मार्जिन प्रदान करने के लिए रूसी पक्ष से अनुरोध किया है।
- रूस में फलों, आलू, खजूर (सूखे और ताजे), मूंगफली और ताजे फूल की गुणवत्ता विशिष्टियों और क्रेताओं के बारे में उपलब्ध सूचना भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान की जाए।

3.91.4 **मादक पेय और स्पिरिट**

- रूसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों और रूस को निर्यात हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर विचार करना।
- किण्वित दुग्ध उत्पादों तथा उन्हें भारत और रूस में बेचने में सहयोग की संभावना की तलाश करना।

3.91.5 **मसाले**

- सूचना के बेहतर आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर रूसी परिसंघ को काली मिर्च और अन्य मसालों की आपूर्ति में संभावित वृद्धि करने के लिए उपाय करना।
- मसाला ओलियोरेजिन के उपयोग को प्रदर्शित करने और मानकीकरण तथा साथ ही उत्पादों के नमूने प्रदान करने के लिए भारत से तकनीकी टीमों का रूस के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का दौरा करना।
- भारतीय मसाले और तेल एवं ओलियोरेजिन उद्योग में प्रसंस्करण तथा आपूर्ति क्षमताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए रूस के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का भारत दौरा।

3.91.6 **अन्य**

- रूस से इथानोल, कनफेक्शनरी, सूरजमुखी का तेल और अनाजों के निर्यात के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करना।
- रूस से भारत को अनाज और सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति में वृद्धि की संभावना के लिए उपाय करना।

3.91.7 **तम्बाकू**

- रूस में भारतीय तम्बाकू का प्रयोग करके सिगरेट उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम की स्थापना।
- भारतीय पक्ष द्वारा रूस को भारतीय तम्बाकू के निर्यात के लिए प्रशुल्क अधिमान देने का अनुरोध किया गया।
- रूसी पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि रूस में भारतीय तम्बाकू के संवर्धन हेतु भारत के तम्बाकू बोर्ड का ''रोस्टाबैक'' के साथ सहयोग पर विचार किया जाए।

3.92 **रसायन, पेट्रो रसायन और औषधीय उत्पाद**

3.92.1 **औषधीय उत्पाद**

- भारत के राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के साथ अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी), औषधि नियंत्रकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जैव अध्ययन के क्षेत्र में सहयोग।
- रूसी फार्मा उद्योगों की भारत में आयोजित हुई तथा भारतीय फार्मा कंपनियों की रूस में आयोजित प्रदर्शनियों (उदाहरण के लिए फार्मा वर्ल्ड एक्सपोर्ट तथा इसी प्रकार की अन्य प्रदर्शनियों) में प्रतिभागिता, जिसके लिए राष्ट्रीय एक्सपोजिशन हॉलों की संभावित व्यवस्था की जाए।
- रूसी कंपनियों द्वारा भारत को प्रतिरक्षी-जैविक औषधियों जैसेकि पोलियोमाइएलिटिस, रोजियोला आदि से बचाव के टीके को विकसित, उत्पादन और सुपुर्दगी करने पर विचार करना।

- हर्बल औषधियों के क्षेत्र में भारतीय औषधीय भंडार को मान्यता प्रदान करने के लिए तकनीकी सहयोग।
- भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को रूस की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित औषधियों कीं आपूर्ति करने के लिए अभिगम्यता प्रदान करने की संभावना की तलाश करना।
- रूसी कंपनियों द्वारा पशु चिकित्सा हेतु उपयोगी औषधियों के विकास में सहयोग तथा इन औषधियों की भारत को आपूर्ति में सहयोग की संभावना पर विचार करना।
- रूसी परिसंघ में पंजीकृत भारतीय औषधियों और साथ ही रूसी कंपनियों द्वारा आर्डर दिए जाने पर भारतीय उद्यमियों द्वारा उत्पादित औषधियों के संबंध में सूचना का द्विपक्षीय आदान-प्रदान।
- रूसी विज्ञान और अनुसंधान संगठनों का भारतीय भागीदारों के साथ जैव-प्रौद्योगिकी, विशेषकर ऐन्टिबायोटिक्स और टीकों के विकास में सहयोग की संभावना की तलाश करना।
- ***भारतीय पक्ष का अनुरोध***
    - रूस में भारतीय औषधियों हेतु त्वरित पंजीकरण की व्यवस्था।
    - भारतीय कंपनियों को रूस में खेप-दर-खेप पंजीकरण से छूट देना/आयातक द्वारा दिए गए एक वचनपत्र के आधार पर माल के क्लियरेंस की अनुमति देकर विलंब प्रभार से छूट।
    - रूस के लिए अभिप्रेत आयात की जाने वाली औषधियों का भारत में ही परीक्षण करने के लिए/भारत से रूस को निर्यात की गई औषधियों के परीक्षण और प्रमाणन हेतु रूसी प्राधिकारियों द्वारा भारत में स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करने के लिए एक परस्पर स्वीकार्य प्रणाली विकसित करना।
- ***रूसी पक्ष का अनुरोध***
    - चिकित्सा तथा निवारक उपचार सुविधाओं के लिए भारत को चिकित्सा उत्पादों की सम्मिश्र आपूर्ति, सुदूर क्षेत्रों में महामारी की स्थिति और जनता के स्वास्थ्य का त्वरित मूल्यांकन करने के लिए सचल चिकित्सीय वाहनों तथा विशेष चिकित्सीय यूनिट की सेवाएं प्रदान करना।

3.92.2 **रसायन तथा पेट्रोरसायन**

- रसायन तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र में भारत-रूसी संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा रसायन तथा पेट्रोरसायन उद्योगों में रूसी और भारतीय पूंजी निवेश को बढ़ावा देना।

3.93 **उर्वरक**

- निम्नलिखित की संभावना पर विचार करनाः
    - रूस द्वारा भारत में आयात के लिए दीर्घकालिक बाई बैक व्यवस्था से युक्त एक संयुक्त उद्यम अमोनिया-यूरिया उर्वरक कांम्पलेक्स का गठन करना।
    - पोटाश के खनन के क्षेत्र में संयुक्त निवेश तथा रूस से भारत में पोटाश के आयात हेतु दीर्घकालिक आपूर्ति करार करना।
    - भारत में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए रूस में एक संयुक्त उद्यम फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करना।
- पूर्वी भारत में आठ बंद पड़े यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार में आधुनिक, ऊर्जा दक्ष तथा गैस आधारित प्रौद्योगिकी के आधार पर पुनरुद्धार में रूसी भागीदारी की संभावना पर विचार करना।

3.94 उपकरण और मशीनरी

3.94.1 *मशीन*

- रूस में भारतीय मशीनों के विनिर्माण तथा भारत में रूसी मशीनों के विनिर्माण को दर्शाते हुए प्रदर्शनियां आयोजित करना।
- दोनों पक्षों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मशीनरी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के उद्यमियों के बीच व्यवसाय-दर-व्यवसाय संपर्क स्थापित करना।
- रूसी पक्ष से मशीनरी, निविदा आदि संबंधी अपेक्षाओं के बारे में अंग्रेजी भाषा में सूचना का प्रचार-प्रसार करना।
- व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ता के समय रूस और भारत द्वारा मशीनों के आयात के प्रशुल्क को युक्तियुक्त बनाना।
- भारत से रूस को मशीनों और उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रूस में मशीनों के संबंध में रूसी क्रेताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा मशीनरी के लिए सरकार द्वारा जारी की गई निविदाओं के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करना ताकि भारत से रूस को मशीनों और उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
- भारत को कृषि मशीनों की आपूर्ति में रूसी कंपनियों की भागीदारी की संभावना की तलाश करना।
- खनन उपकरण उत्पादन के क्षेत्र में सूचना का आदान-प्रदान करना।

3.94.2 **ऑटोमोबाइल**

- रूसी बाजार में भारतीय ऑटोमोबाइलों और ऑटोमोबाइल के अवयवों के संवर्धन तथा रूसी ऑटोमोबाइलों का भारतीय बाजार में संवर्धन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना।
- भिन्न-भिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बीच अन्योन्य संपर्क में बढ़ावा देना तथा क्रेता, विक्रेता बैठकें आयोजित करना।
- भारत में संगत प्रदर्शनियों में रूसी ऑटोमोटिव विनिर्माताओं की प्रतिभागिता जिसके लिए संभावित रूप से राष्ट्रीय उदघाटन हॉलों की व्यवस्था की जाए।
- सीईसीए के संबंध में वार्ता करते समय दोनों देशों में ऑटोमोबाइलों और उनके पुर्जों के बारे में ड्यूटी ढांचे का युक्तिकरण करना।
- रूसी पक्ष ने भारतीय और रूसी परिवहन निर्माण कंपनियों के सहयोग, और विशेषकर नई पीढ़ी के इंजनों, स्थानीय विद्युतचालित रेलगाड़ियों और भूमिगत रेलगाड़ियों को विकसित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया।

3.94.3 **नागर विमानन**

- रूसी पक्ष का अनुरोध
    - भारत को नए प्रकार के रूसी हवाई जहाज की आपूर्ति करने या पट्टे पर देने की संभावना पर विचार करना।

- वर्तमान तथा भावी आईसीएओ मानदंडों पर विचार करते हुए रूस निर्मित प्रचालन में स्थित वायुयान उपकरणों के ओवरहॉल और पुनरुद्धार मरम्मत और आधुनिकीकरण तथा साथ ही भारतीय विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण में भाग लेना।
- संयुक्त हवाई जहाज निर्माण परियोजनाओं को आरंभ करने की संभावना पर विचार करना, जिसमें डिजाइन, उत्पादन और अन्य देशों के बाजारों सहित बाजार में आपूर्ति शामिल होगी।
- रूसी सैन्य अनुसंधान संस्थानों को परिवर्तित किए जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध अनुसंधान परिणामों सहित अनुसंधान परिणामों के वाणिज्यिकरण में सहयोग प्रदान करना।

- भारत और रूस दोनों देशों में आयोजित वायुयान प्रदर्शनियों में वायुयान विनिर्माता कंपनियों द्वारा प्रतिभागिता।

3.95 **रत्न और आभूषण**

- ***भारतीय पक्ष का अनुरोध***
  - भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जीजेईपीसी) द्वारा प्रायोजित डायमंड इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग द्वारा एमएमटीसी लिमिटेड तथा ''एलरोसा'' के बीच सहयोग के माध्यम से भारत में प्रक्रमण और मूल्य योजन हेतु रूक्ष हीरे की रूस से सीधी और नियमित आपूर्ति और साथ ही, रूस से रूक्ष हीरे को लेटर ऑफ क्रेडिट रूट के माध्यम से भारत के प्रक्रमण उद्योग के लिए सीधे और नियमित रूप से आपूर्ति करना।
  - भारत में रूक्ष हीरे के प्रक्रमण हेतु एमएमटीसी के साथ संयुक्त उद्यम में भागीदारी करना।
  - रूक्ष हीरे के वर्गीकरण, ग्रेडिंग/ नीलामी तथा प्रक्रमण के लिए भारत और रूस में संयुक्त उद्यम में निवेश।
  - रूस में तराशे गए और पालिस किए गए हीरे, स्वर्ण आभूषण, रंगीन रत्न पत्थरों और मोलियों पर आयात शुल्क में कटौती।

- भारत में एलरोसा का एक प्रतिनिधिक कार्यालय खोलना।

3.96 **तेल और प्राकृतिक गैस**

- रूस और भारत और साथ ही अन्य देशों में हाइड्रोकार्बन निक्षेपों के संयुक्त विकास में सहयोग को बढ़ावा देना। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत को तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने पर विचार करना।

- भारत में मौजूदा विद्युत आपूर्ति सुविधाओं (नाभिकीय, ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों के पुनर्निर्माण तथा नई सुविधाओं के निर्माण में सहयोग की संभावनाओं पर विचार करना।

- रूसी पक्ष ने अनुरोध किया कि ईरान-पाकिस्तान-इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया पाइपलाइन के निर्माण में रूसी कंपनियों की संभावित भागीदारी के संबंध में परामर्श की संभावना की तलाश की जाए।

- अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के क्षेत्र में परियोजनाओं का संयुक्त विकास करना।

3.97 **धातु और खनिज पदार्थ**

- रूसी निवेशकों के भारत में कोयला खनन क्षेत्र में भाग लेने की संभावनाओं पर विचार करना तथा कोयला उद्योग में रूसी और भारतीय कंपनियों के अतिरिक्त पारस्परिक सहयोग की संभावना पर विचार करना।

- लौह तथा अलौह धातुओं, बहुमूल्य धातुओं, बहुमूल्य तथा अर्द्ध-बहुमूल्य एवं उनसे निर्मित उत्पादों की उपलब्धता, आपूर्ति और आवश्यकता के संबंध में सूचना का रूसी और भारतीय कंपनियों के बीच आदान-प्रदान करना।

- अलौह धातुओं, कोयला और उर्वरकों का रूसी उत्पादकों से सीधे मौके पर ही और साथ ही दीर्घकालिक आधार पर क्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

3.98 **चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं**

- चमड़ा उद्योग के संबंध में आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

- रूसी क्रेताओं को भारतीय माल तथा चमड़ा उत्पादों के उत्पादकों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना।

- भारतीय पक्ष में सीईसीए पर वार्ता के दौरान रूस में चमड़ा और चमड़े के उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी करने पर विचार करने का अनुरोध किया।

3.99 **वस्त्र, सिले-सिलाए कपड़े (आरएमजी)**

- भारतीय वस्त्र तथा सिले-सिलाए कपड़ों की क्षमता के बारे में अधिक जागरूकता। नियमित रूप से व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों का एक-दूसरे के देश में आना-जाना, शीर्षस्थ उद्योग एसोसिएशनों के बीच भागीदारी, मेलों/प्रदर्शनियों में नियमित रूप से भागीदारी, व्यापार संबंधी सूचना का नियमित रूप से आदान-प्रदान के माध्यम से उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देना।

- रूसी वस्त्र और कपड़ा बाजार और विपणन माध्यमों, प्रमुख आयातकों, स्थापित व्यापार पद्धतियों, सरकार द्वारा तय किए गए विनियमों/प्रक्रियाओं, बाजार आसूचनाओं सहित रूस को निर्यात के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना।

- रूस के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र में भंडारण, बिक्री और संवर्धन हेतु भंडारण वस्तुओं के लिए भंडारण सुविधा स्थापित करना।

- ***भारतीय पक्ष का अनुरोध***
  - रूस में प्रशुल्क वर्गीकरण के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ समन्वयन पर विचार करना तथा यथामूल्य रूप में उनके अनुप्रयोग पर विचार करना।
  - रूस में वस्त्र पर प्रशुल्क में कमी लाना।
  - भुगतान नहीं करने और विलंबित भुगतान की शिकायतों के संबंध में निर्यातकों की परेशानियों का समाधान करने के लिए रूसी कस्टम विभाग द्वारा एक संस्थागत तंत्र विकसित करके विश्वास निर्माण हेतु पहल करना।

3.100 **अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ-साउथ परिवहन गलियारा**

- नॉर्थ-साउथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे को विकसित करने के लिए अपेक्षित संस्थागत तथा निवेश परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य करना।

- व्यवसाय तथा प्रचालनात्मक मुद्दों (ईजी 1) और प्रलेखन, कस्टम और अन्य मुद्दों (ईजी 2) के लिए नॉर्थ-साउथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा समन्वयन परिषद् विशेषज्ञ समूह के क्रियाकलापों को त्वरित करना।

- नॉर्थ-साउथ आईटीसी समन्वयन परिषद् के विचारार्थ आईटीसी परिवहन क्रियाकलाप विनियामक आधार में सुधार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

- नॉर्थ-साउथ आईटीसी क्षेत्र के भीतर संभारतंत्र सुविधाओं की संस्थापना पर विचार करना (संभवतः, मुक्त आर्थिक जोन के हिस्से के रूप में और सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) स्कीम का प्रयोग करके)।
- नॉर्थ-साउथ आईटीसी के रूसी, ईरानी और भारतीय हिस्सों में मौजूदा और भावी माल भाड़ा सुविधाओं जिनमें ढुलाई किए गए माल के उद्‌गम देश और ढुलाई की दिशा तथा पक्षकारों के बीच अतिरिक्त मुक्त आंकड़ा विनिमय की सूचना के साथ निर्यात किए गए माल, आयात किए गए माल और विशेषकर पारगमन माल-भाड़े का स्कोप और रेंज से संबंधित सूचना शामिल हो, का अध्ययन करना।
- रूसी और भारतीय पक्षों द्वारा समानांतर रूप में समाधान की जाने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए नॉर्थ-साउथ आईटीसी खंडों की जांच करना।

प्रतिरूपण प्राक्कलन तथा पूर्वानुमान क्रियाविधियों का विवरण

(क) ग्रैविटी मॉडलों (भारत प्रतिरूपों) के अनुप्रयोग द्वारा सहायता किए गए अनुसार भारत और रूस के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों हेतु संभावना का मूल्यांकन

भारत-रूस व्यापार की मात्रा में वृद्धि हेतु संभावनाओं का मूल्यांकन करना तथा इसके लिए ढांचे का विकास करना

वैश्विक द्विपक्षीय वाह्य व्यापार प्रवाह के संदर्भ के भीतर भारत और रूस के बीच व्यापार की मात्रा के मापन हेतु ग्रैविटी प्रतिरूप पर आधारित एक विश्लेषण किया गया है।

अखिल विश्व द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह आंकड़ा समुच्चय पर तथा केवल रूस और भारत व्यापार भागीदारों को शामिल करने वाले उप-समुच्चय पर निम्नलिखित पश्यगमन समीकरण का प्राक्कलन किया गया।

$$Export_{i,j} = \alpha + \beta_1 * GDP_i + \beta_2 * GDP_j + \delta * Dist_{ij} + \delta_1 * Land_i + \delta_2 * Land_j +$$

$$+ \sum_k \rho_k * D + _{ij}$$

जबकिः

$Export_{i,j}$ — क्रमशः i और j दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की प्रेक्षणीय मात्रा का सूचक है।

GDP_i — देश i के सकल घरेलू उत्पाद का सूचक है।

$Dist_{ij}$ -- i और j दो देशों की राजधानियों के बीच की दूरी का सूचक है।

$Land_i$ ..... देश i के वर्ग क्षेत्रफल का सूचक है।

D^k_{ij} — नमूना चर राशि का सूचक है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित को प्रतिबिंबित करता हैः

- i और j देशों के बीच साझी सीमा रेखा की उपलब्धता
- i और j देशों में साझी भाषा का समान रूप से प्रयोग
- i और j देशों का साझे रूप से उपनिवेशीय ऐतिहासिक रिकार्ड
- एक कस्टम यूनियन की उपलब्धता जिसमें i और j देश सदस्य हैं
- i और j देशों द्वारा एक अधिमानी व्यापार करार का सदस्य होना

D_{ij} — एक नमूना चर राशि का सूचक है, जो इस तथ्य को प्रतिबिंबित करता है कि दोनों भागीदार देश पहले सोवियत संघ गणराज्य के सदस्य थे।

समीकरण (1) संयुक्त राष्ट्र वस्तु व्यापार सांख्यिकी डेटा बेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलित किया गया है। क्षेत्रीय भेद को दूर करने के लिए 1-अंक मानक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण एसआईटीसी का प्रयोग किया गया। क्षेत्रों से संबंधित विवरण तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1

एसआईटीसी	विवरण
0	खाद्य पदार्थ तथा सजीव जंतु
1	पेय पदार्थ तथा तम्बाकू
2	अपरिष्कृत पदार्थ, अखाद्य पदार्थ, ईंधन को छोड़कर
3	खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्रियां
4	जांतव तथा वनस्पित तेल, वसा और मोम
5	रसायन तथा संबंधित उत्पाद, एन ई एस
6	विनिर्मित वस्तुएं जो मुख्य रूप से पदार्थ द्वारा वर्गीकृत हों
7	मशीन और परिवहन उपकरण
8	विविध विनिर्मित वस्तुएं
9	एसआईटीसी में कहीं भी वर्गीकृत नहीं की गई वस्तुएं तथा सौदे

तालिका 2 में वर्ष 2004 के संबंध में समग्र निर्यात प्रवाह तथा क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग आंकड़ों से संबंधित प्राक्कलन परिणामों को सूचित किया गया है।

चूंकि भारत और रूस के बीच इन देशों के वृद्धिशील जीडीपी द्वारा त्वरित द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि के संबंध में पूर्वानुमान हेतु समीकरण (1) के प्राक्कलन गुणांकों का प्रयोग किया गया है, अतः यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि समय के दौरान पश्चगमन समीकरण (1) से गुणांकों का प्राक्कलन किस हद तक स्थायी है, पहले स्थान पर, जहां तक कि सदस्य देशों बीटा1 एंड बीटा2 के जीडीपी के आमाप के प्राक्कलित गुणांकों का संबंध है।

तालिका 3 में विभिन्न वर्षों के दौरान संकलित आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलित तदनुरूपी गुणांकों के मानों के बारे में सूचित किया गया है। तालिका 3 से यह देखा जा सकता है कि प्राक्कलित परिणाम समय के अनुसार पूर्णतः स्थायी सिद्ध हुए हैं। अतः हम वर्ष 2004 के लिए प्राक्कलित गुणांकों के संबंध में अपने पूर्वानुमानों पर विश्वास कर सकते हैं।

तालिका 2 - वर्ष 2004 के लिए आंकड़ों के समुच्चय पर समीकरण (1) का प्राक्कलन

परतंत्र चर : 2004 का निर्यात	कुल निर्यात	क्षेत्र (एसआईटीसी) का निर्यात									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी चर राशियां लघु गणकीय रूप में											
निर्यातक 2004											
जीडीपी	1.295	0.71	0.652	0.656	0.41	0.507	1.271	1.231	1.553	1.301	1.149
	(123.99)**	(62.02)**	(41.14)**	(58.02)**	(16.60)**	(22.13)**	(110.75)**	(116.53)**		(129.46)**	(61.67)**
क्षेत्रफल	-0.078	0.109	0.005	0.202	0.3	0.024	-0.172	-0.079	-0.369	-0.278	-0.189
	(7.69)**	(9.73)**	-0.34	(17.27)**	(13.79)**	-1.2	(16.86)**	(8.01)**	(38.27)**	(29.61)**	(11.06)**
भागीदार, 2004											
जीडीपी	0.951	0.709	0.525	0.974	0.838	0.366	0.737	0.839	0.796	0.892	0.823
	(92.65)**	(63.98)**	(36.71)**	(84.11)**	(39.49)**	(18.90)**	(73.07)**	(84.67)**	(81.64)**	(93.58)**	(47.91)**

क्षेत्रफल	-0.077	-0.099	-0.071	-0.088	-0.124	0.045	0.039	-0.073	-0.033	-0.12	-0.068
	(7.65)**	(9.18)**	(5.00)**	(7.93)**	(5.82)**	(2.25)*	(3.87)**	(7.57)**	(3.46)**	(12.91)**	(4.01)**
द्विपक्षीय चर											
दूरी	-1.271	-0.848	-0.853	-0.947	-1.139	-0.528	-1.275	-1.287	-1.075	-1.102	-0.676
	(46.73)**	(29.95)**	(24.09)**	(33.14)**	(21.57)**	(11.16)**	(49.33)**	(50.20)**	(42.40)**	(44.88)**	(15.59)**
साझी सीमा	0.935	1.214	0.822	1.116	1.448	1.261	0.896	1.13	1.069	1.142	0.232
	(6.93)**	(8.98)**	(5.37)*	(8.55)**	(7.10)**	(6.96)**	(7.28)**	(9.08)**	(8.54)**	(9.42)**	-1.12
साझा उपनिवेशीय											
	(4.28)**	(8.12)**	(8.20)*	(4.83)**	(3.26)**	(2.38)*	-1.05	(2.22)*	(3.81)**	(5.81)**	(5.17)**
समान भाषा	0.987	0.786	0.548	0.484	0.449	0.151	0.963	0.708	0.607	0.743	0.908
	(17.85)**	(13.46)**	(7.24)*	(8.24)**	(3.98)**	-1.51	(17.87)**	(13.46)**	(11.63)**	(14.81)**	(10.04)**
कस्टम यूनियन											
	(4.08)**	(2.10)*	(3.02)*	(2.46)*	(2.87)**	-1.39	(3.73)**	(3.50)**	(4.12)**	(5.00)**	(3.82)**
पीटीए में सदस्यता											
	(12.59)**	(11.28)**	(10.59)**	(10.66)**	(5.47)**	(8.14)**	(11.94)**	(10.97)**	(11.86)**	(12.02)**	(9.35)**
दोनों देश एफएस यू											
	(9.25)**	(5.23)**	(7.29)**	(7.69)**	(4.39)**	(2.82)**	(6.61)**	(9.09)**	(13.31)**	(6.50)**	-1.55
स्थिर			-10.001								
	(103.43)**	(34.07)**	(17.65)**	(47.80)**	(13.59)**	(8.81)**	(60.56)**	(63.51)**	(78.21)**	(72.08)**	(40.09)**
प्रेक्षणों की सं.											
आर-वर्ग	0.61	0.43	0.33	0.51	0.31	0.19	0.62	0.61	0.67	0.64	0.43

कोष्ठक में स्थित आंकड़ों का मान निरपेक्ष मान है। *% पर सार्थक ** 1% पर सार्थक

तालिका 3 - समय की तुलना में ग्रैविटी मॉडल के प्राक्कलित गुणांकों का स्थायित्व

		क्षेत्र-वार निर्यात (एसआईटीसी)									
निम्नलिखित पर गुणांकः	कुल निर्यात	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004											
निर्यातक का जीडीपी	1.295	0.71	0.652	0.656	0.41	0.507	1.271	1.231	1.553	1.301	1.14
	(123.99)**	(62.02)**	(41.14)**	(58.02)**	(16.60)**	(22.13)**	(110.75)**	(116.53)**	(149.60)**	(129.46)**	(61.67)**
आयातक का जीडीपी	0.951	0.709	0.525	0.974	0.838	0.366	0.737	0.839	0.796	0.892	0.82
	(92.65)**	(63.98)**	(36.71)**	(84.11)**	(39.49)**	(18.90)**	(73.07)**	(84.67)**	(81.64)**	(93.58)**	(47.91)**
2003											
निर्यातक का जीडीपी	1.264	0.707	0.666	0.641	0.386	0.482	1.221	1.174	1.492	1.266	1.05
	(132.97)**	(63.68)**	(42.71)**	(59.07)**	(16.59)**	(21.88)**	(109.35)**	(115.23)**	(144.80)**	(128.02)**	(65.59)**
आयातक का जीडीपी	0.934	0.707	0.545	0.941	0.761	0.336	0.72	0.799	0.795	0.867	0.80
	(100.39)**	(65.73)**	(39.36)**	(84.27)**	(37.53)**	(18.00)**	(72.51)**	(83.82)**	(82.71)**	(92.91)**	(53.68)**
2002											
निर्यातक का जीडीपी	1.243	0.703	0.624	0.627	0.309	0.476	1.194	1.185	1.461	1.258	0.96
	(134.65)**	(64.49)**	(39.92)**	(57.50)**	(13.27)**	(22.13)**	(107.83)**	(118.18)**	(143.50)**	(129.99)**	(59.97)**
आयातक का जीडीपी	0.935	0.695	0.511	0.925	0.755	0.341	0.701	0.799	0.764	0.865	0.72
	(104.40)**	(65.34)**	(36.79)**	(82.78)**	(37.53)**	(18.63)**	(71.42)**	(85.30)**	(80.36)**	(95.35)**	(48.00)**
2001											
निर्यातक का जीडीपी	1.23	0.707	0.627	0.624	0.334	0.477	1.188	1.177	1.451	1.255	0.94
	(132.90)**	(65.21)**	(39.73)**	(56.30)**	(14.58)**	(22.62)**	(107.54)**	(118.70)**	(142.73)**	(127.61)**	(63.58)**
आयातक का जीडीपी	0.933	0.707	0.519	0.936	0.75	0.376	0.712	0.795	0.756	0.868	0.72
	(104.64)**	(67.48)**	(37.04)**	(82.31)**	(37.90)**	(21.09)**	(73.00)**	(86.35)**	(79.12)**	(94.14)**	(51.81)**
2000											
निर्यातक का जीडीपी	1.211	0.709	0.619	0.62	0.364	0.498	1.186	1.16	1.431	1.235	0.94
	(132.17)**	(65.34)**	(39.46)**	(56.11)**	(15.55)**	(23.81)**	(107.36)**	(116.16)**	(140.94)**	(126.72)**	(59.68)**
आयातक का जीडीपी	0.932	0.716	0.501	0.938	0.747	0.37	0.713	0.813	0.764	0.854	0.735
	(105.00)**	(67.71)**	(36.10)**	(82.43)**	(36.72)**	(20.95)**	(73.28)**	(87.24)**	(80.58)**	(92.97)**	(49.98)**

कोष्ठक में स्थित आंकड़ों का मान निरपेक्ष मान है।

सभी गुणांक 1% पर सार्थक हैं।

(ख) रूस-भारत व्यापार संबंधों के विकास के संबंध में पूर्वानुमान हेतु वैश्विक अंतर्दृष्टि (ग्लोबल इनसाइट) द्वारा प्रदत्त इन देशों के संबंध में जीडीपी में वृद्धि के बारे में पूर्वानुमान से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस पूर्वानुमान द्वारा वर्ष 2000 के नियत मूल्यों में वर्ष 2025 तक इन देशों के जीडीपी का अनुमान दर्शाया गया है। तालिका 5 में भारत और रूस के संबंध में संगत अनुमानों के बारे में सूचना दी गई है।

तालिका 5 जीडीपी पूर्वानुमान, वैश्विक अंतर्दृष्टि

	2010	2015	2020	2025
भारत	1.91	2.56	3.38	4.41
रूस	1.69	2.10	2.46	2.86

रूस, भारत और उनके सभी भागीदार देशों के संगत जीडीपी को भार समीकरण (1) में तालिका 2 से प्राक्कलित गुणांकों के साथ रखने पर रूस से भारत को तथा भारत से रूस को समग्र निर्यात के संबंध में पूर्वानुमान लगाया गया है।

यह पूर्वानुमान यह इंगित करता है कि दोनों देशों का आर्थिक विकास अपने आप वर्ष 2010 में व्यापार के प्रवाह में 7 बिलियन अमेरिकी डालर तक की वृद्धि कर सकने में सक्षम है। अतः वर्ष 2010 में 10 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के लक्षित व्यापार टर्नओवर के स्तर पर पहुंचने के लिए दोनों देशों को व्यापार संबंधों को सुकर बनाने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए।

(ग) **अभिज्ञात प्रतिस्पर्धी लाभों के मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष**

सापेक्षिक तुलनात्मक लाभ (आरसीए) और सापेक्षिक तुलनात्मक हानि विश्लेषण (आरसीडीए)

संयुक्त राष्ट्र वस्तु व्यापार डेटाबेस (कॉमट्रेड) आंकड़ों (एचएस कोड 2 अंक स्तर) का प्रयोग करके भारत और रूस के संबंध में वर्ष 2005 के आरसीए और आरसीडीए के व्यापक सर्वेक्षण से ग्रैविटी मॉडल से प्राप्त निष्कर्षों में आगे और वृद्धि प्रदर्शित होती है। जैसाकि यह सर्वविदित है, आरसीए के मामले में आकलन का अभिप्राय संबंधित क्षेत्र में विश्व अर्थव्यवस्था की निर्यातक क्षमता से तुलना करने पर किसी एक वस्तु/विनिर्माता के मामले में देश के निर्यात के लाभ को सूचित करना है। आरसीडीए विश्व में और कहीं भी ऐसी आवश्यकता के साथ तुलना किए जाने पर देश की आयात के संबंध में बाध्यता के स्तर - उपभोक्ता के रूप में इसके महत्त्व - को सूचित करता है।

यहां विश्लेषण हेतु प्रयोग में लाए गए आंकड़ों में व्यापार नीति में हुए नवीनतम परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन को ध्यान में रखा गया है। कॉमट्रेड द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा भी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सूचना एकत्रीकरण की कुछ सीमाओं से ग्रस्त है। किंतु कॉमट्रेड द्वारा परवर्ती वर्षों में बार-बार संशोधन करने की प्रथा से यह सूचित होता है कि स्वयं इस संगठन ने इन आंकड़ों में तथ्यगत अविश्वसनीयता ज्ञात की है तथा इस संबंध में मूल्य निर्धारण करते समय इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखा जाए।

इस टिप्पणी में आरसीए और आरसीडीए को इंगित करते हुए व्यापक आंकड़े तालिका 6-9 में दिए गए हैं।

निष्कर्ष

आंकड़ों से निम्नलिखित निष्कर्ष ज्ञात किए जा सकते हैंः

1. जैसाकि तालिका 6 में सूचित किया गया है, भारत में सापेक्षिक तुलनात्मक लाभ (आरसीए) एचएस समूह (दो अंक का स्तर) की 40 श्रेणियों में उपलब्ध है। इनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल हैंः

- वे वस्तुएं जो मुख्य रूप से वस्त्र से संबंधित हैं (रेशम, सूती, वनस्पति और अन्य रेशों से निर्मित वस्त्रों से बने विभिन्न प्रकार के आवरक वस्त्र, परिधान की वस्तुएं, मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित तंतु, बुने हुए वस्त्र आदि)।
- चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद।
- रत्न और आभूषण।
- खाद्य पदार्थ (खाद्य वनस्पति)।
- चाय और कॉफी।
- कुछ धात्विक वस्तुएं (तांबा, लोहा और इस्पात)।
- रसायन

2. रूस में तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्रों में आरसीए है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैः

- धातु और धात्विक उत्पाद (निकल, ऐलुमिनियम, तांबा, लोहा और इस्पात)।
- उर्वरक
- ईंधन
- काष्ठ उत्पाद
- रसायन

3. जैसाकि तालिका 7 में सूचित किया गया है, भारत के आरसीए और रूस के आरसीए के क्षेत्रों में अत्यल्प अतिछादन दिखाई पड़ता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एचएस कोड 27, 72, 10

और 28 को छोड़कर भारत और रूस के बीच कोई संभावित प्रतिस्पर्धा नहीं है बशर्ते कि कोई मांग उत्पन्न न हो। निर्यात सामर्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापार संभव है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है किः

- रूस से भारत को निर्यात के मामले में धातु, उर्वरक और काष्ठ उत्पादों के निर्यात के अवसर विद्यमान हैं।

- भारत से रूस को निर्यात के मामले में वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं और खाद्य उत्पादों में निर्यात के अवसर उपलब्ध हैं। यह रूस के वर्तमान आयात का 40 बिलियन अमेरिकी डालर के अंतर्गत एक उल्लेखनीय आंकड़ा है, जैसाकि नीचे दी गई तालिका से प्रदर्शित होता है। यह आंकड़ा रूसी कस्टम स्रोत से प्राप्त किया गया है जो कुल मिलाकर कतिपय क्षेत्रों में आयात की मात्रा को कम करके बताने की प्रवृत्ति रखते हैं।

एचएस कोड	रूसी आयात का मूल्य (2005) {मिलियन अमेरिकी डालर}
50	1.9
13	43.9
57	52.8
71	223.8
63	227.6
26	1020.9
52	373.6
14	3.4
9	408.9
53	20,1
62	448.4
10	245.4
24	890.4
23	471.8
67	7.5
42	146.3.
97	14.6.
55	245.3
61	353.6
3	954.8
41	35.3
54	153.0
68	494.9
74	136.1
8	2132.4
29	741.1
7	722.9
64	574.2
73	2702.6
32	935.2
58	56.3
89	772.7
72	2546.0
36	17.8
82	397.2
25	322.7
28	1973.9

38	1020.7
27	1600.2
40	958.0

आरसीडीए

रूस और भारत के लिए आरसीडीए हेतु आंकड़ों के आधार (जो प्रत्येक देश में आयात की आवश्यकता की उल्लेखनीय मात्रा को प्रदर्शित करता है, जिसके लिए संदर्भ के रूप में वैश्विक मानक का प्रयोग किया गया है) के संबंध में यहां महत्त्वपूर्ण आपत्तियां अवश्य की जानी चाहिए। रूस के संबंध में आरसीडीए का तालिका 8 में और भारत के संबंध में तालिका 9 में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में, जिनमें भारत को आरसीए प्राप्त होता है, रूस पर्याप्त मात्रा में आयात हेतु अपनी सुस्पष्ट रुचि प्रदर्शित करता है।

- एचएस कोड 89 (जहाज, नाव और तैरने वाली संरचनाएं)
- एचएस कोड 82 (क्षार धातुओं के उपकरण और उनके पुर्जे)
- एचएस कोड 73 (लोहा और इस्पात की वस्तुएं)
- एचएस कोड 68 (पत्थर की वस्तुएं, प्लास्टर, सीमेंट, ऐस्बेसटॉस, अभ्रक या इसी प्रकार की अन्य सामग्रियां)
- एचएस कोड 38 (विविध रासायनिक उत्पाद)
- एचएस कोड 28 (अकार्बनिक रासायनिक उत्पाद)
- एचएस कोड 25 (नमक, गंधक, मिट्टी और पत्थर, प्लास्टर हेतु प्रयुक्त सामग्रियां, चूना आदि)
- एचएस कोड 24 (तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू उत्पाद)
- एचएस कोड 23 (खाद्य उद्योग के अवशिष्ट और अपशिष्ट, तैयार पशु चारा आदि)
- एचएस कोड 13 (लाख, रेजिन आदि)
- एचएस कोड 9 (कॉफी, चाय आदि)
- एचएस कोड 8 (खाद्य फल, गिरीदार फल आदि)
- एचएस कोड 7 (खाद्य वनस्पति आदि)

यह वर्ष 2005 में रूस द्वारा 17 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के आयात की सामग्रियों में अंतर्निहित है।

प्रतिबंध- आरसीए/आरसीडीए विश्लेषण की सीमाएं

पर्याप्त रूप से, भारत-रूसी व्यापार के प्रमुख पहलू आरसीए/आरसीडीए विश्लेषण के लिए सरलतापूर्वक अनुकूलित नहीं हैं। अतः

- रत्न और आभूषणों के मामलों में विश्व बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में रूस को कम आरसीए उपलब्ध है जबकि भारत एक प्रमुख उपभोक्ता और निर्यातक है। दूसरी ओर, यह एक एकाधिकार के परिवेश में कार्य करता है और प्रायः एकल ग्राहक के माध्यम से प्रचालन करता है। अतः अफ्रीका के उत्पादकों से भिन्न यह एक उपभोक्ता को अधिक स्कोप उपलब्ध कराता है क्योंकि लिए गए निर्णय द्वारा पर्याप्त आपूर्ति की जाती है।

- आरसीए के विश्लेषण से असामान्य प्रकृति की दीर्घकालिक ख्याति का पता नहीं चलता जिसे भारत ने औषधीय उत्पादों के मामले में रूसी बाजार में स्थापित किया है।

तालिका 6
आरसीए भारत 2005

एचएस कोड	वस्तु का नाम	आरसीए
50	रेशम	13.53508
13	लाख, गोंद, रेजिन और अन्य वनस्पति रस तथा निष्कर्षण	11.24867
57	दरियां और अन्य वस्त्र, फर्श आवरण	10.20855

71	मोती, बहुमूल्य या अर्ध-बहुमूल्य पत्थर या धातु तथा उनसे बनी वस्तुएं	8.521796
63	अन्य विनिर्मित वस्त्र उत्पाद, सेट, पहने हुए वस्त्र उत्पाद, फटे-पुराने कपड़े आदि	7.001565
26	अयस्क, धातुमल और राख	6.502329
52	कपास	6.366615
14	वनस्पति निर्मित प्लेटिंग सामग्री, वनस्पति उत्पाद जिनका अन्य कहीं उल्लेख नहीं किया गया है	6.344863
9	कॉफी, चाय, मेट और मसाले	5.396858
53	अन्य वनस्पति वस्त्र रेशे, कागज, रेशे और वस्त्र	4.124431
62	परिधान की वस्तुएं और बिना बुने या कांटे से बुने सहायक वस्त्र	3.862616
10	अनाज	3.768623
24	तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू उत्पाद	3.689193
23	खाद्य उद्योग से अवशिष्ट और अपशिष्ट, तैयार पशु चारा	3.662586
67	तैयार पंख और डाउनविथ सामग्रियां, कृत्रिम खाद्य, मानव केस की वस्तुएं	3.516478
42	चमड़ा, घोड़े का साज-सामान तथा पशुओं की आंतों से बने सामान	3.320722
97	कलाकृति, संग्राहक नमूने और प्राचीन वस्तुएं	3.015411
55	मानव-निर्मित रेशे	2.905636
61	परिधान तथा पहनने के वस्त्रों की सामग्री, बुने हुए या कांटे से बुने हुए	2.725356
3	मछली और क्रस्टेसियंस, मोलस्क और अन्य जलीय बिना रीढ़ वाले जंतु	2.626254
41	असंसाधित खाल और चमड़े (लोमचर्म को छोड़कर) और लेदर	2.442046
54	मानव-निर्मित तंतु	2.328353
68	पत्थर से बनी वस्तुएं, प्लास्टर, सीमेंट, ऐस्बेसटॉस, अभ्रक या इसी प्रकार की अन्य सामग्रियां	2.225955
74	तांबा, उससे बनी वस्तुएं	1.978893
8	खाद्य फल और गिरीदार फल, निंब फलों या तरबूज आदि के छिलके	1.754611
29	कार्बनिक रसायन	1.713294
7	खाद्य वनस्पति तथा कुछ मूल और कंद	1.711903
64	जूते, बुल्फत्रान और इसी प्रकार की अन्य सामग्रियां, ऐसी सामग्रियों के हिस्से	1.604295
73	लोहा और इस्पात की वस्तुएं	1.587423
32	सुखाने, पकाने और रंगने के लिए प्रयुक्त सामग्री	1.554376
58	विशेष बुने हुए कपड़े, गुच्छेदार सूती कपड़े, लेश, दीवार घड़ी, कतरन, कढ़ाई किए गए कपड़े	1.384889
89	जहाज, नाव और अन्य तैरने वाले ढांचे	1.319758
72	लोहा और इस्पात	1.318436
36	विस्फोटक माचिस, कतिपय दाह्य सामग्री	1.258391
82	क्षार धातुओं से बने उपकरण तथा उनके हिस्से	1.23928
25	नमक, गंधक, मिट्टी और पत्थर, प्लास्टरिंग सामग्रियां, चूना	1.175382

28	अकार्बनिक रसायन, बहुमूल्य धातुओं के यौगिक या दुर्लभ भू-धातु	1.126631
38	विविध रासायनिक उत्पाद	1.112315
27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमनी पदार्थ, खनिज मोम	1.053448
40	रबर और उससे बनी वस्तुएं	1.003513

तालिका 7

आरसीए - रूस और भारत 2005 - एक तुलनात्मक अध्ययन

वस्तु का नाम	एचएस कोड	आरसीए रूस	आरसीए भारत
विविध वस्तुएं	99	8.573033	0.407426
निकल और उससे बनी वस्तुएं	75	8.151864	0.111777
उर्वरक	31	5.812309	0.040278
खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमनी पदार्थ, खनिज मोम	27	4.469309	1.053448
लोहा और इस्पात	72	2.631315	1.318436
काष्ठ तथा काष्ठ निर्मित वस्तुएं; काष्ठ चारकोल	44	2.393958	0.099625
अन्य क्षार धातुएं, सीमेंट, उससे बनी वस्तुएं	81	2.321745	0.210961
ऐलुमिनियम और उससे बनी वस्तुएं	76	2.295637	0.569766
तांबा और उससे बनी वस्तुएं	74	1.405408	1.978893
अनाज	10	1.3266	3.768623
काष्ठ या अन्य पदार्थों की लुगदी, कागज या गत्ते का अपशिष्ट और कतरन	47	1.257503	0.004478
अकार्बनिक रसायन, बहुमूल्य धातुओं या दुर्लभ भू-धातुओं के यौगिक	28	1.143367	1.126631

तालिका 8

आरसीडीए - रूस 2005

वस्तु का नाम	एचएस कोड	आरसीडीए
रेलवे/ट्रामवे इंजन, ट्रक इत्यादि, उपकरण और उनके हिस्से	86	5.233576
चीनी और चीनीयुक्त बिस्कुट आदि		4.374921
खाद्य फल और गिरीदार फल, निंब फलों और तरबूज आदि के छिलके		4.144187
तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू उत्पाद		3.513532
विविध वस्तुएं		3.073709
कोको और कोको संपाक		2.745418
अनिवार्य तेल रेजिनॉइड्स, कास्टमेटिक और अन्य इसी प्रकार के संपाक	33	2.687501
मादक पेय, स्पिरिट और सिरका		2.676255
विविध खाद्य संपाक		2.674498
अकार्बनिक रसायन, बहुमूल्य धातुओं या दुर्लभ भू धातुओं के यौगिक	28	2.657454
वनस्पतियों, फलों, गिरीदार फलों या पौधे के अन्य भागों के संपाक	20	2.642657

कॉफी, चाय, मेट और मसाले		2.297949
जहाज, नाव और अन्य तैरने वाली संरचनाएं		2.275753
खाद्य वनस्पति और कतिपय मूल और कंद		2.260467
मिलिंग उद्योग के उत्पाद, माल्ट, स्टार्च, इंसुलिन, गेहूं		2.121097
जंतु या वनस्पति वसा और तेल और उनके विदलन उत्पाद, जंतु उत्पाद	15	2.043906
रंगाई, पकाई और सुखाने के काम में आने वाले पदार्थ		1.93179
साबुन और अन्य इसी प्रकार की सामग्रियां, पालिश और क्रीम, मोमबत्तियां और इसी प्रकार की सामग्रियां	34	1.861865
पत्थर की सामग्रियां, प्लास्टर, सीमेंट, ऐस्बसटॉस, अभ्रक और इसी प्रकार के पदार्थ	68	1.858032
लोहा और इस्पात की वस्तुएं		1.742647
औषधीय उत्पाद		1.739195
मुद्रित पुस्तक और मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद		1.640022
कागज और गत्ते, कागज की लुगदी, कागज और गत्ते से बनी वस्तुएं	48	1.620035
खाद्य उद्योग के अवशिष्ट और अपशिष्ट, तैयार पशु चारा	23	1.601506
सिरामिक उत्पाद		1.575701
एल्ब्युमीनयुक्त पदार्थ, आशोधित स्टार्च, गोंद, एंजाइम		1.497224
रुई, नम्दा और बिना बुने हुए, विशेष धागे, टवाइन, कार्डेड, रस्सियां और केबल	56	1.422812
सडक वाहन और उसके पुर्जे		1.33731
लोम चरण और कृत्रिम लोम, विनिर्मित		1.304574
लाख, गोंद, रेजिन तथा अन्य वनस्पति रस और निष्कर्षण		1.245474
कांच और कांच से बनी वस्तुएं		1.228944
अयस्क, धातुमल, राख		1.215951
नाभिकीय रिऐक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, उनके हिस्से	84	1.196504
अंतरभरित, आवरित और लेमिनेट किए हुए टैक्सटाइल कपड़े,औद्योगिक उपयोग हेतु कपड़े से बनी वस्तुएं	59	1.144627
विविध रसायनिक उत्पाद		1.13597
प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं		1.109832
क्षार धातु से बने उपकरण और उनके पुर्जे		1.095056
नमक, सल्फर, मिट्टी और पत्थर, प्लास्टरिंग सामग्रियां, चूना		1.088171
मानव निर्मित धागे		1.019768

तालिका 9
आरसीडीए भारत 2005

वस्तु का नाम	**एचएस कोड**	**आरसीडीए**
रेशम	50	10.3755
मोती, बहुमूल्य या अर्ध-बहुमूल्य पत्थर या धातु तथा उनसे बनी वस्तुएं	71	7.66525
जहाज, नाव और अन्य तैरने वाले ढांचे	89	5.33841

जंतु या वनस्पति वसा और तेल और उनके विदलन उत्पाद, जंतु उत्पाद	15	4.40298
सीसा और उससे बनी वस्तुएं	78	3.83064
उर्वरक	31	3.7144
वायुयान, अंतरिक्ष यान और उसके पुर्जे	88	2.79797
जस्ता और उससे बनी वस्तुएं	79	2.58442
खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमनी पदार्थ, खनिज मोम	27	2.38945
अकार्बनिक रसायन, बहुमूल्य धातुओं या दुर्लभ भू-धातुओं के यौगिक	28	2.18504
अन्य वनस्पति वस्त्र रेशे, कागज, रेशे और वस्त्र	53	2.05244
अंतरभरित, आवरित और लेमिनेट किए हुए टैक्सटाइल कपड़े,औद्योगिक उपयोग हेतु कपड़े से बनी वस्तुएं	59	1.76562
नमक, गंधक, मिट्टी और पत्थर, प्लास्टरिंग सामग्रियां, चूना	25	1.69764
ऊन, पशुओं के बारीक या स्थूल बाल	51	1.47848
खाद्य वनस्पति तथा कुछ मूल और कंद	7	1.31771
काष्ठ या अन्य पदार्थों की लुगदी, कागज या गत्ते का अपशिष्ट और कतरन	47	1.31232
लोहा और इस्पात	72	1.31088
कार्बनिक रसायन	29	1.22941
अयस्क, धातुमल और राख	26	1.21575
मानव-निर्मित तंतु	54	1.04254
लाख, गोंद, रेजिन और अन्य वनस्पति रस तथा निष्कर्षण	13	1.0201
खाद्य फल और गिरीदार फल, निंब फलों या तरबूज आदि के छिलके	8	1.0109

रूस से भारत को निर्यात का आरसीए (रूसी आंकड़ों के आधार पर)

रूस द्वारा भारत को निर्यात के लिए विशेष रूप से आबंटित वस्तुओं में इमारती लकड़ियों का प्रक्रमण, रसायन, कुछ प्रकार के ईंधन (कोयला और तेल) तथा धातुएं शामिल हैं। कुछ मामलों में इन क्षेत्रों में निर्यात के लिए निर्धारित संपूर्ण क्षमता का पहले ही दोहन किया जा चुका है तथा व्यापार के टर्नओवर में सुधार लाने के लिए व्यापार संबंधी बाधाओं की पहचान करने की आवश्यकता है।

कृषि उत्पाद

जहां तक इस मद के निर्यात का संबंध है, वर्ष 2000-04 के दौरान रूस ने सतत तुलनात्मक लाभ प्राप्त किया है और इस अवधि के दौरान इसे मानक आरसीए की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस वस्तु के संबंध में कॉमट्रेड में उपलब्ध वर्ष 1999-2003 से संबंधित आंकड़े तथा भारत के आरसीडीए सूचकांक से यह पता चलता है कि भारत खाद्यान्नों का आयात करता है, तथापि यह रुचि घटती जा रही है। रूसी आंकड़ों के अनुसार इस उत्पाद का रूस द्वारा निर्यात वर्ष 1994-2004 के दौरान कम मात्रा में किया गया है।

तालिका 10

	2000	2001	2002	2003	2004
आरसीए रूस (043 जौ साबूत दाने)	30.85	141.89	407.80	551.53	93.24
आरसीडीए भारत (043 जौ साबूत दाने)	199.92	255.81	137.42	69.75	लागू नहीं
रोस्टैट के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	59.4	75.1	75.2	56.5	63.4

इमारती लकड़ी और इमारती लकड़ियों का प्रक्रमण

इमारती लकड़ियों के उत्पादन के संबंध में रूस को उल्लेखनीय और सतत आरसीए लाभ प्राप्त हो रहा है। इस मद में भारतीय आयात उच्च है (आकृति 1), हालांकि रूसी कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत को इमारती लकड़ियों और इमारती लकड़ियों से बनी वस्तुओं का निर्यात नगण्य है।

इसके साथ ही रूसी कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गत दशक के दौरान भारत को पुनःप्रक्रमित इमारती लकड़ियों के उत्पादों (कागज, गत्ता, कागज की लुगदी से बनी वस्तुएं, कागज या गत्ता) का निरंतर निर्यात किया जाता रहा है और इस संबंध में किए गए निर्यात का मूल्य वर्ष 1994 के 21.5 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2004 में 94.5 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया (रूस से भारत को किए गए कुल निर्यात का क्रमशः 5.7% और 3.8%)।

रसायन

भारतीय बाजार में रूसी उर्वरकों के लिए स्पष्टतः एक धारणीय बाजार बना हुआ है (जैसाकि आकृति 1 में दर्शाया गया है, 272 अपरिष्कृत उर्वरक और 562 विनिर्मित उर्वरक)। वर्ष 1994-2004 के दौरान भारत में उर्वरकों का निर्यात वर्ष 1997 में 11.5 मिलियन अमेरिकी मूल्य का था जो वर्ष 2001 में बढ़कर 110.1 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया जो कुल निर्यात का क्रमशः 1.3% और 9.4% है (रूसी आंकड़ों के अनुसार)। वर्ष 2005-06 में अपरिष्कृत और तैयार दोनों प्रकार के उर्वरकों का निर्यात कुल मिलाकर 677 मिलियन अमेरिकी डालर था, इस संबंध में सल्फर और सबंधित संयोजनों के निर्यात का बेहतर अवसर था (274, सल्फर/अनरोस्टिड पायराइट्स, आकृति 1)।

ईंधन

2000-04 के दौरान रूस से कुछ प्रकार के कोयले, तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, जिनका भारत में काफी अधिक मात्रा में अधिप्रापण किया जाता है, के प्रबल निर्यात की काफी अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थीं। इसी दौरान विभिन्न कस्टम आंकड़ों में दर्ज किए गए अनुसार इन वस्तुओं के रूस से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिनमें ''खनिज ईंधन, तेल और स्रबंधित परिष्करण उत्पाद'' जैसी वस्तुएं शामिल हैं, इस संबंध में वर्ष 2004 के आंकड़े (13.5 मिलियन अमेरिकी डालर) का है जो 1999 के 1.5 मिलियन अमेरिकी डालर वृद्धि को दर्शाता है।

धातु

भारत रूसी क्षेत्र में उत्पादित धातुओं का एक सक्रिय आयातक और निर्यातक है। धातुओं के संबंध में जबकि रूस निष्कर्षण और विकास के संदर्भ में आरसीए की स्थिति में है, वहीं भारत द्वारा आयात समूह 673, 675, 689 के अंतर्गत स्थित वस्तुओं का आयात करता है। भारत में निकल (683) की प्रबल मांग हो सकती है जो रूस से भारत को काफी मंद गति से निर्यात किया जाता है।

रूस से भारत में निर्यात के लिए संदर्शी वस्तुओं का समूह (2004 की स्थिति के अनुसार):

रूस से भारत में निर्यात के लिए संदर्शी वस्तुओं का समूह (2004)

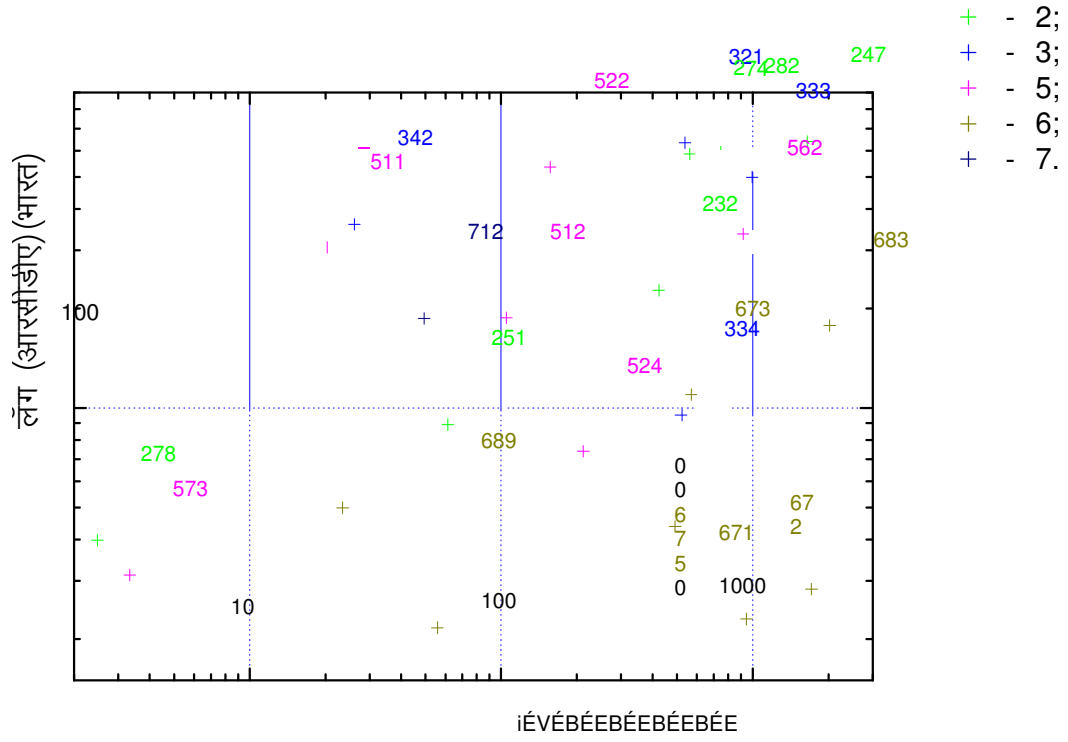

आकृति 1 : 2004 की स्थिति के अनुसार भारत में रूसी निर्यात के संदर्शी वस्तुओं का समूह। समूहों को संकेतिका के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है।

0	खाद्य पदार्थ तथा सजीव जंतु
1	पेय पदार्थ तथा तम्बाकू
2	अपरिष्कृत पदार्थ, अखाद्य पदार्थ, ईंधन को छोड़कर
3	खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्रियां
4	जांतव तथा वनस्पित तेल, वसा और मोम
5	रसायन तथा संबंधित उत्पाद, एन ई एस
6	विनिर्मित वस्तुएं जो मुख्य रूप से पदार्थ द्वारा वर्गीकृत हों
7	मशीन और परिवहन उपकरण
8	विविध विनिर्मित वस्तुएं
9	एसआईटीसी में कहीं भी वर्गीकृत नहीं की गई वस्तुएं तथा सौदे

तालिका 11 : उन वस्तुओं की सूची जिनका रूस से निर्यात और भारत में आयात औसत वैश्विक स्थिति से काफी अधिक है (2004 की स्थिति)

रूस-भारत	आरसीए रूस	आरसीडीए भारत
232 - रबर संश्लिष्ट/अपशिष्ट/आदि	423.71	227.07
247 - रूक्ष/आयाताकार काष्ठ	1 645.71	638.84
251 - लुगदी और अपशिष्ट कागज	61.34	89.16
272 - उर्वरक अपरिष्कृत	361.48	1 222.45
274 - गंधक/बिना भुने पाइराइड्स	562.60	586.26
278 - अन्य अपरिष्कृत खनिज	2.48	39.79
282 - लौह ापशिष्ट/ रद्दी	745.19	593.81
321 - कोयला संपीड़ति	538.26	633.45
325 - कोक/सेमी-कोक/रिटार्ट कोक	678.76	1 853.52
333 - पेटोल/बिटुमिन तेल, परिष्कृत	996.30	498.81
334 - भारती पेट्रोल/बिटुमन तेल	519.00	95.18
342 - द्रव प्रोपेन/ ब्यूटेन	26.05	359.00
511 - हाइड्रोकार्बन/व्युत्पन्न पदार्थ	20.29	305.43
512 - अल्कोहल/फिनॉल/ व्युत्पन्न पदार्थ	104.90	187.28
522 - तत्व/ऑक्साइड/एचएएल आक्साइड	156.83	535.48
524 - अन्य अकार्बनिक रसाय	212.10	74.04
562 - विनिर्मित उवर्रक	917.57	335.95
573 - विनाइल क्लोराइड आदि बहुलक	3.33	31.20
671 - ढलवां लोहा आदि लौह मिश्रधातु	945.94	23.01
672 - प्राथमिक/उत्पादित लौह/इस्पात	1 715.74	28.32
673 - चपटा/वेल्लित लौह/इस्पात उत्पाद	571.41	109.83
675 - चपटा/वेल्लित मिश्रधातु उत्पाद	23.45	49.92
679 - लौह/इस्पात पाइप/ट्यूब/ आदि	55.78	21.65
683 - निकल	2 026.44	177.45

689 - विविध अलौह क्षार धातु	492.30	43.82
712 - भाप/वाष्प टरबाइन	49.44	186.65

रूस में भारत से आयात

रूस में भारतीय बाजार से आयात हेतु मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, विभिन्न धातुओं, रसायन उद्योग के उत्पादों तथा मशीन निर्माण उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों को महत्त्व दिया जाता है। वैश्विक बाजार तथा रूस में मांग-वार संभावित रूप से अपेक्षित तुलनात्मक लाभ वाले भारतीय जिन्सों के समूहों का वस्तु रेंज भारत के लिए अपेक्षित रूसी जिन्सों की रेंज की तुलना में काफी व्यापक है। यहां परंपरागत रूप से भारतीय हॉलमार्क युक्त आयात की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए चाय, कॉफी और तम्बाकू। पूर्व में, वर्ष 2004 में ये वस्तु श्रेणियां भारत से कृषि उत्पादों के रूसी आयात की 83% थी। इनमें से 55% कॉफी, चाय और संबंधित निष्कर्षणों और सांद्रणों के आयात से संबंधित है तथा शेष 28% हिस्सा तम्बाकू के आयात से संबंधित है। तथापि, हमें यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि रूस द्वारा भारतीय चाय के समग्र आयात के एक हिस्से के रूप में इस वस्तु के आयात द्वारा की जाने वाली भागीदारी में कमी आई है। रूस में भारत से आयात से संबंधित संदर्शी वस्तु समूह (2004 की स्थिति के अनुसार) नीचे दर्शाया गया है:

रूस में भारत से आयात से संबंधित संदर्शी वस्तु समूह (2004)

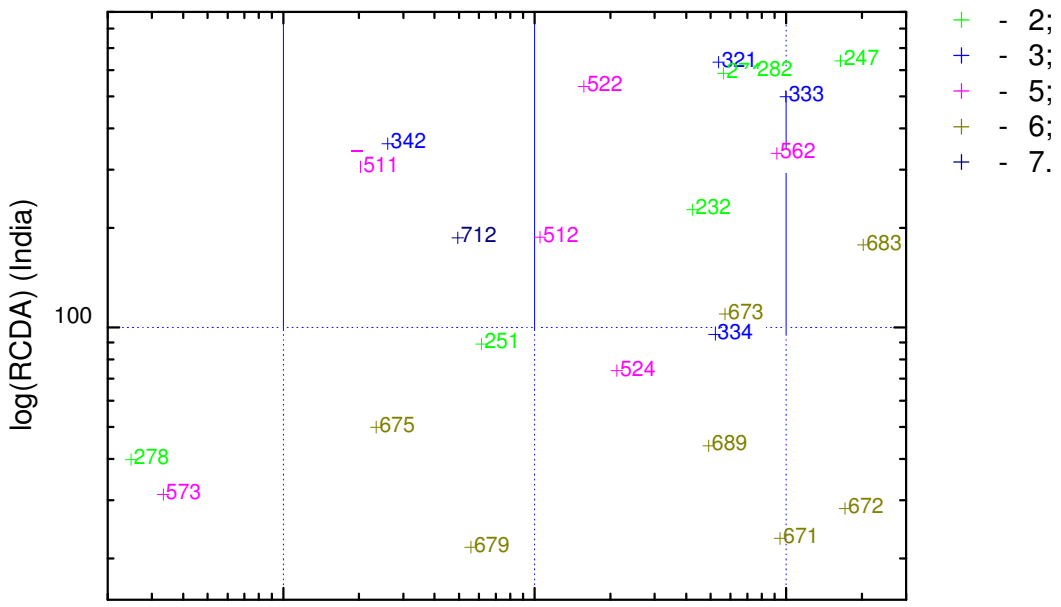

आकृति 2 : 2004 की स्थिति के अनुसार रूस में भारतीय वस्तुओं के आयात के संदर्शी वस्तुओं का समूह। समूहों को संकेतिका के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है।

0	खाद्य पदार्थ तथा सजीव जंतु
1	पेय पदार्थ तथा तम्बाकू
2	अपरिष्कृत पदार्थ, अखाद्य पदार्थ, ईंधन को छोड़कर
3	खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्रियां
4	जांतव तथा वनस्पित तेल, वसा और मोम
5	रसायन तथा संबंधित उत्पाद, एन ई एस
6	विनिर्मित वस्तुएं जो मुख्य रूप से पदार्थ द्वारा वर्गीकृत हों
7	मशीन और परिवहन उपकरण
8	विविध विनिर्मित वस्तुएं
9	एसआईटीसी में कहीं भी वर्गीकृत नहीं की गई वस्तुएं तथा सौदे

तालिका 11

तालिका 12 : उन वस्तुओं की सूची जिनका भारत से निर्यात और रूस में आयात औसत वैश्विक स्थिति से काफी अधिक है (2004 की स्थिति)

तालिका 13

रूस-भारत	आरसीए रूस	आरसीडीए भारत
011 - गोमांस, ताजे/शीतित/फ्रोजन	131.55	447.36
025 - अंडे, एल्बुमिन	213.62	55.48
041 - गेहूं, मेसलिन	117.32	72.80
042 - चावल	2 368.49	76.90
046 - आटा/पीसी हुई गेहूं/मेसलिन	54.61	178.92
047 - पीसे हुए अनाज/आटा एनईएस	13.58	109.10
054 - सब्जियां, ताजे/शीतित/फ्रोजन	38.65	126.12
057 - फल/गिरीदार फल, ताजे/शुल्क	121.67	391.01
071 - कॉफी/कॉफी प्रतिस्थानी	168.39	257.39
074 - चाय और मेट	1 597.17	1 221.74
075 - मसाले	1 021.90	2.50
081 - पशु चारा ईएक्स - बिना पीसा हुआ अनाज	192.71	77.17
121 - तम्बाकू, अपरिष्कृत और अपशिष्ट तम्बाकू	314.48	1 018.50
223 - तिलहन - अमृदु तेल	127.82	78.29
263 - कपास	32.22	320.04
264 - जूट/बास्ट फाइबर कच्चा/रिटार्ड	226.39	84.13
265 - वनस्पति टैक्सटाइल धागे एक्स सूती/जूट	39.77	278.23

273 - पत्थर/बालू/बजरी	930.20	94.71
278 - अन्य अपरिष्कृत खनिज	85.64	104.42
281 - लौह अयस्क/सांद्र पदार्थ	2 858.57	486.35
285 - ऐलुमिनियम अयस्क/सांद्रित पदार्थ/ निष्कर्षण	538.07	1 553.05
287 - क्षार धातु अयस्क/सांद्रित पदार्थ	552.56	319.68
292 - अपरिष्कृत वनस्पति पदार्थ एनईएस	162.11	89.99
422 - स्थायी वनस्पति तेल अमृदु	119.93	209.78
431 - जंतु/वनस्पति तेल संसाधित	30.19	5.60
523 - अकार्बनिक अमल के धात्विक लवण	73.99	115.90
542 - वनस्पति सहित औषधियां	28.95	104.86
551 - अनिवार्य तेल/परफ्यूम/फ्लेवर	8.35	124.33
574 - पॉलि एसिटल्स/पॉलिऐस्टर	51.24	82.30
591 - घरेलू/उद्यान रसायन	255.60	67.67
625 - रबर के टायर/जूते के तल्ले	55.85	49.97
629 - रबर की वस्तुएं	21.03	19.29
653 - मानव निर्मित बुने हुए वस्त्र	319.82	24.55
658 - मानव निर्मित वस्त्र से बुनी वस्तुएं	758.53	19.93
661 - चूना/सीमेंट/निर्माण सामग्री	379.26	24.92
671 - ढलवाँ लोहा, निष्कर्षित लौह मिश्रधातु	299.99	270.47
673 - चपटे, वेल्लित लौह/इस्पात उत्पाद	250.04	22.52
674 - वेल्लित पट्टित एम इस्पात	524.55	87.25
675 - चपटे वेल्लित मिश्रधातु इस्पात	179.87	16.31
676 - लौह/इस्पात दंड/छड/आदि	74.20	103.93
678 - लौह/इस्पात तार	205.07	25.22
679 - लौह/इस्पात पाइप/ट्यूब/आदि	180.77	310.48
691 - लौह/इस्पात/ऐलुमिनियम संरचनाएं	12.40	180.39
695 - हस्त/मशनी चालित उपकरण	44.91	35.19
697 - क्षार धातु हस्तधारित उपकरण	296.37	101.80
699 - क्षार धातु विनिर्मित पदार्थ	59.62	21.72
711 - भापजनित्र बॉयलर	91.83	27.61
746 - बॉल/रोलर बियरिंग्स	1.59	19.69
774 - चिकित्सीय आदि उपकरण	18.33	209.68

परिशिष्ट 3.2

भारत द्वारा रूस को निर्यात (मिलियन अमेरिकी डालर में)

एसआईटीसी संशोधित-3 2-अंक	कोड	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
चिकित्सीय और औषधीय उत्पाद	54	109.3	104.9	98.1	102.7	133.3	154.4	235.5
कॉफी, चाय, कोको, मसाले और उनसे विनिर्मित सामग्रियां	07	229.3	187.6	154.6	107.0	102.7	89.7	123.2
सब्जियां और फल	05	4.5	3.0	3.1	6.0	13.6	23.0	56.8
तम्बाकू और तम्बाकू से निर्मित सामग्रियां	12	47.3	28.2	22.2	24.0	20.6	31.5	39.4
सूती धागे, वस्त्र, निर्मित वस्तुएं, एनईएस, और संबंधित उत्पाद	65	78.1	78.1	37.4	19.2	22.5	17.4	37.9
परिधान और पहनने के वस्त्र से संबंधित वस्तुएं	84	249.1	321.8	337.9	265.6	203.8	104.2	22.1
सड़क वाहन (हवा के गद्दे वाले वाहनों सहित)	78	1.5	2.1	1.3	2.0	2.6	9.0	14.5
लोहा और इस्पात	67	0.1	0.4	1.5	1.7	6.1	5.9	12.7
कार्बनिक रसायन	51	15.6	8.3	6.7	6.6	10.1	10.3	12.5
वैद्युत मशीनरी, उपकरण और यंत्र, एनईएस, और वैद्युत पुर्जे (घरेलू प्रकार के यंत्रों के गैर वैद्युत उपकरणों, एनईएस सहित)	77	27.2	9.2	17.1	7.7	4.5	12.2	11.9
विशिष्ट उद्योग हेतु निर्मित की गई मशीनें	72	2.5	4.1	7.4	3.8	7.9	7.0	11.8
धातु, एनईएस का विनिर्माण	69	2.4	2.3	2.7	2.3	5.6	8.8	11.5
विविध विनिर्मित वस्तुएं, एनईएस	89	30.6	25.7	15.0	9.9	12.4	13.3	11.5
रंगने, पकाने और सुखाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां	53	1.2	2.0	2.4	4.4	4.2	6.3	11.3

अप्राथमिक रूप में प्लास्टिक	58	1.1	0.8	2.5	4.0	6.8	10.2	10.5
परिवहन उपकरण, एनईसी	79	2.0	0.1	4.4	12.2	3.0	4.4	10.3
प्राथमिक रूप में प्लास्टिक	57	0.7	1.4	0.8	1.0	5.6	3.4	9.2
चमड़ा, चमड़े से बनी वस्तुएं, एनईएस और लोमचर्म के कपड़े	61	1.4	2.8	5.6	3.3	5.0	3.8	8.9
अधात्विक खनिज और इससे बनी वस्तुएं, एनईएस	66	1.2	2.4	3.3	3.5	4.3	5.7	7.4
अनाज और अनाज से बनी वस्तुएं	04	38.0	0.6	5.9	7.6	13.8	1.2	6.7
सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, एनईएस तथा मशीन के भाग	74	8.2	1.5	3.2	1.8	3.1	5.3	6.0
कागज, गत्ते और कागज की लुगदी, कागज या गत्ते से बनी वस्तुएं	64	0,9	1,9	1,5	1,6	2,2	2,8	5,8
अपरिष्कृत जंतु तथा वनस्पति सामग्रियां, एनईएस	29	0.3	1.7	0.9	1.9	1.7	2.2	5.1
दूरसंचार तथा ध्वनि रिकार्डिंग और पुनःउत्पादन उपकरण तथा यंत्र	76	0.1	3.7	4.3	1.2	4.5	4.2	4.5
तिलहन तथा तेलयुक्त फल	22	3.6	6.7	5.5	1.7	1.8	4.0	4.0
अलौह धातुएं	68	2.9	1.2	0.5	0.6	1.4	0.6	3.9
विद्युत-जनित्र मशीन और उपकरण	71	6.7	0.6	0.6	4.9	0.4	3.2	3.6
अनिवार्य तेल तथा रेजिनयुक्त और सुगंधित सामग्रियां; प्रसाधन, पालिश करने और	55	7.1	6.3	8.0	4.4	6.6	4.4	3.5

साफ-सफाई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं								
रबड़ से बनी वस्तुएं, एनईएस	62	5.5	4.8	2.5	1.8	3.6	1.1	3.3
रासायनिक पदार्थ और उत्पाद, एनईएस	59	8.7	5.0	2.4	0.8	1.6	2.6	2.6
मछली (समुद्री स्तनपायी नहीं), कस्ट्रेशियाई, मोलस्क और जलीय अकशेरुकी, तथा उनसे बनी सामग्रियां	03	0.1	0.2	2.0	0.8	0.2	0.2	2.4
स्थिर वनस्पति वसा तथा तेल, कच्चे, परिष्कृत या प्रभाजित	42	11.5	11.0	12.0	7.1	11.5	1.7	2.4
व्यावसायिक, वैज्ञानिक और नियंत्रक, यंत्र और उपकरण, एनईएस	87	6.5	4.7	2.2	1.1	0.7	0.9	1.8
जूते	85	10.4	7.0	1.6	0.5	0.3	1.5	1.4
जंतु या वनस्पति वसा और संसाधित तेल; जंतु या वनस्पति वसा या तेल से प्राप्त मोम और खाद्य मिश्रण या विनिर्मित सामग्रियां, एनईएस	43	0.2	0.1	0.3	0.7	1.4	0.7	1.2
यात्रा के दौरान प्रयुक्त वस्तुएं, हैंडबैग और ऐसी ही अन्य वस्तुएं	83	13.3	18.9	8.0	6.0	5.3	2.0	1.1
कच्चे उर्वरक (केवल आयात) - प्रभाग 56 के अंतर्गत स्थित उर्वरकों को छझैड़कर, तथा कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोलियम तथा बहुमूल्य पत्थरों को छोड़कर)	27	0.0	0.3	0.4	0.5	0.2	0.6	1.0
कार्यालय में प्रयुक्त मशीनें तथा स्वचालित	75	0.6	1.8	0.8	0.9	0.7	0,1	0.9

आंकड़ा प्रक्रमण मशीनें								
पशुओं के लिए चारा (इसमें अचूर्णित अनाज शामिल नहीं है)	08	5.4	10.4	0.1	0.1	0.3	1.3	0.9
अकार्बनिक रसायन	52	0.4	0.7	0.4	0.4	0.5	0.8	0.8
धातु कार्यकारी मशीनें	73	0.6	0.4	0.8	0.3	0.2	0.5	0.6
वस्त्र निर्माण हेतु रेशे (ऊनी टॉप्स और अन्य साफ की हुई ऊन को छोड़कर) तथा उनके अपशिष्ट (धागे या रेशों में विनिर्मित नहीं)	26	0.2	0.9	0.5	0.2	0.5	0.5	0.6
कॉर्क और काष्ठ से निर्मित वस्तुएं - फर्नीचर को छोड़कर	63	0.6	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4
मांस और मांस से बने पदार्थ	01			0.1	0.1		0.6	0.3
फोटोग्राफिक उपकरण, यंत्र तथा आपूर्तियां तथा प्रकाशीय वस्तुएं, एनईएस; घड़ियां और दीवार घड़ियां	88	1.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3
फर्नीचर और उनके हिस्से; बिस्तर की सामग्रियां, दरियां, दरियों के लिए सहायक वस्तुएं, तकिया और इसी प्रकार की अन्य भरी हुई सामग्रियां	82			0.0	0.0	0.2	0.2	0.1
चीनी, चीनी से बनी वस्तुएं और शहद	06	0.0		0.2	0.0	1.1	0.1	0.1
खाल, चमड़ा और लोमचर्म, कच्चा	21					0.4		0.0
लौह धातुयुक्त अयस्क और धातु के कतरन	28	5.7	22.1	0.8	56.2	54.9	33.6	0.0
कच्ची रबड़ (संश्लेषित और रिक्लेम्ड रबड़युक्त)	23		0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0
पूर्व-संरचित भवन; स्वच्छता सामग्रियां,	81	0.2		0.3	0,0	0.6	1.3	0.0

नलसाजी, तापन तथा प्रकाशन, जुड़नार और फिटिंग्स; एनईएस								
उर्वरक (निर्यात - समूह 272 छोड़कर; आयात - समूह 272 को छोड़कर)	56			5.6				0.0
कॉर्क और काष्ठ	24		0.0					0.0
लुगदी और अपशिष्ट कागज	25					0.0	0.0	0.0
बियरिंग उत्पाद तथा चिड़ियों के अंडे	02		0.0		0.0	0.0		
विविध खाद्य उत्पाद तथा उनसे बनी वस्तुएं	09	0.2	0.3	1.3	0.1	0.1	0.0	
मादक पेय पदार्थ	11	0.1		0.0		0.0	0.0	
कोयला, कोक और ब्रिकेट	32			0.0				
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं तथा संबद्ध सामग्रियां	33			0.1	0.0	0.0	0.1	
जंतु तेल तथा वसा	41			0.1			0.0	
विशेष सौदे, तथा श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई सामग्रियां	93	2.8	4.1	9.6	9.7	9.8	0.9	

स्रोतः यूएन कॉमट्रेड

परिशिष्ट 3.3

रूस द्वारा भारत को निर्यात (मिलियन अमेरिकी डालर में)

एसआईटीसी संशोधित-3 2-अंक	कोड	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
लोहा और इस्पात	67	24.0	54.7	36.7	109.7	113.7	208.4	361.6
विद्युत-जनित्र मशीन और उपकरण	71	79.0	37.3	55.0	44.6	68.0	234.0	254.0
उर्वरक (निर्यात - समूह 272 छोड़कर; आयात - समूह 272 को छोड़कर)	56	110.1	92.9	101.2	56.4	49.4	27.4	182.0
सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, एनईएस तथा मशीन के भाग	74	25.7	34.2	36.1	18.6	51.5	120.3	162.9
व्यावसायिक, वैज्ञानिक और नियंत्रक, यंत्र और उपकरण, एनईएस	87	17.7	31.0	39.1	62.4	91.9	119.6	145.4
वैद्युत मशीनरी, उपकरण और यंत्र, एनईएस, और वैद्युत पुर्जे (घरेलू प्रकार के यंत्रों के गैर वैद्युत उपकरणों, एनईएस सहित)	77	12.0	21.1	18.7	25.2	39.1	57.0	111.2
कागज, गत्ते और कागज की लुगदी, कागज या गत्ते से बनी वस्तुएं	64	55.6	59.6	65.0	56.0	66.3	94.6	107.0
दूरसंचार तथा ध्वनि रिकार्डिंग और पुनःउत्पादन उपकरण तथा यंत्र	76	34.5	18.4	38.2	39.6	51.2	72.9	102.8
धातु, एनईएस का विनिर्माण	69	26.1	13.8	18.5	12.7	91.2	88.0	101.5
विविध विनिर्मित वस्तुएं, एनईएस	89	294.9	305.3	85.7	154.2	134.9	119.7	77.2
धातु कार्यकारी मशीनें	73	5.8	1.8	3.8	1.9	10.4	15.5	60.4
लौह धातुयुक्त अयस्क और धातु के कतरन	28	8.5	2.7		0.0		16.4	46.8

कार्यालय में प्रयुक्त मशीनें तथा स्वचालित आंकड़ा प्रक्रमण मशीनें	75	1.7	4.0	0.9	2.3	3.2	18.3	24.4
कच्चे उर्वरक (केवल आयात) - प्रभाग 56 के अंतर्गत स्थित उर्वरकों को छझैड़कर, तथा कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोलियम तथा बहुमूल्य पत्थरों को छोड़कर)	27	1.5	3.1	6.7	11.0	11.2	13.4	22.6
कोयला, कोक और ब्रिकेट	32	48.1	3.7	5.5	2.9	19.5	57.9	21.1
परिवहन उपकरण, एनईसी	79	53.9	217.4	93.5	30.5	593.1	22.2	19.0
अलौह धातुएं	68	6.1	17.9	31.7	18.4	37.2	7.4	17.5
कार्बनिक रसायन	51	0.8	1.8	3.1	1.0	4.8	8.1	15.9
अकार्बनिक रसायन	52	0.7	0.5	0.9	3.2	7.7	10.3	15.5
अधात्विक खनिज और इससे बनी वस्तुएं, एनईएस	66	3.0	1.5	2.0	1.6	0.9	1.9	14.1
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं तथा संबद्ध सामग्रियां	33	0.4	0.5	0.0	0.1	31.0	35.7	12.4
विशिष्ट उद्योग हेतु निर्मित की गई मशीनें	72	20.8	13.7	2.0	7.4	21.2	9.4	10.9
रासायनिक पदार्थ और उत्पाद, एनईएस	59	13.6	7.0	9.4	7.5	6.0	12.8	7.2
रबड़ से बनी वस्तुएं, एनईएस	62	4.1	8.9	2.0	2.4	8.5	7.3	6.0
कच्ची रबड़ (संश्लेषित और रिक्लेम्ड रबड़युक्त)	23	8.6	9.5	19.8	36.5	31.4	29.9	5.1
लुगदी और अपशिष्ट कागज	25	0.4	1.6	1.2	1.6	1.9	3.9	3.5
फर्नीचर और उनके हिस्से; बिस्तर की सामग्रियां, दरियां, दरियों के लिए सहायक वस्तुएं, तकिया और	82	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	1.0	1.6

इसी प्रकार की अन्य भरी हुई सामग्रियां								
सड़क वाहन (हवा के गद्दे वाले वाहनों सहित)	78	0.4	0.4	6.2	12.1	5.6	0.4	1.5
पूर्व-संरचित भवन; स्वच्छता सामग्रियां, नलसाजी, तापन तथा प्रकाशन, जुड़नार और फिटिंग्स; एनईएस	81	0.1	0.5	9.1	0.4	1.3	1.3	1.4
प्राथमिक रूप में प्लास्टिक	57	1.1	0.7	1.3	1.1	1.4	1.8	1.3
सब्जियां और फल	05			1.3	6.7	3.8	1.5	1.0
सूती धागे, वस्त्र, निर्मित वस्तुएं, एनईएस, और संबंधित उत्पाद	65	0.3	1.0	1.0	0.7	0.8	2.3	1.0
कॉर्क और काष्ठ	24		0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9
फोटोग्राफिक उपकरण, यंत्र तथा आपूर्तियां तथा प्रकाशीय वस्तुएं, एनईएस; घड़ियां और दीवार घड़ियां	88	2.1	2.6	3.8	1.9	0.8	1,7	0.5
रंगने, पकाने और सुखाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां	53	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
चमड़ा, चमड़े से बनी वस्तुएं, एनईएस और लोमचर्म के कपड़े	61	0.1	0.0	0.0		0.3	0.6	0.4
चिकित्सीय और औषधीय उत्पाद	54	2.3	2.2	2.9	0.3	0.6	0.4	0.4
अप्राथमिक रूप में प्लास्टिक	58	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2
कॉर्क और काष्ठ से निर्मित वस्तुएं - फर्नीचर को छोड़कर	63	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
वस्त्र निर्माण हेतु रेशे (ऊनी टॉप्स और अन्य साफ की हुई ऊन को	26		0.1		0.1	0.2	0.1	0.1

छोड़कर) तथा उनके अपशिष्ट (धागे या रेशों में विनिर्मित नहीं)								
अनिवार्य तेल तथा रेजिनयुक्त और सुगंधित सामग्रियां; प्रसाधन, पालिश करने और साफ-सफाई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं	55		0.0		0.0	0.0	0,1	0.1
तिलहन तथा तेलयुक्त फल	22			1.2		0.2	1.1	0.1
परिधान और पहनने के वस्त्र से संबंधित वस्तुएं	84	0.8	0.1	0.1	0.1	0.9	1.1	0.0
यात्रा के दौरान प्रयुक्त वस्तुएं, हैंडबैग और ऐसी ही अन्य वस्तुएं	83	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉफी, चाय, कोको, मसाले और उनसे विनिर्मित सामग्रियां	07	0,0	0.0	0.0				0.0
अपरिष्कृत जंतु तथा वनस्पति सामग्रियां, एनईएस	29						0,0	0.0
मादक पेय पदार्थ	11			0.0		0.0		0.0
जूते	85				0.0			0.0
मांस और मांस से बने पदार्थ	01							
बियरिंग उत्पाद तथा चिड़ियों के अंडे	02							
मछली (समुद्री स्तनपायी नहीं), कस्ट्रेशियाई, मोलस्क और जलीय अकशेरुकी, तथा उनसे बनी सामग्रियां	03							
अनाज और अनाज से बनी वस्तुएं	04							
चीनी, चीनी से बनी वस्तुएं और शहद	06							
पशुओं के लिए चारा	08							

(इसमें अचूर्णित अनाज शामिल नहीं है)								
विविध खाद्य उत्पाद तथा उनसे बनी वस्तुएं	09							
	12							
खाल, चमड़ा और लोमचर्म, कच्चा	21	0.1		0.1				
जंतु तेल तथा वसा	41							
स्थिर वनस्पति वसा तथा तेल, कच्चे, परिष्कृत या प्रभाजित	42	0.3						
जंतु या वनस्पति वसा और संसाधित तेल; जंतु या वनस्पति वसा या तेल से प्राप्त मोम और खाद्य मिश्रण या विनिर्मित सामग्रियां, एनईएस	43						0.0	
विशेष सौदे, तथा श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई सामग्रियां	93	311.2	109.1					

स्रोतः यूएन कॉमट्रेड

परिशिष्ट 3.4

भारत द्वारा रूसी परिसंघ को किया गया निर्यात (वर्ष 1993-2000) (मिलियन अमेरिकी डालर)[1]

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
सभी वस्तुएं	648.6	807.3	1046.56	811.84	954.12	709.26	952.60
चाय	99.82	86.36	142.69	75.04	198.49	197.89	160.23
सहायक सामग्री सहित तैयार सूती कपड़े	28.29	27.03	39.66	30.47	52.92	93.13	157.86
औषधि, औषधीय सामग्रियां तथा सूक्ष्म रसायन	89.82	89.84	90.92	108.99	106.07	47.65	113.94
सूती धागे से बने वस्त्र आदि	14.56	31.67	35.52	61.78	76.61	51.23	68.27
कॉफी	26.10	44.96	102.10	85.78	93.97	59.17	51.91
तम्बाकू, अनिर्मित	48.07	4.77	21.63	30.35	59.27	25.12	44.63
ऊनी तैयार कपड़े	21.39	21.95	33.23	33.52	25.76	15.74	39.12
गैर-बासमती चाव	-	0.46	31.61	89.51	41.37	33.51	36.08
मानव-निर्मित रेशों से बने तैयार कपड़े	13.07	8.30	12.26	12.22	16.06	26.01	34.21
प्लास्टिक तथा लिनोलियम के उत्पाद	59.88	25.01	27.94	32.82	30.80	12.64	24.24
मशीनरी और यंत्र	16.97	26,54	20.39	20.92	14.15	18.84	20.95
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	21.29	37.58	18.20	4.75	20.1	5.84	18.98
मसाले	7.44	15.07	8.96	9.09	14.70	8.29	11.86
अरंडी का तेल	8.07	15.18	13.54	2.2	1.83	1.06	11.67
चमड़े से बनी वस्तुएं	13.68	9.64	5.61	6.41	8.28	5.37	9.84
चमड़े के जूते	20.44	31.97	18.89	12.34	27.94	11.84	9.72
मानव-निर्मित वस्तुएं	9.55	21.53	6.77	6.72	5.02	2.65	8.53
कॉस्मेटिक्स/प्रसाधन सामग्री	25.47	51.24	34.88	19.09	20.26	7.86	7.84
धातुओं का विनिर्माण	2.09	3.74	2.37	2.16	2.26	2.91	6.14
प्राक्रमित खनिज पदार्थ	15.62	50.37	60.38	31.62	0.75	15.53	6.12
तैल चूर्ण	21.95	22.02	9.58	3.47	10.94	2.8	5.39
रबड़ विनिर्मित उत्पाद	2.89	1.74	4.78	2.34	3.77	3.81	5.37
हाथ से बनी दरियों को छोड़कर, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं	0.77	0.86	1.41	0.9	0.98	0.53	4.57
चमड़े के वस्त्र	-	-	6.43	7.41	8.66	3.96	3.48
मूंगफली	1.70	2.95	1.55	0.67	7.42	1.39	2.59
अलौह धातुएं	0.01	0.21	-	2.96	2.97	0.1	2.47

[1] आंकड़े और सतर्कता बिंदु समसिद्दीन (ईडी), भारत और रूस में विभिन्न लेखों में सीएमआईई सांख्यिकी टुअड्र्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (लांशर्स बुक्स 2001) : गुलशन सचदेवा, भारत-रूस व्यापार और आर्थिक संबंधः वर्तमान वास्तविकताएं और भावी संभावनाएं, आरजी गिडाधुबली, भारत-रूस आर्थिक संपर्कः चुनौतियां और अवसर तथा ताहिर असगर, भारत-रूस व्यापारः एक विहंगावलोकन से संकलित किए गए हैं।

ऊनी धागों से बने वस्त्र आदि	2.53	2.48	0.46	1.56	0.8	1.5	2.33
कागज/काष्ठ उत्पाद	1.81	1.88	2.17	2.42	0.55	1.64	2.31
बासमती चावल	0.31	1.01	2.83	1.17	0.28	0.03	2.01

परिशिष्ट 3.5

भारत द्वारा रूसी परिसंघ से किया गया आयात (वर्ष 1993-2000) (मिलियन अमेरिकी डालर)

	1993-94	**1994-95**	**1995-96**	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**
सभी वस्तुएं	256.89	504.54	857.53	628.98	679.02	545.42	618.23
विनिर्मित उर्वरक	3.65	40.50	130.66	77.17	157.42	65.16	63.27
लोहा और इस्पात	3.65	40.50	130.66	77.17	157.42	65.16	63.27
अलौह धातुएं	72.07	135.25	179.10	164.33	136.17	55.57	59.52
अखबारी कागज	35.54	41.34	85.38	74.13	82.26	60.93	50.26
कोयला, कोक और ब्रिकेट						5.71	40.96
गैर-वैद्युत मशीनरी	13.18	36.86	47.57	27.83	39.09	21.88	30.13
प्राथमिक इस्पात, ढलवां लोहा आधारित वस्तुएं	1.35	15.79	28.68	8.51	10.46	4.15	23.72
धातुयुक्त अयस्क और धातु के कतरन	2.82	7.88	9.97	10.89	17.21	13.40	20.04
संश्लेषित और संसाधित रबड़	0.83	4.01	4.42	4.83	8.10	12.41	16.18
कच्चा कपास और अपशिष्ट	0.42	3.95	5.36	1.51	15.64		
कार्बनिक रसायन	5.36	22.08	45.72	29.19	34.73	19.19	15.24
परियोजनागत वस्तुएं	11.76	57.01	16.30	9.27	1.18	18.32	14.95
सोना और चांदी	0.91	16.61	3.06	1.22	35.28	9.56	
परिवहन उपकरण	6.80	18.26	12.90	37.58	16.82	5.90	7.80
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	0.70	1.55	2.00	1.52	1.51	1.34	7.09
मुद्रित पुस्तकें, समाचारपत्र आदि	0.15		1.98	0.84	0.05	0.08	5.44
चिकित्सीय तथा औषधीय उत्पाद	1.96	1.74	2.57	5.22	5.78	5.56	4.98
गंधक और बिना पकाया गया लोहा			0.78	1.70			3.74
अकार्बनिक रसायन	1.48	5.49	1.88	14.43	17.89	13.11	3.17
धातु विनिर्माण	0.79	1.19	2.49	1.40	1.56	2.36	2.97
वैद्युत मशीनरी	0.11	0.44	0.86	0.47	1.36	1.27	2.66
व्यावसायिक यंत्र, प्रकाशकी से जुड़ी वस्तुएं आदि	0.06	0.29	1.29	1.64	1.09	0.94	2.1
अधात्विक खनिज पदार्थ	0.15	0.77	0.71	0.32	1.47	1.70	1.87
कच्ची खाल और चकड़े	0.88	0.42	0.86	1.11	0.79	1.02	1.33
आर्ट फेल, रेजिन, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं आदि	2.83	2.81	4.65	1.98	1.73	0.29	1.13

काष्ठ लुगदी तथा रद्दी कागज	5.47	9.59	23.23	6.44	10.73	0.70	0.85
मशीन उपकरण	39	0.27	9.31	4.61	2.24	2.58	0.66
बहुमूल्य मोती और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर	0.15	0.35	2.20	1.35	0.99	0.01	0.50
चमड़ा	0.57	0.08	0.07	0.05	0.34	0.71	0.30

भारत द्वारा रूसी परिसंघ से किया गया आयात (वर्ष 2000-2006) (मिलियन अमेरिकी डालर)

	वस्तु	**2000-2001**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-2005**	**2005-2006**
1.	लोहा और इस्पात	101.10	51.25	102.27	188.91	338.46	549.93
2.	विनिर्मित उर्वरक	86.17	137.29	96.51	140.69	231.46	484.95
3.	अलौह धातुएं	1.08	59.15	68.43	146.34	155.04	240.40
4.	चांदी	61.28	6.81	7.11	15.34	71.75	141.90
5.	अखबारी कागज	63.93	63.70	63.16	73.22	90.95	98.29
6.	सेंश्लिष्ट और संसाधित रबड़	16.73	30.72	37.50	54.90	65.88	78.87
7.	धातुयुक्त अयस्क तथा धातु के कतरन	7.25	4.04	6.72	7.91	8.44	53.03
8.	वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को छोड़कर, अन्य मशीन	16.76	17.54	28.64	33.37	29.49	48.23
9.	कार्बनिक रसायन	5.08	6.87	12.06	21.93	23.40	41.59
10.	अन्य अपरिष्कृत खनिज पदार्थ	6.84	14.96	15.07	21.88	21.29	40.98
11.	परिवहन उपकरण	30.23	6.30	9.69	60.11	4.27	26.72
12.	मुद्रित पुस्तकें, समाचारपत्र, पत्रिकाएं आदि	14.88	10.89	18.09	25.13	20.31	24.59
13.	अकार्बनिक रसायन	10.47	4.83	19.22	16.25	16.76	23.75
14.	मशीन उपकरण	1.23	0.72	0.41	1.14	3.56	19.77
15.	बहुमूल्य मोती तथा अर्ध-बहुमूल्य पत्थर	0.83	0.38	1.00	1.44	11.73	15.20
16.	कोयला कोक और ब्रिकें आदि	6.26	11.97	15.99	49.49	132.95	14.49
17.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	11.05	5.85	17.21	26.55	5.28	13.19
18.	प्राथमिक इस्पात, ढलवां लोहा आधारित वस्तुएं	13.96	3.63	4.10	8.82	35.72	11.60
19.	परियोजनागत वस्तुएं	4.44	3.09	2.06	9.00	4.61	11.15
20.	अन्य वस्तुएं	37.78	59.18	35.39	24.70	9.65	9.19
21.	धातु-निर्मित वस्तुएं	3.16	5.32	6.61	11.65	2.32	8.12
22.	चिकित्सीय तथा औषधीय उत्पाद	5.01	5.07	3.12	2.11	3.42	5.24

23.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को छोड़कर व्यावसायिक यंत्र आदि	1.27	2.56	1.16	3.94	2.08	5.01
24.	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं आदि	1.20	1.66	1.62	3.13	2.55	4.07
25.	लुगदी तथा रद्दी कागज	1.08	2.38	2.10	3.41	5.33	3.89
26.	दाल	0.00	1.98	9.01	2.71	1.37	3.82
27.	रासायनिक पदार्थ तथा उत्पाद	0.83	2.31	0.74	1.98	2.39	3.47
28.	गत्ते और उससे बनी वस्तुएं	0.17	0.15	0.05	0.51	0.43	2.05
29.	काष्ठ तथा काष्ठ उत्पाद	0.08	0.90	0.08	0.02	0.03	1.84
30.	इलेक्ट्रॉनिक मशीनरियों को छोड़कर, अन्य विद्युत चालित मशीनरी	0.50	1.02	1.25	1.57	2.99	1.68
31.	मानव-निर्मित तंतु/ काते गए धागे (अपशिष्ट सामग्री सहित)	0.67	0.45	2.27	0.15	0.47	1.64
32.	अधात्विक खनिज पदार्थ, मोती को छोड़कर	0.49	3.45	2.73	0.37	1.29	1.15
33.	रंगाई, पकाई, सुखाने के कार्य हेतु प्रयुक्त पदार्थ	0.17	0.03	0.17	0.15	0.33	0.82
34.	चमड़ा	0.27	0.32	0.63	0.16	0.59	0.62
35.	अन्य वस्त्र धागे, तंतु, निर्मित वस्तुएं	0.01	0.00	0.00	0.05	0.12	0.36
36.	कच्ची खाल और चमड़े	0.07	0.23	0.04	0.00	0.00	0.16
37.	ऊन, कच्ची	0.00	0.02	0.35	0.49	0.09	0.06
38.	भौतिक रूप में कम्पोजिट सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.05
39.	सोना	0.00	8.40	0.00	0.00	0.01	0.05
40.	प्राकृतिक रबड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
41.	मसाले	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03
42.	ऊनी तथा सूती कपड़ो के कतरन आदि	0.01	0.08	0.02	0.04	0.06	0.02
43.	तैयार कपड़े (बुने हुए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
44.	निर्मित वस्त्र सामग्रियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.	गंधक तथा बिना पका लोहा (तापित)	0.41	0.00	0.00	0.00	15.64	0.00
46.	उर्वरक, कच्चा	3.56	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
	किया गया कुल आयात	**516.3**	**535.5**	**592.61**	**959.6**	**1,322.7**	**1,992.0**
	रूस	**5**	**1**		**3**	**4**	**1**

आंकड़ों का स्रोतः डीजीसीआईएस, कोलकाता डीओसी-एनआईसी

परिशिष्ट 3.6

भारत द्वारा रूस को किया गया निर्यात (2001-02 से 2005-06)[2]

(मिलियन अमेरिकी डालर)

एचएस कोड	रूस को किया गया निर्यात 2001-06	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
01					0.01	
02	मांस तथा खाद्य मांस छीछड़े		0.09		0.62	0.33
03	मछली कौर क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय अकेशरुकी जीव	1.73	0.81	0.23	0.25	0.89
04	डेयरी उत्पादः पक्षियों के अंडेः प्राकृतिक शहदः जंतु मूल के खाद्य पदार्थ, जिनका अन्य कहीं विशिष्ट रूप में उल्लेख न किया गया हो या जिन्हें शामिल न किया गया हो		0.01	0.07		
05	जंतु मूल के उत्पाद, जिनका अन्य कहीं विशिष्ट रूप में उल्लेख न किया गया हो या जिन्हें शामिल न किया गया हो			0.03	0.00	0.01
06	सजीव पेड़ और अन्य पौधेः कंद; मूल और ऐसे ही अन्य पदार्थ; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते	0.00	0.02	0.21	0.30	0.29
07	खाद्य वनस्पति और कुछ मूल और कंद	0.41	1.29	1.98	2.96	12.72
08	खाद्य फल और गिरिदार फल; निंब फलों या तरबूज आदि के छिलके	1.79	2.42	5.09	10.38	12.54
09	कॉफी, चाय, मेट और मसाले	92.77	66.68	61.74	61.01	67.77
10	अनाज	5.79	7.58	13.96	1.11	6.50
11	चूर्णन उद्योग के उत्पाद; माल्ट, स्टार्च, इंसुलिन, गेहूं लासा	0.01			0.00	0.14
12	तिलहन और तेलयुक्त फल; विविध खाद्यान्न, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधे, घास और चारे	5.48	2.21	2.07	4.42	4.42
13	लाख; गोंद, रेजिन और अन्य वनस्पति रस तथा निष्कर्षण	0.83	1.39	1.23	1.83	4.32
14	वनस्पति लेपन सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिनका अन्य कहीं विशेष उल्लेख न	0.04	0.00		0.01	0.00

[2] भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ विदेश व्यापार और जिंसों से संबंधित आंकड़े खंड 1 (निर्यात), खंड 2 (आयात) (वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)। वार्षिक आंकड़े, मार्च में प्रकाशित किए गए अनुसार।

	किया गया हो या जिन्हें शामिल न किया गया हो					
15	जंतु तथा वनस्पति वसा और तेल तथा उनके विदरण उत्पाद; बहुमूल्य खाद्य वसा; जंतु या वनस्पति, मोम	12.01	7.57	12.53	2.14	2.54
16	मछली या क्रस्टेशियन परिवार के जीवों, मोलस्क या अन्य जलीय अकेशरुकी जीवों के मांस से बनी वस्तुएं	0.20			0.00	1.55
17	चीनी तथा चीनी से बने बिस्कुट आदि	0.16	0.04	1.04	0.09	0.09
18	कोको और कोको से बनी वस्तुएं	0.04			0.02	
19	अनाज, आटा, स्टार्च या दूध से बनी वस्तुएं; पेस्ट्री, कुक उत्पाद	0.02	0.03	0.02	0.11	0.17
20	सब्जियों, फल, गिरिदार फल या पौधों के अन्य हिस्सों से प्राप्त सामग्रियां	6.68	2.26	6.68	11.81	31.18
21	विविध खाद्य वस्तुएं	42.33	40.94	42.33	33.26	54.92
22	मादक पेय, स्पिरिट और सिरका	0.04	0.00	0.04	0.01	
23	खाद्य उद्योग से प्राप्त अवशिष्ट और अपशिष्ट; तैयार पशु चारा	0.26	0.07	0.26	1.65	0.87
24	तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प	20.88	24.09	20.88	31.80	39.27
25	नमक; सल्फर; मिट्टी और पत्थर; प्लास्टर के लिए प्रयुक्त सामग्रियां, चूना और सीमेंट	0.62	0.51	0.62	0.64	0.95
26	अयस्क, धातुमल और राख	10.38	13.27	10.38	9.43	0.01
27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन से प्राप्त उत्पाद; बिटुमनी पदार्थ, खनिज मोम	0.02	0.02	0.02	0.06	
28	अकार्बनिक रसायन; बहुमूल्य धातुओं, दुर्लभ भू-धातुओं या मूलकों, तत्त्वों या समस्थानिकों के यौगिक	45.58	43.59	45.58	25.08	0.84
29	कार्बनिक रसायन	13.84	10.78	13.84	11.91	13.42
30	औषधीय उत्पाद	131.23	98.95	131.23	163.63	233.15
31	उर्वरक				0.03	0.04
32	पकाई या रंगाई निष्कर्षण; पकाई और उनके व्युत्पन्न पदार्थ, रंग, वर्णक और अन्य रंग प्रदायी पदार्थ; रंग और वार्निश, पुट्टी और अन्य मैस्टिक्स; इंक	4.38	4.45	4.38	6.89	11.29
33	अनिवार्य तेल और रेजिंगयुक्त पदार्थ; सुगंधयुक्त पदार्थ, सौंदर्य सामग्रियां या प्रसाधन सामग्रियां	5.72	3.90	5.72	3.89	2.62

34	साबुन, कार्बनिक, पृष्ठ-सक्रिय एजेंट, कपड़े धोने के लिए सामग्रियां, स्नेहक सामग्रियां, कृत्रिम मोम, निर्मित मोम, पालिश करने या मांजने के लिए प्रयुक्त उत्पाद	1.01	0.49	1.01	0.68	0.89
35	एल्बुमिनयुक्त पदार्थ; आशोधित स्र्टाच; गोंद और एंजाइम	0.26	0.00	0.26	0.12	0.72
37	फोटोग्राफीय या सिनेमैटोग्राफीय उत्पाद	0.01	0.02	0.01	0.11	0.06
38	विविध रासायनिक उत्पाद	2.04	1.11	2.04	3.33	3.45
39	प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं	20.19	10.35	20.19	22.05	25.49
40	रबड़ और उससे बनी वस्तुएं	3.94	2.15	3.94	1.78	3.77
41	कच्ची खाल और चमड़ा (लोमचर्म को छोड़कर) और चमड़ा	5.08	3.19	5.08	3.84	8.42
42	चमड़े से बनी वस्तुएं तथा जीनसाजी आदि के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं; यात्रा के दौरान प्रयोग में लाई जाने वस्तुएं, हैंड बैग और इसी प्रकार के अन्य पात्र (बैग आदि) जो पशुओं की आंतों (रेशम के कीड़े को छोड़कर) से बनी हों	6.57	7.75	6.57	2.86	2.00
44	लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं; काष्ठ कोयला	0.09	0.19	0.09	0.33	0.43
47	काष्ठ या अन्य रेशेयुक्त सेल्युलोज आधारित सामग्रियों की लुगदी; कागज या गत्तों के कचरे और कतरन	0.01		0.01	0.00	0.00
48	कागज और गत्ते; कागज या गत्ते की वस्तुएं	2.29	1.65	2.29	3.19	5.77
49	मुद्रित पुस्तकें, अखबार, तसवीर और मुद्रण उद्योग में प्रयोग में लाई जाने वाली अन्य वस्तुएं; हस्तलिखित सामग्री, टाइप की हुई सामग्री और आयोजना	0.26	0.12	0.26	0.22	0.75
50	रेशम	0.18	0.04	0.18	0.33	0.27
51	ऊन, पशुओं के बारीक या मोटे बाल, घोड़े के बाल के धागे और बुने हुए वस्त्र	0.21	0.28	0.21	0.00	
52	कपास	15.97	13.96	15.97	12.22	27.75
53	अन्य वनस्पति वस्त्र रेशे; कागज के रेशे और कागज के धागे के बुने हुए वस्त्र	0.13	0.18	0.13	0.13	0.26
54	मानव-निर्मित तंतु	0.59	0.80	0.59	0.22	0.98

55	मानव-निर्मित रेशे	1.29	0.93	1.29	0.94	1.06
56	रुई, नमदा और बिना बुने गए; विशिष्ट अंतरालयुक्त धागे; सूतली, कोर्डेग, रस्सियां और केबल तथा उनसे बनी वस्तुएं	0.26	0.09	0.26	0.70	0.55
57	दरियां तथा अन्य वस्त्र तल को ढकने के लिए बनी वस्तुएं	0.77	0.24	0.77	0.92	1.81
58	विशेष रूप से बुने गए वस्त्र; गुच्छे में स्थित सूती वस्त्र	0.20	0.04	0.20	0.10	0.04
59	अंतरभरित, आवरित, ढके हुए या संस्तरित टेक्सटाइल वस्त्र; औद्योगिक उपयोग हेतु उपयुक्त वस्त्र वस्तुएं	0.99	0.96	0.99	1.34	2.69
60	हाथ से बुने हुए या कांटे से बुने हुए वस्त्र	0.11	0.49	0.11	0.10	0.19
61	परिधान की वस्तुएं और पहनने के कपड़ों से जुड़े उपकरण (बुने हुए या कांटे से बुने हुए)	173.90	218.57	173.90	95.43	17.84
62	परिधान की वस्तुएं और पहनने के कपड़ों से जुड़े उपकरण (बुने हुए या कांटे से नहीं बुने हुए)	31.52	46.63	31.52	9.91	3.25
63	अन्य निर्मित वस्त्र-वस्तुएं; सेट; पहने गए वस्त्रों की सामग्रियां; फटे-पुराने कपड़े	2.35	1.46	2.35	2.94	2.77
64	जूते, गुलफत्रांग और ऐसी ही अन्य वस्तुएं; इनके हिस्से	0.27	0.49	0.27	1.57	1.35
65	हैड गियर और उसके हिस्से	0.16	0.03	0.16		
66	छाते, धूप से बचने के छाते, वाकिंग स्टिक, सीट स्टिक, व्हिप्स, राइडिंग क्रॉप्स और उसके हिस्से	0.02		0.02		
67	पक्षियों के तैयार किए गए पंख और रोयें तथा पंख या रोयों से बनी वस्तुएं; कृत्रिम फूल; मानव केश से बनी वस्तुएं					0.00
68	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, ऐस्बसटॉस, अभ्रक या ऐसी सामग्रियों से बनी वस्तुएं	1.51	1.02	1.51	2.46	3.73
69	सिरामिक्स से बने उत्पाद	0.91	1.49	0.91	1.07	0.40
70	कांच और कांच से बनी वस्तुएं	1.13	0.63	1.13	1.67	2.90
71	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु	1.47	0.86	1.47	3.57	1.89

	से युक्त क्लैड तथा उससे बनी वस्तुएं; आईएमआईटी आभूषण; सिक्के					
72	लोहा और इस्पात	5.95	1.67	5.95	3.99	12.18
73	लोहा या इस्पात की वस्तुएं	1.44	0.53	1.44	3.64	3.15
74	तांबा और उससे बनी वस्तुएं	1.00	0.03	1.00	0.60	0.74
75	निकल और उससे बनी वस्तुएं				0.00	1.48
76	ऐलुमिनियम और उससे बनी वस्तुएं	1.00	0.65	1.00	0.59	2.44
79	जस्ता और उससे बनी वस्तुएं	0.01		0.01	0.07	0.08
80	टिन और उससे बनी वस्तुएं	0.06		0.06	0.00	
81	अन्य क्षार धातु; सर्मेट्स; उससे बनी वस्तुएं	0.06	0.09	0.06		0.06
82	क्षार धातु से निर्मित उपकरण, कटलरी, चम्मच और कांटे; क्षार धातु से बने उनके हिस्से	3.52	1.13	3.52	6.22	7.40
83	क्षार धातु से निर्मित विविध वस्तुएं	0.24	0.61	0.24	0.65	0.47
84	नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण; उसके हिस्से	13.00	11.77	13.00	18.37	22.67
85	वैद्युत मशीनरी तथा उपकरण और उसके हिस्से; ध्वनि रिकार्डर और पुनरुत्पादक, टेलीविजन प्रतिबिंब तथा ध्वनि रिकार्डर एवं पुनरुत्पादक तथा उसके हिस्से	9.50	4.75	9.50	18.37	16.79
86	रेलवे या ट्रॉमवे के इंजन, डिब्बे तथा उसके हिस्से; रेलवे या ट्रॉमवे पथ संयोजक तथा जुड़नार एवं उसके हिस्से; यांत्रिक	0.08		0.08	0.02	
87	रेलवे या ट्रामवे के इंजन और डिब्बों को छोड़कर अन्य वाहन तथा उनके हिस्से और उपकरण	2.62	2.00	2.62	9.53	14.45
88	वायुयान, अंतरिक्ष यान और उनके हिस्से	3.00	12.27	3.00	4.16	10.29
89	जहाज, नाव और अन्य उत्प्लावी संरचनाएं				0.21	
90	प्रकाशीय, फोटोग्राफीय, सिनेमैटोग्राफीय मापन, शुद्धता जांच, चिकित्सीय या शल्यचिकित्सा से संबद्ध उपकरण तथा यंत्र एवं उसके हिस्से	0.83	6.58	0.83	1.27	2.05
91	घड़ियां और दीवार घड़ियां तथा उसके हिस्से	0.27	0.17	0.23	0.04	0.02

92	वाद्य यंत्र; ऐसी वस्तुओं के हिस्से और उपकरण	0.04	0.00	0.03	0.00	0.01
93	हथियार एवं गोला बारूद; उसके हिस्से और उपकरण	0.01	0.01			
94	फर्नीचर; बिछावन की वस्तुएं, गद्दे, गद्दे में भरी जाने वाली वस्तुएं, तकिया और इसी प्रकार के अन्य भरे गए सामान; लैम्प और अन्य प्रकाशन उपकरण तथा अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट नहीं किए गए जुड़नार या आईएनसी	0.04	0.11	0.19	0.26	0.12
95	खिलौने, खेल और क्रीड़ा के लिए आवश्यक वस्तुएं; उनके हिस्से और उपकरण	0.19	0.04	0.33	0.24	0.23
96	विविध विनिर्मित वस्तुएं	6.22	2.72	1.72	1.62	2.22
97	कलाकृति संग्राहकों द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं से निर्मित वस्तुएं			1.15	1.06	0.48
98	परियोजना वस्तुएं, कुछ विशेष प्रयोग हेतु		0.00	1.45	0.03	1.19
99	विविध वस्तुएं		9.72	8.51	0.86	10.31
95	खिलौने, खेल और क्रीड़ा के लिए आवश्यक वस्तुएं; उनके हिस्से और उपकरण	0.19	0.04	0.33	0.24	0.23
96	विविध विनिर्मित वस्तुएं	6.22	2.72	1.72	1.62	2.22
97	कलाकृति संग्राहकों द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं से निर्मित वस्तुएं			1.15	1.06	0.48
98	परियोजना वस्तुएं, कुछ विशेष प्रयोग हेतु		0.00	1.45	0.03	1.19
99	विविध वस्तुएं		9.72	8.51	0.86	10.31

परिशिष्ट 3.7

रूस के एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की हिस्सेदारी का तुलनात्मक रुझान विश्लेषण

मूल्य मिलियन अमेरिकी डालर में

वर्ष	वैश्विक आयात	भारत से आयात	रूस के कुल आयात में भारत की % हिस्सेदारी
1997	66326.58	801.22	1.21

1998	58996.33	668.23	1.13
1999	40428.95	677.19	1.68
2000	45452.72	556.19	1.22
2001	41527.82	542.28	1.31
2002	42103.36	512.81	1.22
2003	52410.08	583.51	1.11
2004	75030.17	629.65	0.83

रूस के वैश्विक आयात के शीर्षस्थ 20 उत्पाद समूह (वर्ष 2004)

मूल्य मिलियन अमेरिकी डालर में

एचएस कोड	विवरण	वैश्विक आयात	रूस के कुल आयात में उत्पाद समूह की % भागीदारी	भारत से आयात	आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की % हिस्सेदारी	अंतरा-सीआईएस आयात की % हिस्सेदारी	शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ता	% हिस्सेदारी
84	मशीनरी, बायलर और यांत्रिक उपकरण	11209.34	16.45	15.59	0.14	8.07	जर्मनी	21.15
							इटली	9.38
							यूक्रेन	7.17
87	वाहन, रेलवे वाहनों को	7410.59	10.88	7.27	0.10	3.99	जापान	33.94
							जर्मनी	16.37
							यूनाइटेड किंगडम	8.1
85	वैद्युत मशीनरी	6648.60	9.76	31.29	0.47	5.13	जर्मनी	19.14
							चीन	17.02
							स्वीडन	8.04
30	औषधीय उत्पाद	2857.25	4.19	212.56	7.44	0.54	जर्मनी	20.32
							फ्रांस	13.64
							हंगरी	7.5
39	प्लास्टिक	2331.35	3.42	14.29	0.61	5.58	जर्मनी	19.64
							दक्षिण कोरिया	11.99
							चीन	5.69
02	मांस	2247.10	3.30	-	-	8.28	ब्राजील	31.18
							संयुक्त राज्य अमेरिका	19.09
							जर्मनी	8.87
90	प्रकाशीय, फोटोग्राफीय, सिनेमैटोग्राफीय, चिकित्सीय तथा शल्यचिकित्सीय उपकरण एवं उनके हिस्से	2062.44	3.03	9.29	0.45	3.03	जर्मनी	27.23
							संयुक्त राज्य अमेरिका	16.78
							जापान	9.93

73	लोहा और इस्पात से बनी वस्तुएं	1985.10	2.91	2.85	0.14	25.18	यूक्रेन	24.68
							जापान	13.09
							जर्मनी	11.17
72	लोहा और इस्पात	1852.34	2.72	3.36	0.18	77.24	यूक्रेन	54.35
							कजाकिस्तान	17.9
							मालदोवा	4.26
48	कागज और गत्ते	1770.85	2.60	3.00	0.17	15.51	फिनलैंड	15.93
							यूक्रेन	15.19
							पोलैंड	13.2
08	खाद्य फल और गिरीदार फल	1566.35	2.30	1.83	0.12	20.49	इक्वाडोर	21.03
							उजबेकिस्तान	9.06
							तुर्की	7.78
27	खनिज ईंधन, तेल आदि	1319.32	1.94	-	-	72.5	कजाकिस्तान	61.32
							यूक्रेन	6.92
							लिथुवानिया	3.67
28	अकार्बनिक रसायन	1312.58	1.93	65.20	4.97	49.97	कजाकिस्तान	26.6
							यूक्रेन	22.88
							गिनी	12.33
33	सुगंधित पदार्थ, प्रशासन सामग्रियां आदि	1205.04	1.77	5.91	0.49	0.76	फ्रांस	21.67
							जर्मनी	19.86
							पोलैंड	15.46
22	मादक पेय पदार्थ	1132.12	1.66	0.01	0.001	49.11	मालदोवा	20.84
							यूक्रेन	17
							फ्रांस	16.74
26	अयस्क, राख और धातुमल	1074.14	1.58	-	-	93.45	कजाकिस्तान	91.3
							तुर्की	2.12
							यूक्रेन	1.89

04	डेयरी उत्पादन, अडे, शहरी	756.24	1.11	0.001	0.0001	40.36	यूक्रेन	39.91
							जर्मनी	15.11
							फिनलैंड	12.17
24	तम्बाकू	755.71	1.11	52.91	7.00	5.64	संयुक्त राज्य अमेरिका	15.62
							ब्राजील	13.84
							इटली	7.65
86	रेलवे या ट्रामवे इंजन, पथ संयोजक और जुड़नार	751.40	1.10	0.04	0.01	78.59	यूक्रेन	77.66
							जर्मनी	4.66
							चैक गणराज्य	1.28
38	विविध रासायनिक	746.48	1.10	2.38	0.32	2.92	जर्मनी	23.24
							फ्रांस	13.13
							संयुक्त राज्य अमेरिका	

अध्याय 4 सेवा व्यापार

भूमिका

4.1 सेवा व्यापार का विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में एकसमान रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह महत्त्व वाणिज्यिक सेवाओं में विश्व व्यापार में हो रही वृद्धि को देखते हुए आसानी से दृष्टिगोचर होता है, जो वर्ष 2005 में लगभग 2500 बिलियन अमेरिकी डालर था और जो वस्तु व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। सेवा व्यापार विश्व के संपूर्ण आउटपुट का लगभग 60% है और वैश्विक रोजगार में इसका तीसरा स्थान है।

4.2 भारत में वर्ष 2005-06 में सेवाओं की हिस्सेदारी इसके जीडीपी का 54% थी तथा इसी वर्ष सेवा निर्यात की हिस्सेदारी भारत द्वारा किए गए कुल निर्यात का 40% थी। यदि भारत द्वारा किए जा रहे निर्यात में वर्तमान दर से ही निरंतर वृद्धि होती रहे तो वर्ष 2010 तक यह वस्तु निर्यात की मात्रा से आगे निकल जाएगा ।

4.3 रूस में सेवा क्षेत्र में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है और इसी प्रकार सेवा व्यापार में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में सेवा क्षेत्र की इसके सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग 55% थी। वर्ष 2005 में रूस द्वारा किए गए सेवा निर्यात में 21% की वृद्धि हुई जो 20 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से बढ़कर 24 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। तथापि, रूस जोकि सेवाओं का एक निवल आयातक है, द्वारा वर्ष 2005 में 39 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की सेवाओं का आयात किया गया जबकि वर्ष 2004 में 24 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का सेवा आयात किया गया था।

भारत और रूस : द्विपक्षीय सेवा व्यापार

सेवा व्यापार की संरचना

4.4 भारत और रूस विश्व सेवा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने में सफल रहे हैं। वर्ष 2005 में भारत द्वारा 60 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का सेवा निर्यात किया गया था, जिससे विश्व सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 1990 के मात्र आधा प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005 में 2% हो गई। रूस द्वारा वर्ष 2004 में 20 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का सेवा निर्यात किया गया और इस प्रकार वर्ष 2004 में रूस की विश्व सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 1% थी (परिशिष्ट 4.1)।

4.5 भारत द्वारा वर्ष 2005 में सेवा व्यापार में अधिशेष दर्ज किया गया है। सामान्यतः इसका कारण विविध सेवाओं (मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाएं) द्वारा किया गया योगदान है। तथापि, भारत वर्ष 2003 में भी सेवाओं का एक निवल आयातक देश था, हालांकि निवल कमी काफी कम थी। वर्ष 2003 में परिवहन सेवा आयात में कमी से भारत को इस कमी को और कम करने में सफलता प्राप्त हुई। यात्रा सेवाओं के क्षेत्र में वर्ष 2003 में आयात में वर्ष 1995 के मुकाबले लगभग चार गुना वृद्धि हुई। जबकि वर्ष 2003 में निर्यात में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है।

4.6 रूस के मामले में, परिवहन के क्षेत्र में वर्ष 2005 में 37% से भी अधिक सेवा निर्यात किया गया। अन्य सेवा निर्यातों जैसेकि निर्माण सेवाएं (9%) और अन्य व्यवसाय सेवाए (21%) जैसी अन्य सेवाओं में निर्यात की हिस्सेदारी में भी वर्ष 2005 में वृद्धि हुई है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि रूस द्वारा किए गए निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2000 में सेवा निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 0.06% से बढ़कर वर्ष 2005 में 1.7% पर पहुंच गई

है। वर्ष 2005 में परिवहन सेवाओं को छोड़कर, रूस में अधिकांश सेवा क्षेत्रों में व्यापार में कमी दर्ज की गई। वर्ष 2005 में प्रमुख सेवा आयातों में सार्वजनिक यात्रा (कुल सेवा आयात का 46.7%) जिसके बाद परिवहन संबंधी सेवाओं (11.5%), निर्माण संबंधी सेवाओं (9.1%), बीमा सेवाएं (3.4%), एवं रायल्टी तथा लाइसेंस भुगतान (3.2%) जैसे क्षेत्र आते हैं, में प्रमुख रूप से सेवाओं का आयात किया गया।

4.7 द्विपक्षीय संदर्भ में सेवा के मामले में प्रमुख क्षेत्र में वर्तमान में भारत स्थित रूसी संस्थाओं द्वारा समर्थित टीमों द्वारा सुविधाओं के निर्माण हेतु सेवाएं निहित हैं। अन्य प्रकार की सेवाएं जैसेकि पर्यटन, दूरसंचार सेवाएं, बीमा संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, और सूचना सेवाएं एवं अन्य सेवाएं, अभी भी दोनों देशों के सेवा आउटपुट का अत्यधिक छोटा हिस्सा हैं। रूसी सेवा आउटपुट की संरचना पर विचार करते हुए इस विशेष क्षेत्र में कुछ परिवर्तनों की प्रत्याशा की जा सकती है। भारत की रुचि उदार बाजार पहुंच, घरेलू विनियमों को द्विपक्षीय व्यापार के अनुरूप बनाने तथा मुख्य रूप से व्यावसायिक सेवा के क्षेत्र में पारस्परिक मान्यता करार करने में है।

4.8 द्विपक्षीय संदर्भ में, जब देशों के बीच बड़ी मात्रा में सेवा व्यापार आरंभ होता है तो रूस से भारत में सेवा निर्यात निर्माण तथा उपकरणों के अनुरक्षणों से संबंधित होता है। पहली स्थिति में, प्रमुख बात यह होती है कि भारत में अवसंरचना सुविधाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण किया जाए और विशेषकर ऑटोमोबाइल मार्गों और रेल मार्गों, भूमिगत लाइनों, विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों (ताप ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र) का निर्माण किया जाए।

4.9 बोस्टन कंसलटिंग ग्रुप द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में वर्ष 2020 तक 40 मिलियन नए सेवा क्षेत्र में नौकरियां तथा 200 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का राजस्व सृजित होगा। इसमें सुदूर सेवाओं के माध्यम से (मोड 1) और ग्राहकों के आयात के माध्यम से 20 मिलियन सीधी नौकरियां शामिल हैं। इसके लिए भारत द्वारा रूस में अधिमानी बाजार पहुंच की मांग करने का प्रस्ताव है जो अभिगम संबंधी वार्ता में सुनिश्चित किए गए स्तर से अधिक है।

4.10 द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह में वृद्धि करने से संबंधित मामले का समाधान करने के हिस्से के रूप में यह आवश्यक है कि भारत में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के क्षेत्र में क्रियाकलापों से संबंधित सूचना के प्रसार हेतु परिवेश में सुधार किया जाए। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु वर्तमान में सुसुप्त क्षेत्रों (उदाहरण के लिए पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्रों) को विकसित करने और संवर्धन प्रदान करने की भी आवश्यकता है। भारत द्वारा संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ता (सीएसएस) और स्वतंत्र व्यावसायिकों (आईपी) के लिए बाजार अभिगम की मांग की जाती है। भारत एक दूसरे के देशों के नागरिकों की निर्बाध आवाजाही की मांग रखता है और इसके लिए वीजा और आप्रवासन प्रक्रियाओं, आर्थिक आवश्यकताओं तथा श्रम बाजार परीक्षणों, कार्य अनुमति संबंधी मानदंडों, योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रक्रियाओं आदि में संशोधन की आवश्यकता है। तथापि, रूसी पक्ष का यह मानना है कि इन मुद्दों पर वीजा के संबंध में करार कर लिए जाने और रूस के विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाने के पश्चात, विचार किया जाए।

विशिष्ट क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने हेतु सिफारिशें

4.11 ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सेवा व्यापार के संभावित क्षेत्रों के रूप में खोज की जानी है और जिन्हें वर्धित सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जाना है। यह देखा गया

है कि घरेलू विनियमों, विशेषकर योग्यता संबंधी अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के कारण सेवाओं प्रदाताओं के लिए दूसरे देश के बाजार में अपनी पहुंच स्थापित करना कठिन होता है, बावजूद इसके कि ऐसे देशों द्वारा विशिष्ट प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं। घरेलू विनियम एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में अपनी वाणिज्यिक उपस्थिति स्थापित करने में ही बाधा उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में पारस्परिक मान्यता को विकसित करने से यह सुनिश्चित होगा कि घरेलू विनियम आवश्यकता से अधिक बोझिल न हों और उनका मौजूदा तथा संभावित क्षेत्रों में सभी सेवा प्रदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के उपयोग में लाया जाए। द्विपक्षीय सेवा व्यापार में वृद्धि करने के लिए संभावित क्षेत्रों तथा इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित विशेष उपायों का नीचे वर्णन किया गया हैः

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवाएं

4.12 भारत विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है। भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति के मुख्य प्रेरक तत्त्व हैंः कुशल मानव संसाधन, कम लागत पर उपलब्ध कुशल कार्मिक, विश्वसनीय दूरसंचार अवसंरचना आदि। इसके फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों को अनुप्रयोग विकास, ईआरपी, सेवा समेकन से लेकर बीपीओ सेवाओं तक की व्यापक सेवाओं की रेंज को मजबूत करने में सफलता प्राप्त हुई है। भारत द्वारा विभिन्न प्रकार की आईटी सेवाओं का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया जाता है जिसके फलस्वरूप यह सूचना प्रौद्योगिकी (आटी-बीपीओ) सेवाओं के लिए एक पसंदीदा देश बन गया है। वर्ष 2001-06 के दौरान वैश्विक स्तर पर सोर्सिंग में भारत की हिस्सेदारी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुमानतः 62% से बढ़कर 65% तथा बीपीओ सेवाओं के क्षेत्र में 39% से बढ़कर 45% हो गई है। भारत को काफी अधिक पसंद किए जाने का मुख्य कारण किसी भी सोर्सिंग अवस्थिति के संबंध में निश्चय करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैरामीटरों पर विचार किए जाते समय इसकी सक्षमता द्वारा प्रेरित होता है। इसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा सेवा की सुपुर्दगी में विशेषज्ञता एक प्रमुख कारक रही है जिसके कारण वैश्विक सेवा सुपुर्दगी में भारत के सतत नेतृत्व को बल प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भारत स्थित केंद्रों (भारतीय प्रतिष्ठानों और साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वामित्वाधीन कंपनियों दोनों) द्वारा किसी भी एक देश में उपलब्ध सर्वाधिक संख्या में गुणवत्ता प्रमाणन उपलब्ध कराया जा रहा है। दिसंबर 2006 की स्थिति के अनुसार, 440 से भी अधिक भारतीय कंपनियों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त था जिनमें से 90 कंपनियों को एसईआई सीएमएम लेवल-5 के रूप में प्रमाणित किया गया था जो विश्व में किसी भी अन्य देश की तुलना में उच्च है। भारत से सॉफ्टवेयर और सूचना प्राद्योगिकी समर्थित सेवाओं का निर्यात वर्ष 2003-04 के 12.9 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान 31.3 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उत्पादन वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमानतः 2456 बिलियन रुपए था जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान यह राशि 1903 बिलियन रुपए के स्तर पर थी जिससे 29.1% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

4.13 रूसी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र रूसी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र है और इस क्षेत्र में तेजी से सामर्थ्य की प्राप्ति हो रही है। विश्लेषकों द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2010 तक रूस में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की मात्रा प्रति वर्ष औसतन 67% की दर से बढ़कर 10 बिलियन अमेरिकी डालर पर पहुंच जाएगी। रूसी सरकार इस क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक ध्यान दे रही है (इस संकेतक के द्वारा यह चित्र केवल तेल और गैस क्षेत्र की तुलना में ही कम रहेगा)। उदाहरण के

लिए वर्ष 2007 में सरकारी-निजी भागीदारिता के आधार पर 7 प्रौद्योगिकी-विशिष्ट आर्थिक ज़ोन स्थापित किए जाएंगे।

4.14 तथापि, इस क्षेत्र में रूसी-भारतीय सहयोग काफी कम है। यह इस तथ्य द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि एक ओर रूसी और भारतीय विशेषज्ञ एक-दूसरे के सहयोग की क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में अवगत नहीं हैं जबकि दूसरी ओर दोनों ही पक्षों में प्रतिस्पर्धा के संबंध में संदेह और भय बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। क्योंकि रूसी और भारतीय दोनों ही देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ मुख्य रूप से विदेशी कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत-रूसी सहयोग हेतु बाधाओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सहयोग क्षेत्र का सुझाव दिया जाता हैः

- भारत और रूस को सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों, कंप्यूटर हार्डवेयर, और दूरसंचार नेटवर्कों जैसे क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र सहयोग, कार्यनीतिक संधि तथा निवेश को सुदृढ़ और सुकर बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

- दोनों पक्षों को सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार करना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में कार्य कर रही रूसी और भारतीय कंपनियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।

- रूस द्वारा रूसी परिसंघ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उद्यानों (टेक्नो पार्क) तथा प्रौद्योगिकीय विशिष्ट आर्थिक जोनों का लाभ लेने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को आमंत्रित किया जाए।

- भारतीय पक्ष ने यह कहा कि वर्तमान में रूस में पंजीकृत भारतीय कंपनियों से पे रोल टैक्स (सामाजिक सुरक्षा कर) वसूला जाता है। भारतीय पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि भारतीय कंपनियों के लिए इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दृष्टि से रूस में भारतीय व्यावसायिकों द्वारा भुगतान किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा कर को या तो कम दर पर वसूला जाए या इसे समाप्त कर दिया जाए। रूसी पक्ष ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय कामगारों के साथ सभी विदेशी कामगारों के समकक्ष व्यवहार किया जाता है। देश छोड़ते समय, कर की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रावधान है।

4.15 भारतीय पक्ष ने यह सुझाव दिया कि दोनों देश एक-दूसरे के सामर्थ्य की अनुपूर्ति करने के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संभावित संबंध के लिए संभावनाओं की तलाश करे।

परिवहन सेवाएं

समुद्री परिवहन सेवाएं

4.16 दोनों देशों के लिए समुद्री परिवहन सेवाओं सहित समुद्री परिवहन सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा पत्तन अवसंरचना में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भारत बंदरगाहों में विद्यमान अवसंरचना को शीघ्रता से सुदृढ़ बनाने के लिए इस क्षेत्र में रूसी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार भारत अपने अंतरदेशीय जलमार्ग अवसंरचनाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य कर सकता है।

4.17 उपर्युक्त क्षेत्रों में रूस के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए, रूस द्वारा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में किए गए विशेष उपायों में रूसी कंपनियों में भारत में मौजूदा संभावनाओं के बारे में सूचनाओं के प्रसार की प्रक्रिया में सुधार लाना शामिल है।

4.18 संयुक्त अध्ययन दल को यह ज्ञात हुआ कि भारत में कार्गो के लिए कंटेनर उपलब्ध कराने की दृष्टि से काफी सुधार हुआ है। रूस द्वारा अपनी अवसंरचना विशेषकर उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (एनएसटीसी) को विकसित करने के लिए भारतीय कंटेनर कंपनियों से सहयोग की संभावना तलाशनी चाहिए जो द्विपक्षीय व्यापार को संवर्धन प्रदान करने के लिए दोनों देशों के बीच तीव्रतर और दक्ष संयोजकता उपलब्ध कराएगा।

4.19 भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में रूसी कंपनियों को व्यापक अवसर की पेशकश कर सकता हैः

- काला सागर/बाल्टिक क्षेत्र से होकर माल परिवहन
- प्रमुख भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण
- मौजूदा और साथ ही नए बंदरगाहों में तलमार्जन क्रियाकलापों का प्रचालन
- भारतीय पोत परिवहन निगम को उनके जहाजों के फेरे को विस्तार देने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रकार के जहाजों की आपूर्ति प्रदान करना।

अंतर्देशीय जल मार्ग

4.20 दोनों देशों द्वारा इस क्षेत्र में बृहत्तर सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से उपाय किए जाएं और विशेषकर जलमार्ग परिवहन से संबंधित वैज्ञानिक तथा इंजीनियरी क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया जाए।

सडक परिवहन सेवाएं

4.21 भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र निविदाएं वैश्विक बोली आमंत्रित करने के लिए जारी की जाती हैं और आमतौर पर इनके लिए प्रलेखन तथा मूल्यांकन हेतु विश्व बैंक निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है तथा निविदा जारी किए जाने पर रूसी कंपनियां भी इसकी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। रूसी कंपनियों के लिए भारत में सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित निविदा प्रक्रियाओं और कानूनी मामलों के संबंध में अपनी समझ और जानकारी को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। यह सूचना भारतीय राजमार्ग क्षेत्र में निविदाओं के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने में रूसी कंपनियों को सहायता प्रदान करेंगी। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली रूसी कंपनियों द्वारा भारत में इन कंपनियों द्वारा निवेश तथा तकनीकी विशेषज्ञता का अंतर्प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।

4.22 भारत द्वारा रूसी बहुस्तरीय रेल परिवहन सुरक्षा नियंत्रण, रेल-सड़क मार्गों के विद्युतीकरण आदि सहित रेल-सड़क परिवहन के आधुनिकीकरण तथा इस क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरणों के अधिप्रापण के लिए रूस से सहयोग पर विचार किया जाए।

4.23 सूचना के प्रसार हेतु रूस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंः

- वेबसाइट तैयार की जाए जिनमें भारतीय निविदाओं के संबंध में सूचनाएं रूस स्थित रूसी कंपनियों को उपलब्ध हो सके।

- राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छुक रूसी कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार के संबंध में अपनी समझ को विकसित करने के लिए भारत में एक संपर्क कार्यालय खोला जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ रूसी कंपनियों को रूसी व्यापार प्रतिनिधि और रूस-भारत व्यवसाय परिषदों द्वारा भी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

विमानन सेवाएं

4.24 वर्तमान में दोनों देशों के बीच विमानन सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की पर्याप्त संभावना मौजूद है। संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की गई है कि विमानन सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में जैसेकि महंगी या शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की ढुलाई आदि क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए। दोनों देशों के बीच उड़ानों की संख्या में वृद्धि होने से अन्य सेवाओं उदाहरण के लिए पर्यटन आदि को भी तीव्रता प्राप्त होगी।

4.25 रूसी पक्ष का यह मानना है कि प्रयोग में लाए जा रहे रूस-निर्मित वायुयान उपकरणों की पूरी तरह मरम्मत करने तथा पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण की तथा साथ ही भारतीय विमानपत्तनों में भागीदारी और उनके आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावना है। विशेषकर रूसी पक्ष उड़ान सुरक्षा संबंधी समेकित प्रणाली उदाहरण के लिए वेक-वोर्टेक्स उड़ान सुरक्षा प्रणाली जो सीएनएस/एटीएम आईकेएओएम प्रौद्योगिकियों के आधार पर वर्तमान तथा भावी नियमों के समनुरूप है, के संबंध में सहयोग की पेशकश कर सकता है। रूसी पक्ष ने यह भी कहा कि भारत में रूसी वायुयानों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाए जाने की आवश्यकता है।

4.26 भारतीय पक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के पायलटों को, जैसाकि फरवरी 2006 में किए गए समझौता ज्ञापन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, चालक दल के साथ 60 वर्ष से कम आयु के एक अन्य पायलट के साथ उड़ान भरने के लिए रूसी वायु क्षेत्र में वाणिज्यिक वायुयान को प्रचालित करने की मंजूरी प्रदान की जाए।

निर्माण तथा इंजीनियरी सेवाएं

4.27 दोनों देशों के बीच वास्तविक व्यापार के क्षेत्र में मौजूद विशाल संभावनाओं का उपयोग करने के लिए दोनों देशों के लिए आवश्यक है कि ये अवसंरचना तथा इसके अनिवार्य शाखा क्षेत्रों अर्थात निर्माण तथा इंजीनियरी सेवाओं के विकास में सहयोग को सुदृढ़ बनाएं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु रूस विद्युत संयंत्र निर्माण, अपतट गैस और तेल विकास सहित भारत के ऊर्जा विकास और संयंत्र निर्माण में भागीदारी कर सकता है। बाजार पहुंच के संबंध में सभी संबंधित समस्याओं के समाधान करने तथा निर्माण सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार के समक्ष उपस्थित होने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। भारत के कोयला खनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गहरे कोयला खनन में रूस के अनुभव और उसकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है।

4.28 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे भारत के अधिकांश इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा रूसी कंपनियां इस परियोजना से तकनीकी विशेषज्ञता और उपकरण उपलब्ध करा सकती हैं। भारतीय पक्ष का यह प्रस्ताव है कि रूस साइबेरियाई क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता के कोकिंग कोल की खोज करने और उसके खनन के लिए भारत के साथ संयुक्त उद्यम सहयोग स्थापित करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करे।

4.29 अवसंरचना निर्माण में रूसी कंपनियों के विशाल अनुभव को ध्यान में रखते हुए वे भारत में मेट्रो लाइनों के पुनर्निर्माण और निर्माण हेतु प्रतिस्पधी बोली लगा सकते हैं।

4.30 रूसी निर्माण कंपनियां भारत में गृह सुविधाएं निर्मित करने में भी भागीदारी कर सकती हैं क्योंकि वे काफी अधिक संख्या में प्राप्त आर्डरों के लिए सस्ते और सुरक्षित उत्पादन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इस संबंध में रूस स्थित भारतीय निर्माण कंपनियां पारस्परिक अवसरों की तलाश कर सकती हैं।

दूरसंचार सेवाएं

4.31 1990 के दशक के मध्य से ही रूस में दूरसंचार क्षेत्र काफी तेजी से विकसित हो रहा है तथा वर्ष 2000 के बाद से विकास की यह दर प्रतिवर्ष लगभग 30% पर पहुंच गई है। वर्ष 2006 के अंत तक रूस में सेलफोन प्रयोक्ताओं की संख्या लगभग 150 मिलियन व्यक्ति[3] थी तथा मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या 104% के स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसी वर्ष, सक्रिय इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या 11 मिलियन थी। वर्ष 2010 तक इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या लगभग 50 मिलियन व्यक्तियों की होगी तथा इंटरनेट में विज्ञापनों से लाभ में 8 गुना की वृद्धि होगी।

4.32 स्टैंडर्ड्स एंड पूअर्स द्वारा किए गए एक अनुसंधान अध्ययन के अनुसार रूसी अर्थव्यवस्था में दूरसंचार का क्षेत्र सर्वाधिक पारदर्शी क्षेत्र है (उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करने की दृष्टि से)। प्रमुख कंपनियों का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना तथा निकट भविष्य में आईपीओ जारी करना है। इसके अतिरिक्त, कुछ विश्लेषक एजेंसियों द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र में विकास की अत्यधिक संभावना है तथा वर्ष 2008 तक इस बाजार के 54 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच जाने की संभावना है।

4.33 भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है तथा यह एक अत्यधिक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र बन गया है। देश में मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या में आश्चर्यजनक गति से वृद्धि हुई है। भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में रूस में निवेश तथा सेवाओं की आपूर्ति की संभावना तलाश रही हैं।

4.34 रूसी मोबाइल दूरसंचार कंपनियां विदेशी मोबाइल प्रचालनों में निवेश करने के लिए अवसर की तलाश कर रही हैं। उदाहरण के लिए रूसी मोबाइल प्रचालकों द्वारा अनेक सीआईएस देशों, तुर्की, आदि में निवेश किया गया है। तथापि, भारतीय दूरसंचार बाजार में कार्य करने की दिशा में रूसी कंपनियों द्वारा किए गए प्रयासों का अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

4.35 रूसी पक्ष का यह मानना है कि भारत में दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण जिसमें 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, को छोड़कर दूरसंचार के लगभग सभी क्षेत्रों (बुनियादी और सेलुलर, वी सैट तथा अन्य मूल्ययोजित दूरसंचार सेवाएं) में विदेशी स्वामित्व पर अधिकतम 74% की सीमा आरोपित की गई है। अतः रूसी पक्ष का यह मानना है कि प्रत्यक्षी विदेशी मानदंडों में छूट प्रदान करने पर भारतीय बाजार में अधिक पूंजी और विशेषज्ञता आ सकती है तथा दोनों देशों के बीच सेवा व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है।

4.36 भारत तीनों सबसे बड़ी रूसी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनकी रूसी सेलुलर संचार बाजार में संयुक्त रूप से बाजार हिस्सेदारी लगभग 90% है, को अपनी सेवाएं प्रदान करने की संभावना पर विचार कर सकता है।

[3] वास्तव में यह संख्या कम है क्योंकि कुछ प्रयोक्ताओं के पास एक से अधिक सिम कार्ड हैं।

वित्तीय सेवाएं

4.37 चूंकि वित्तीय सेवाओं में दक्षता और सक्षमता से भारत-रूस के बीच द्विपक्षीय सेवा व्यापार में वृद्धि हो सकती है, अतः दोनों देशों को घरेलू वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। विशेषकर, दोनों देश विनियामक सहयोग को बढ़ावा देने तथा संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं ताकि वित्तीय बाजार के विकास तथा वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं में सुधार को गति प्रदान की जा सके। केंद्रीय बैंकों/विनियामकों के बीच द्विपक्षीय बैठकों सहित सभी मौजूदा मंचों का भी इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात को समझते हुए कि दोनों देशों के वित्तीय बाजारों की प्रभावकारिता और सक्षमता में सुधार लाना पारस्परिक सहयोग तथा आर्थिक विकास हेतु परिवेश सृजित करने के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, यह भी सिफारिश की जाती है कि दोनों पक्ष वित्तीय सेवाओं में वाणिज्यिक उपस्थिति के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं में उपयुक्त सुधार हेतु कार्य करें। यह सिफारिश की जाती है कि दोनों पक्षों के वित्तीय सेवा प्राधिकरण पारस्परिक परामर्श प्रक्रिया आरंभ करें ताकि इस क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि की जा सके।

4.38 भारतीय पक्ष को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें एक न्यूनतम पूंजी, 75% बैंक कर्मचारियों और 50% प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के रूसी व्यक्ति होने से संबंधित मानदंडों का पालन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कर को रोकने तथा वीजा नियमों और वर्क परमिटों से संबंधित समस्याएं भी हैं।

4.39 वस्तु और सेवा व्यापार में वृद्धि करने की दृष्टि से भारत और रूस दोनों पक्ष एक-दूसरे के देश में सहायक बैंकों को खोलने के लिए भारतीय बैंकों और रूसी बैंकों दोनों को प्रोत्साहित करने हेतु मार्ग की तलाश करने पर विचार करने की आवश्यकता है। रूस में बैंकिंग क्षेत्र में 100% विदेशी बैंकिंग कंपनियों को कार्य करने की अनुमति है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णतः स्वावित्वाधीन सहायक बैंकों तथा शाखाओं में 100% विदेशी पूंजी की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, विदेशी बैंकों की शाखाओं के लिए केवल स्टार्टअप आरंभिक समनुदेशित पूंजी न कि शेयर पूंजी रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

4.40 बीमा के मामले में गैर-रूसी बीमा कंपनियों को रूस में कार्य करने की अनुमति है किंतु बीमा तथा अन्य प्रकार के बीमाओं के मामले में 49% इक्विटी प्रतिबंध लागू किया गया है। बीमा क्षेत्र में कुल विदेशी पूंजी की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है तथा बीमा एजेंसियों के सभी मुख्य कार्यपालकों का रूसी नागरिक होना अनिवार्य है। वर्तमान में रूस में बीमा क्षेत्र में यूरोपीय संघ तथा गैर-यूरोपीय संघ देशों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) की गठन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में रूस इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को समाप्त करेगा।

4.41 भारत में बीमा क्षेत्र में प्रदत्त पूंजी के 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6(क) के अनुसार, भारतीय भागीदार प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26% से अधिक शेयर पूंजी का व्यवसाय आरंभ करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के पश्चात चरणबद्ध रूप में विनिवेश करेगा। विनिवेश की अनिवार्यता विदेशी निवेशकों के लिए अनिवार्य नहीं है।

वितरण सेवाएं

4.42 खुदरा क्षेत्र रूस में एक सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। खुदरा टर्नओवर में प्रतिवर्ष 13% से भी अधिक दर से वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप रूस में खुदरा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

हेतु एक प्रमुख आकर्षण का क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों - मेट्रो, अचन, आईकेईए, आदि - ने अनेक रूसी क्षेत्रों में अपने खुदरा विक्रय स्टोर खोल दिए हैं। रूस द्वारा रूसी खुदरा विक्रय स्टोरों की श्रृंखला निर्मित की जा रही है, और वे अन्य देशों में भी निवेश करने में रुचि रख रहे हैं।

4.43 रूसी पक्ष का यह मानना है कि भारत में मल्टी ब्रांड खुदरा बाजार में विदेशी निवेश के लिए भारतीय खुदरा बाजार को लगभग अछूता रखा गया है तथा भविष्य में इस क्षेत्र में रूस और भारत के बीच व्यापार में वृद्धि हो सकती है।

अनुसंधान तथा विकास सेवाएं

4.44 भारत में जैव-प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और औषधीय क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में हुई वृद्धि से इसे रूस में इन क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य और सक्षमता प्राप्त हुई है। इसी दौरान, रूस गणितीय दृष्टि से सक्षम सीमाओं के क्षेत्र में विश्व में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष, ऊर्जा, धातुकर्म (अलौह तथा दुर्लभ धातु), जैव-चिकित्सीय प्रौद्योगिकियों, त्वरकों और लेजरों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना की तलाश की जा सकती है। इन क्षेत्रों में अनुसंधान करने की दृष्टि से संयुक्त समर्पित अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

4.45 संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक प्रचालन को सुकर बनाने के लिए संयुक्त उद्यम निधि स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जाए ताकि व्यावसायिक प्रचालनों में नवप्रवर्तन को लागू किया जा सके।

4.46 भारत द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि रूस निम्नलिखित क्षेत्रों में अति विशाल परियोजनाओं में प्रतिभागिता में भागीदारी पर विचार करेः

- ऊर्जा, सौर प्रौद्योगिकी तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए
- नैनो प्रौद्योगिकी
- जैव-प्रौद्योगिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी
- प्रदर्शन तथा उष्मायन (इन्क्युबेशन) के लिए साइंस पार्क

4.47 रूसी पक्ष की यह रुचि है कि प्रौद्योगिकी पार्क विकास के क्षेत्र में (बेंगलुरु मॉडल पर आधारित) विशेषज्ञता की हिस्सेदारी करने तथा रूस में वर्तमान में बहुत तेजी से विकसित हुए जीएलओएनएएसएस (ग्लोनास) कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग स्थापित किया जाए।

4.48 सहयोग का एक अन्य क्षेत्र सीएनएस/एटीएम आईसीएओ प्रौद्योगिकियों के आधार पर एक समन्वित प्रणाली को विकसित करने के क्षेत्र में हो सकता है जिसका उद्देश्य वेक-वोर्टेक्स उड़ान सुरक्षा प्रणाली सहित उड़ान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक समेकित प्रणाली विकसित करने के क्षेत्र में किया जा सकता है ताकि आईसीएओ द्वारा यथानिर्धारित मौजूदा तथा भावी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

पर्यटन सेवाएं

4.49 दोनों देशों के बीच पर्यटकों की आवाजाही में काफी तीव्र वृद्धि हुई है। गोवा और केरल में काफी अधिक संख्या में रूस से चार्टर्ड विमान पहुंच रहे हैं तथा भारत की यात्रा पर आने वाले रूसी

व्यक्तियों की संख्या में प्रति वर्ष 8-10% की वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र में सेवा व्यापार में वृद्धि से दोनों देशों में केंद्रित मीडिया अभियानों को चलाकर और प्रमुख क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी करके पर्यटन स्थलों के सक्रिय रूप से संवर्धन की आवश्यकता होगी। पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे का समाधान विद्यार्थी इनटर्नशिप की व्यवस्था करके तथा पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों के लिए इंटर-कंपनी और इंटर-होटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके बेहतर पर्यटन कर्मचारी प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है।

4.50 वर्तमान में 7 क्षेत्रों को पर्यटन तथा मनोरंजन विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया हैः क्रासनोदर, अलतई और स्टावरोपोल प्रदेश, कालीनिनग्राड और इरुकुट्स्क क्षेत्र, अतलई और बुरियत गणराज्य। भारतीय भावी निवेशकों को विशेष आर्थिक ज़ोन के निवासियों को प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में सूचित किया जाए। रूस द्वारा भी भारत में विशेष पर्यटन संवर्धन क्रियाकलापों के लिए चुने गए क्षेत्रों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए इसी प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

4.51 संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि रूस और भारत के बीच संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं से सक्षम सरकारी निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के जरिए संयुक्त संकाय तथा छात्र विनिमय कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सेवाएं

4.52 दोनों पक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में मोड-1 (सीमापार आउटसोर्सिंग) में सक्षम सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। दूर-नैदानिकी तथा दूर-चिकित्सा पारस्परिक तथा उच्च प्रौद्योगिकीय सहयोग के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें संभावनाओं की तलाश की जा सकती है।

4.53 संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि दोनों देशों के बीच दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञताप्राप्त चिकित्सकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति तथा भारतीय परंपरागत चिकित्सा सहित चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि की जा सकती है।

शिक्षा सेवाएं

4.54 बहुत अधिक संख्या में भारतीय छात्र अध्ययन हेतु विदेश जा रहे हैं। रूस में अध्ययन हेतु जाने वाले भारतीय छात्रों में निम्नलिखित विषय सर्वाधिक लोकप्रिय हैंः चिकित्सा; इंजीनियरी (विनिर्माण, प्रबंध का स्वचालन, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन आदि); सूचना प्रौद्योगिकी और हाल के वर्षों में औद्योगिक-एवं गृह - डिजाइन। केवल काफी कम भारतीय छात्र ही रूस में अध्ययन करने के लिए जाते हैं (प्रतिवर्ष लगभग 800 व्यक्ति), जबकि उपर्युक्त अधिकांश विषयों में रूसी शिक्षा प्रणाली काफी सुदृढ़ है।

4.55 रूसी उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे सेमिनार, कार्यशाला, शिक्षा मेले आदि आयोजित करके भारतीय छात्रों को उपलब्ध शिक्षा अवसरों के संबंध में अधिक सक्रियतापूवर्क प्रचार करें। यह ध्यान में आया कि हाल में लक्ष्य-उन्मुख प्रदर्शनियां भारतीय शिक्षा बाजार में रूसी उच्च शिक्षा संस्थाओं को संवर्धन प्रदान करने की दृष्टि से लक्षित प्रयास का सर्वाधिक प्रभावी रूप बन गया है। रूसी पक्ष द्वारा इस प्रकार के मेलों में नियमित रूप से भाग लेने और इन्हें आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

4.56 रूस और भारत के बीच वर्तमान में शिक्षा, वैज्ञानिक उपाधियों और डिप्लोमा की समतुल्यता के संबंध में अंतःसरकारी प्रोटोकोल (25 नवंबर, 1987 को हस्ताक्षरित) लागू है। तथापि, रूसी और भारतीय उपाधियों की पारस्परिक मान्यता से संबंधित समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। अतः यह सुझाव दिया

जाता है कि शिक्षा संबंधी दस्तावेजों को मान्यता तथा समतुल्य प्रदान करने के लिए एक नए द्विपक्षीय करार पर विचार किया जाए जिससे शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में अधिक संख्या में छात्रों की आवाजाही को संबल प्रदान किया जा सके।

4.57 दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का विस्तार, संयुक्त परियोजना क्रियान्वयन और निवेश क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पर्यटन संबंधों के विकास के फलस्वरूप यह अपेक्षा उत्पन्न हुई है कि दोनों पक्षकार सरकारी तथा निगमित प्रबंध प्रणाली में योग्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु आगे आएं। रूस भारतीयों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक सप्ताह का विशेष पाठ्यक्रम आयोजित कर सकता है जो भारतीयों के लिए लाभकारी हो। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विषय ''रूसी सरकारी प्रबंधन प्रणाली तथा रूस में विदेशी-आर्थिक क्रियाकलापों का विनियमन'' होगा। इस पाठ्यक्रम में भारतीय रूसी परिसंघ में सरकारी प्रणाली तंत्रों और सरकारी प्रबंधन के बारे में, विधिक, विनियामक आधार तथा विदेशी-आर्थिक पद्धतियों एवं निवेश क्रियाकलाप विनियमन एवं सहयोगात्मक विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, भारतीय पक्ष इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, जिसमें सरकारी और निगमित प्रबंधन प्रणाली में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के संबंध में भारत का अनुभव शामिल हो और इसके अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम में भारतीय संस्थाओं/संगठनों में रूसी रुचि के अन्य विषयों का भी शामिल किया जा सकता है।

श्रव्य-दृश्य तथा मनोरंजन सेवाएं

4.58 भारतीय मनोरंजन क्षेत्र परंपरा से ही रूस में विशेष आकर्षण का क्षेत्र रहा है और विशेषकर इस कारण कि भारतीय सिनेमा एक लंबे समय से जबकि रूसी बाजार में पश्चिम सिनेमा का अत्यधिक सीमित प्रवेश था, तब से ही रूसी बाजार में अभिगम्यता का लाभ प्राप्त कर रहा है। भारत इस क्षेत्र में अपनी अभिगम्यता में वृद्धि करना चाहेगा, जो विशेषकर फिल्म निर्माण के पश्चात के क्रियाकलापों से संबंधित होगी। एनिमेशन, और प्रसारण तथा टेलीकास्टिंग सेवाएं भारत की रुचि के विशेष क्षेत्र हैं।

4.59 लोकप्रिय भारतीय फिल्मे रूसी भाषा में डब करके रूसी बाजार में अपनी बाजार हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकती हैं तथा भारत को इस क्षेत्र में भी संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए।

4.60 रूसी सिनेमा उद्योग बहुत तेजी से अपने सामर्थ्य का प्राप्त कर रहा है। रूसी फिल्मों के भारतीय बाजार में प्रवेश की संभावना पर भी विचार किया जाए।

ऊर्जा सेवाएं

4.61 भारत का वृद्धिशील गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र, विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों की खोज, संयंत्रों को स्थापित करने और पाइपलाइन बिछाने के क्षेत्र में रूस सेवाएं और निवेश उपलब्ध करा सकता है। भारत में स्थापित किए जा रहे ताप विद्युत संयंत्र और पणबिजली संयंत्र रूसी तकनीशियनों और इंजीनियरों के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं।

4.62 रूसी पक्ष भू-भौतिक सेवाओं सहित तेल और गैस उद्योग में भी अपने अनुभव की पेशकश कर सकता है।

फैशन प्रौद्योगिकी

4.63 फैशन और वस्त्र के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच लंबे समय से सहयोग बना हुआ है। रूसी फैशन खुदरा बाजार में विस्तारणीय आय स्तर में वृद्धि होने के कारण गत कुछ वर्षों के दौरान आमूल

बदलाव आया है तथा रूसी खुदरा बाजार विश्व में दूसरे सबसे अधिक प्रगतिशील बाजार के रूप में उभरा है। आज रूस में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड संगठित खुदरा बाजार में 80% बाजार हिस्सेदारी रखते हैं।

4.64 रूसी बाजार के परिपक्व होने का कारण यह भी है कि यहां कलेक्शन प्रीमियर मास्को (सीपीएम), आईएसपीओ रसिया, इंटरेस्ट ऑफ रूसिजा, हीम टेक्सिल, रूसिजा और प्रीमियन विज़न जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय फैशन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। खुदरा बाजार में इतने अधिक परिमाण में आई तेजी ने दोनों देशों के बीच सेवाओं के तथा साथ ही फैशन, वस्त्र और संबंधी क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार की संभावना को अत्यधिक व्यापक बनाया है। भारत की रुचि खुदरा और फ्रैंचाइजी के क्षेत्र में अपने स्वतंत्र बाजार अभिगम की संभावनाओं की तलाश करना है जबकि रूस की रुचि फैशन, खुदरा, दृश्य, सौदा व्यापार तथा विपणन के क्षेत्रों सहित टेक्सटाइल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जानकारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

4.65 दोनों देश इस क्षेत्र में संकाय के सदस्यों और साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के साथ सहयोग तथा संबंध स्थापित कर सकते हैं। रूसी डिजाइनर भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं।

द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हेतु भावी योजना तथा सेवा व्यापार में वृद्धि करने हेतु निर्धारित सिद्धांत

4.66 भारत और रूस के बीच सेवा व्यापार के क्षेत्र में व्यापक संभावना के दृष्टिगत दोनों देशों को सेवा व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा इस दिशा में पर्याप्त उपाय करने के लिए एकजुट होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को निम्नलिखित सिद्धांतों पर एक संभावी सीईसीए के संबंध में वार्ता करनी चाहिएः

(क) सेवा क्षेत्रों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

(ख) घरेलू विनियमों को सुव्यवस्थित करके ''वास्तविक'' बाजार पहुंच उपलब्ध कराना।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं, निर्माण सेवाओं तथा परिवहन सेवाओं में प्रतिबद्धताओं के रूप में व्यापक तथा सुदृढ़ कवरेज उपलब्ध कराना।

परिशिष्ट 4.1

सेवा के क्षेत्र में विश्व व्यापार में भारत और रूस की भागीदारी

नीचे दी गई तालिका में वर्ष 1995 से लेकर 2004 के दौरान विश्व सेवा निर्यात में भारत और रूस की हिस्सेदारी में बदलाव को दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि विश्व सेवा निर्यात में भारत और रूस दोनों देशों की हिस्सेदारी में वर्ष 1995 से लेकर 2004 के दौरान वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, 1990 के दशक के दौरान विश्व सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी में रूस के मुकाबले काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत द्वारा किया जाने वाला सेवा निर्यात विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा किए जा रहे निर्यात का 7.97% तथा वैश्विक सेवा निर्यात का 1.8% है जबकि रूस के संबंध में यह आंकड़ा क्रमशः 1.23% और 0.92% है।

विश्व सेवा निर्यात में भारत और रूस की भागीदारी (मिलियन अमेरिकी डालर में)

विवरण	1995	2000	2004
भारत का कुल सेवा निर्यात	6775	16684	39638
रूस का कुल सेवा निर्यात	10568	9565	20290
विश्व का कुल सेवा निर्यात	1239039	1528385	2192792
विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का कुल सेवा निर्यात	287220	352869	497007
विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशो का कुल सेवा निर्यात	930912	1148763	1641466
विश्व सेवा निर्यात मे भारत की हिस्सेदारी(%)	0.54	1.09	1.80
विश्व सेवा निर्यात मे रूस की हिस्सेदारी(%)	0.85	0.62	0.92
विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशो के कुल सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी (%)	2.35	4.72	7.97
विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशे के कुल सेवा निर्यात मे भारत की हिस्सेदारी (%)	0.11	0.83	1.23

स्त्रोतः हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 2004, अंकटाड

परिशिष्ट 4.2

सेवा व्यापार (निर्यात) के महत्त्वपूर्ण संघटक : भारत

विवरण	**1995**		**2000**		**2003**	
	मात्रा (मिलियन अमेरिकी डालर)	**हिस्सेदारी (%)**	**मात्रा (मिलियन अमेरिकी डालर)**	**हिस्सेदारी (%)**	**मात्रा (मिलियन अमेरिकी डालर)**	**हिस्सेदारी (%)**
कुल सेवाएं	6775		16684		23397	
परिवहन	1890	27.89	1979	11.85	3062	13.07
यात्रा	2582	38.11	3460	20.72	3887	16.59
अन्य सेवाएं	2303	33.99	11245	67.35	16448	70.23
संचार	-		599	3.58	1066	4.55
निर्माण	-		502	3.00	284	1.21
कंप्यूटर तथा सूचना सेवाएं	-		4727	28.31	11366	48.53
बीमा	170	2.51	257	1.53	409	1.74
वित्तीय सेवाएं	-		276	1.65	392	1.67
अन्य व्यवसाय सेवाएं	2120	31.29	4148	24.84	2601	11.11
सरकारी सेवाएं एनआईई	11	0.16	654	3.91	305	1.30

सेवा व्यापार (आयात) के महत्त्वपूर्ण संघटक : भारत (मिलियन अमेरिकी डालर में)

विवरण	**1995**	**हिस्सेदारी (%)**	**2000**	**हिस्सेदारी (%)**	**2003**	**हिस्सेदारी (%)**
कुल सेवाएं	**10267.8**		**19186.7**		**25709.9**	
परिवहन	5703.07	55.37	8703.76	45.25	9356.33	35.55
यात्रा	996.176	9.66	2690.36	13.98	3509.86	13.33
अन्य सेवाएं	3568.55	34.61	7792.54	40.52	12843.7	48.80
संचार	..		104.787	0.54	610.495	2.31
निर्माण	..		127.092	0.66	1208.94	4.59
कंप्यूटर तथा सूचना सेवाएं	..		576.783	2.99	659.305	2.50
बीमा	558.778	5.42	813.152	4.22	1168.91	4.44
वित्तीय सेवाएं	..	26.32	1277.19	6.64	488.039	1.85
अन्य व्यवसाय सेवाएं	2713.82	1.99	4320.68	22.46	8088.05	30.73
सरकारी सेवाएं एनआईई	205.653		290.401	1.51	199.167	0.75

स्रोतः हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 2005, अंकटाड

परिशिष्ट 4.3

सेवा व्यापार (निर्यात) के महत्त्वपूर्ण संघटक : रूस (मिलियन अमेरिकी डालर में)

विवरण	**1995**		**2000**		**2003**	
	मात्रा (मिलियन अमेरिकी	**हिस्सेदारी (%)**	**मात्रा (मिलियन अमेरिकी**	**हिस्सेदारी (%)**	**मात्रा (मिलियन अमेरिकी**	**हिस्सेदारी (%)**
कुल सेवाएं	10568		16030		23092	
परिवहन	3781	35.54	3555	22.04	6119	26.31
यात्रा	4312	40.53	3430	21.26	4502	19.35
अन्य सेवाएं	2475	23.26	2580	15.99	5608	24.11
संचार	482	4.53	385	2.38	443	1.90
निर्माण	103	0.96	170	1.05	1050	4.51
कंप्यूटर तथा सूचना सेवाएं	…		59	0.36	175	0.75
बीमा	…		35	0.21	148	0.63
वित्तीय सेवाएं	68	0.63	100	0.62	176	0.75
अन्य व्यवसाय सेवाएं	1818	17.08	1740	10.78	3177	13.66
सरकारी सेवाएं एनआईई	…		…		140	0.60

सेवा व्यापार (आयात) के महत्त्वपूर्ण संघटक : रूस (मिलियन अमेरिकी डालर में)

विवरण	**1995**	**हिस्सेदारी (%)**	**2000**	**हिस्सेदारी (%)**	**2003**	**हिस्सेदारी (%)**
कुल सेवाएं	**20206**		**16229**		**27122.2**	
परिवहन	3306	16.19	2329	14.20	3103.45	11.17
यात्रा	11599	56.83	8848	53.97	12879.8	46.36
अन्य सेवाएं	5301	25.97	5052	30.81	11138.9	40.10
संचार	309	1.51	288	1.75	554.74	1.99
निर्माण	1671	8.18	407	2.48	2458.85	8.85
कंप्यूटर तथा सूचना सेवाएं	..		474	2.89	457.91	1.64
बीमा	..		411	2.50	773.8	2.78
वित्तीय सेवाएं	73	0.35	36	0.21	314.235	11.31
अन्य व्यवसाय सेवाएं	3244	15.89	3367	20.53	5045.68	18.16
सरकारी सेवाएं एनआईई	..		..		635.23	2.28

स्रोतः हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 2005, अंकटाड

परिशिष्ट 4.4

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में भारत और रूस को होने वाले ज्ञात तुलनात्मक लाभ

ज्ञात तुलनात्मक लाभ (आरसीए) मूल रूप से किसी देश के कुल निर्यात में किसी सेवा निर्यात की हिस्सेदारी तथा उस सेवा में कुल विश्व निर्यात में सेवा निर्यात में विश्व की हिस्सेदारी का अनुपात है। इस तथ्य को एक गणितीय समीकरण के माध्यम से निम्नवत निरूपित किया जाता हैः

$RCA = (Xiwk / XiwΣk) / (Xwk / Xw Σk)$,
जहां $Xiwk$ देश i द्वारा सेवा k का विश्व निर्यात है,,
$XiwΣk$ देश i द्वारा वस्तु और सेवाओं का निर्यात है,
Xwk सेवा k का विश्व निर्यात है, और
$Xw Σk$ वस्तुओं और सेवाओं का विश्व निर्यात है
यदि किसी क्षेत्र में प्राक्कलित आरसीए सूचकांक एक से अधिक ज्ञात हो, तो इसे वैश्विक आधार पर प्रतिस्पर्धी माना जाता है (बालास्सा, 1965)
विभिन्न सेवा क्षेत्रों में भारत और रूस का आरसीए नीचे प्रदर्शित किया गया है।

देश	क्षेत्र	1995	2000	2003
भारत	कुल सेवाएं	0.96	1.47	1.48
	परिवहन	1.10	0.89	1.01
	यात्रा	1.12	1.12	0.98
	अन्य सेवाएं	0.76	2.08	2.05
रूस	कुल सेवाएं	0.60	0.43	0.55
	परिवहन	0.89	0.76	0.86
	यात्रा	0.76	0.54	0.50
	अन्य सेवाएं	0.32	0.26	0.37

स्रोतः हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अंकटाड

आरसीए 1 से अधिक होने का अर्थ यह है कि देश को उत्पाद/सेवा की आपूर्ति में तुलनात्मक रूप से लाभ हो रहा है तथा 1 से कम आरसीए इससे विपरीत अर्थ को सूचित करता है। उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण ये यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में भारत समग्रतः और विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में सेवा क्षेत्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी स्तर पर है। वास्तव में, भारत को समग्रतः सेवा क्षेत्र में वर्ष 1995 से 2003 के दौरान निरंतर तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुआ है। रूस के मामले में समग्रतः सेवा क्षेत्र में निस्संदेह परिवहन सेवाओं का निष्पादन सर्वोत्तम रहा है।

अध्याय 5 निवेश सहयोग

भूमिका

5.1 भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए निवेश सहयोग महत्त्वपूर्ण है। भारत में वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया जबकि रूस में वर्ष 2006 में लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा अन्य देशों में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। तथापि, रूस और भारत के बीच पारस्परिक निवेश की अपेक्षाकृत कम राशि भावी सहयोग हेतु भारी संभावनाओं की मौजूदगी को दर्शाती है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5.2 भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति और संबद्ध प्रक्रियाओं की एक व्यापक समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक युक्तिकरण उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी और/या विनियामक एजेंसियों से बहुल अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता, जो कुछ क्षेत्रों में विद्यमान था, को समाप्त करना, अधिकाधिक क्षेत्रों में स्वचालित निवेश मार्ग को विस्तार प्रदान करना, और नए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करना शामिल है। किअर्नी एफडीआई कन्फिडेंस इंडेक्स 2005 द्वारा भारत को एक सर्वाधिक अनुकूल लोकतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था।

5.3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में भारत सरकार की नीति वेबसाइट www.dipp.gov.in पर उपलब्ध है। इस नीति में हुए सभी परिवर्तनों को इस वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में से किसी से भी पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश क्षेत्रों में यथाप्रयोज्य क्षेत्रीय नियमों/विनियमों के अध्यधीन स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

5.4 वर्तमान में, निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई हैः

(i) खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर);
(ii) परमाणु ऊर्जा;
(iii) लाटरी व्यवसाय;
(iv) जुआ और शर्त लगाना;
(v) निम्नलिखित को छोड़कर कृषिः पुष्प कृषि; बागबानी; बीज विकास; पशुपालन; नियंत्रित दशाओं तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं के अंतर्गत मत्स्यपालन; सब्जियों की खेती; मशरूम आदि; बागान कृषि (चाय बागान कृषि को छोड़कर)।

5.5 भारत में जिन क्षेत्रों में सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु एकल खिड़की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार के अनुमोदनों को प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्थित विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) एकमात्र प्राधिकरण है। एफआईपीबी में आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित सूचना

और साथ ही आवेदन की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.finmin.nic.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

5.6 पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की परिधि में नहीं आता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के पृथक विनियमों द्वारा शासित होता है। शाखा/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय स्थापित करने की इच्छा रखने वाले भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत विशिष्ट विनियमों द्वारा शासित होते हैं। इस संबंध में प्रक्रिया तथा अनुमेय क्रियाकलापों से संबंधित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

5.7 वित्त वर्ष 2006-07 (अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक) के दौरान प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि इस दौरान 15.7% बिलियन अमेरिकी डालर का अतर्वाह हुआ जबकि वर्ष 2005-06 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 5.5 बिलियन अमेरिकी डालर का अतर्वाह हुआ था। यह आंकड़ा डालर के रूप में 184% वृद्धि को निरूपित करता है।

5.8 वर्ष 1991 से लेकर मार्च, 2007 के अंत तक की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल अंतर्वाह (केवल इक्विटी पूंजी घटक की गणना करने पर ही) की मात्रा 54.62 बिलियन अमेरिकी डालर है।

5.9 अगस्त, 1991 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह के संदर्भ में 5 शीर्षस्थ निवेशक देशों के नाम हैंः मारीशस (41.2%), संयुक्त राज्य अमेरिका (12.8%), जापान (4.9%), नीदरलैण्ड्स (5.94%) और यूनाइटेड किंगडम (8.7%)। अगस्त 1991 से मार्च 2006 के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह को आकर्षित करने वाले पांच शीर्षस्थ क्षेत्रों में वैद्युत उपकरण (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित) (18.7%), दूरसंचार (8.7%), परिवहन उद्योग (8.04%), सेवा क्षेत्र (वित्तीय और अवित्तीय 17.84%) और ईंधन (विद्युत तथा तेलशोधक) (6.3%) के नाम शामिल हैं। जनवरी, 2000 से मार्च, 2006 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले शीर्षस्थ राज्यों में महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव (24.4%), दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से तथा हरियाणा (22.7%), तमिलनाडु और पांडिचेरी (7.5%), कर्नाटक (6.8%) और आंध्र प्रदेश (3.9%) के नाम उल्लेखनीय हैं।

रूस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5.10 आज के समय में किसी देश की खुली अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उपलब्ध परिवेश को उत्पन्न करके ही देश का अस्थायी और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। रूसी संदर्भ में सबसे बढ़कर नई प्रौद्योगिकियों, व्यावसायिक तकनीकों और तकनीकी जानकारियों को देश के भीतर आकर्षित करने के लिए एक सहायक के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का महत्त्व है। इसके विफल होने की स्थिति में इस बात की संभावना है कि राष्ट्र विकास के मार्ग में पिछड़ जाए।

5.11 रूस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि वर्ष 2004 में 15.4 बिलियन अमेरिकी डालर, वर्ष 2005 में 14.6 बिलियन अमेरिकी डालर और वर्ष 2006 में लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डालर थी। रूस न केवल सीआईएस देशों में बल्कि दक्षिणी-पूर्वी यूरोप के राज्यों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में अग्रणी रहा है।

5.12 वर्ष 2005 में विदेशी निवेशकों के प्रमुख क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों पर केंद्रित रहे थे। इनमें से पहला क्षेत्रक ईंधन तथा ऊर्जा क्षेत्र एवं दूसरा क्षेत्र खाद्य उद्योग हैः कोका कोला ने एक प्रमुख रूसी जूस विनिर्माता कंपनी मुलटन को 501 मिलियन अमेरिकी डालर में खरीदा है। तीसरा क्षेत्र सेवा उद्योग का क्षेत्र हैः इस क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्यम सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक पर्ल कंप्लेक्स के निर्माण हेतु 1.3 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की सबसे बड़ी चीनी-रूसी परियोजना है। उपर्युक्त कार्य व्यापार रूसी अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के परंपरागत वितरण को सूचित करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्रों में निर्दिष्ट है। इससे जुड़े क्षेत्रों में, निवेशक के लिए आकर्षक होने के संदर्भ में व्यापार तथा सार्वजनिक खानपान उद्योग, बाजार प्रचालन को सुकर बनाने के लिए सामान्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

5.13 वर्ष 2006 की संपूर्ण अवधि के संबंध में सीवीआर द्वारा किए गए प्रारंभिक प्राक्कलन के अनुसार भुगतान संतुलन, निवल निजी पूंजी अंतर्वाह की राशि वर्ष 2006 में 41.6 बिलियन डालर थी, जबकि 2005 में यह राशि 1.1 बिलियन डालर थी। जून, 2007 में विदेशी निवेश के संचयी अंतर्वाह की राशि 150 बिलियन डालर थी।

5.14 संचयी विदेशी पूंजी के सबसे अधिक अंशदान में ''कोई अन्य निवेश'' की राशि शामिल थी जो पुनर्भुगतान आधार पर उपलब्ध कराई गई थी (अर्थात यह वह ऋण राशि थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों, व्यापार ऋण आदि के रूप में जारी किया गया था), जिसकी मात्रा 48.8% (सितंबर, 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार संगत आंकड़ा 53.1% था), जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी 49.3% (पिछले वर्ष 44.9%), थी, जिसमें पोर्टफोलियो निवेश 1.9% (पिछले वर्ष 2.0%) था।

5.15 रूसी अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य निवेशक देशों में साइप्रस, लक्समबर्ग, नीदरलैण्ड्स, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के नाम सम्मिलित हैं। यह नोट किया जाए कि 2006 की तीसरी तिमाही में साइप्रस, नीदरलैण्ड्स, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, लक्समबर्ग, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत एक प्रमुख निवेशक देश था। संचयी विदेशी निवेश की कुल राशि में इन देशों द्वारा किए गए निवेश की राशि 82.3% थी।

5.16 हाल के वर्षों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में समग्रतः बृहत आर्थिक स्थायित्व आया है जो निवेश-ग्रेड के संबंध में देश द्वारा निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। बृहत् आर्थिक स्थायित्व उदाहरण के लिए, विदेशी-मुद्रा भंडार (एफईआर) में निरंतर वृद्धि जैसे कारकों द्वारा ज्ञात होता है। इस संदर्भ में, 01 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) की राशि 250.6 ाबलियन अमेरिकी डालर थी।

5.17. ए टी किअर्नी कंसलटेंसी द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के संदर्भ में रूस का 11वां स्थान है। इंस्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, निवेश को आकर्षित करने के संदर्भ में रूस चीन के समकक्ष है।

5.18 योग्य श्रमिकों की उपलब्धता जैसे कुछ अन्य कारणों को भी रूस के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उपलब्ध कराने के रूप में माना जा सकता है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसेकि जनरल मोटर्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्युआवेई टेक्नोलॉजीज ने अपने-अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं, जो देश में अनुसंधान तथा विकास संबंधी क्रियाकलापों में जुटे हैं।

5.19 जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी-2006) द्वारा किए गए एक वार्षिक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हो हो सकता है कि रूसी अर्थव्यवस्था का कौन-सा क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक क्षेत्र होगा। इस सर्वेक्षण के दौरान जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्षस्थ प्रबंधकों ने रूस को वर्ष 2006-2008 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्थिति के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था (संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से ऊपर)। सामान्य मशीन निर्माण (चौथा स्थान) और स्वचालित उद्योग (सातवां स्थान) के संबंध में रूस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सर्वाधिक आकर्षक देश है।

रूस में विदेशी निवेश को शासित करने वाले कानून

5.20 विदेशी निवेशकों के क्रियाकलाप वर्ष 1991 और वर्ष 1992 के विदेशी निवेश से संबंधित अनेक संघीय कानूनों और साथ ही उत्पादन भागीदारी से संबंधित संघीय कानूनों (वर्ष 1995), (वर्ष 1999 में संशोधित और संपूरित), तथा इसके साथ ही विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित संघीय कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं।

5.21 वर्तमान में, रूस में रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निवेश की पहुंच के संबंध में कानून निर्मित किया जा रहा है। इस कानून के प्रारूप के अनुसार 39 प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों, जो मुख्य रूप से रक्षा उद्योगों से संबंधित क्रियाकलाप हैं, में प्रतिबंध लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तैयार किए जा रहे कानून के प्रारूप में प्राप्त किया जाने वाला मुख्य उद्देश्य उन कृत्रिम बाधाओं को दूर करना है जो विदेशी निवेश के मार्ग में कभी-कभी उपस्थित कर दी जाती हैं। यह कानून अनुमति स्वरूप का कानून होगा और इसमें उन क्षेत्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जो निवेश के लिए अभिगम्य होंगे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005 में रूसी परिसंघ की संघीय असेम्बली ने "रियायत करार" से संबंधित कानून पर अपनी सहमति दे दी है, जिसका उद्देश्य रियायत संबंधों के विनियम हेतु कानूनी आधार स्थापित करना है जिसमें रियायत करार को करने, उसमें संशोधन करने और उसे समाप्त करने के लिए लागू प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

भारत में विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईजैड)

5.22 भारत वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित एशिया के पहले निर्यात प्रक्रमण ज़ोन (ईपीजैड) से निर्यात को संवर्धन प्रदान करने में निर्यात प्रक्रमण ज़ोन (ईपीजैड) प्रतिरूप की प्रभावकारिता को समझने के संदर्भ में एशिया का पहला देश था। तत्पश्चात, देश में सात और ज़ोनों की स्थापना की गई। विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा एसईजैड की स्थापना करके अधिक आर्थिक क्रियाकलाप और रोजगार सृजित करने की दृष्टि से एक विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। एसईजैड अधिनियम, 2005 जो एसईजैड नियमों द्वारा समर्थित है, 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हो गया है।

5.23 विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईजैड) निजी क्षेत्र में या संयुक्त क्षेत्र में राज्य सरकार के सहयोग से या स्वयं राज्य सरकारों और इसकी एजेंसियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केंद्र सरकार अपने आप किसी नए एसईजैड को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं करती और न ही देश में किसी राष्ट्र स्तरीय एसईजैड की स्थापना की गई है।

5.24 विशेष आर्थिक ज़ोन की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक अंतरमंत्रालयीय समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसे बोर्ड ऑफ एप्रूवल के नाम से जाना जाता है, जिसमें वित्त मंत्रालय (सीबीईसी और सीबीडीटी), गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से सदस्यों, संबंधित

राज्य सरकारों के सदस्यों तथा विकास आयुक्त आदि को शामिल किया जाता है। बोर्ड ऑफ एप्रूवल द्वारा एसईजैड को अनुमोदित कर दिए जाने और संबंधित क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा एसईजैड के रूप में अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात एसईजैड में यूनिटों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। एसईजैड यूनिट सीमाशुल्क परिबद्ध प्रवेश में कार्य करते हैं तथा एक समर्पित सीमाशुल्क स्कंध के पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं।

भारत में एसईजैड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

5.25 एसईजैड नीति के अनुसार, बोर्ड ऑफ एप्रूवल (बीओए) को एसईजैड के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विदेशी सहयोग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त, एसईजैड में सभी विनिर्माणकारी क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को छोड़कर, स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई हैः

(क) हथियार एवं गोला-बारूद, विस्फोटक तथा रक्षा उपकरणों की संबद्ध मदें, रक्षा वायुयान और युद्धपोत;

(ख) परमाणु पदार्थ;

(ग) स्वापक और साइकोट्राफी पदार्थ तथा जोखिम वाले रसायन;

(घ) अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों का आसवन और किण्वन; और

(ड.) सिगरेट/सिगार तथा विनिर्मित तम्बाकू पदार्थ।

5.26 हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सहायता से विकसित होने वाले कुछ प्रमुख एसईजैड में निम्नलिखित के नाम सम्मिलित हैंः तमिलनाडु में नोकिया एसईजैड (100 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश - दिसंबर, 2007 तक 150 मिलियन अमेरिकी डालर का अतिरिक्त निवेश); चंडीगढ़ में क्वार्क सिटी एसइजैड (इसके लिए लगभग 0.5 बिलियन अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होने की आशा है); तमिलनाडु में फ्लैक्शट्रोनिक्स एसईजैड (पहले ही 100 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश किया जा चुका है - कुल निवेश 400 मिलियन अमेरिकी डालर); आंध्र प्रदेश में अपाचे एसईजैड (एडिडास समूह) (प्रत्याशित निवेश 50 मिलियन अमेरिकी डालर)।

भारत में एसईजैड को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाएं

5.27 एसईजैड में विदेशी निवेश सहित निवेश को आकर्षित करने के लिए एसईजैड में यूनिटों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

- एसईजैड यूनिटों के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए वस्तुओं का निःशुल्क आयात/घरेलू अधिप्रापण।
- आयकर अधिनियम की धारा 10कक के अंतर्गत एसईजैड यूनिटों के लिए निर्यात आय पर आयकर से पहले पांच वर्षों के दौरान 100% छूट,उसके पश्चात के अगले पांच वर्षों के दौरान 50% छूट और उसके पश्चात अगले पांच वर्षों के दौरान पुनर्विनियोजित निर्यात लाभ पर 50% की छूट उपलब्ध कराई गई है।
- आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के अंतर्गत, न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट उपलब्ध कराई गई है।

- एसईजैड यूनिटों को मान्यताप्राप्त बैंकिंग माध्यमों के जरिए वर्ष में 500 मिलियन अमेरिकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति प्रदान की गई है जिसके लिए कोई परिपक्वता संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है।
- केंद्रीय विक्रय कर से छूट।
- सेवा कर से छूट।
- केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय अनुमोदनों के लिए एकल खिड़की क्लियरेंस।
- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार राज्य विक्रय कर तथा अन्य शुल्कों से छूट।

5.28 एसईजैड डेवलपरों (विकासकर्ताओं) को उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बीओए द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रचालनों के लिए एसईजैड के विकास हेतु सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट;
- आयकर अधिनियम की धारा 80-I एबी के अंतर्गत 15 वर्षों में 10 वर्ष के ब्लॉक हेतु निर्यात आय पर आयकर से छूट;
- आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट;
- आयकर अधिनियम की धारा 1150 के अंतर्गत लाभांश वितरण कर से छूट;
- केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट;
- सेवा कर से छूट (एसईजैड अधिनियम की धारा 7, 26 और द्वितीय अनुसूची);

5.29 ***न्यूनतम क्षेत्र अपेक्षाः*** एसईजड की विभिन्न श्रेणियों के लिए एसईजैड अधिनियम के अंतर्गत कुछ न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, जैसकि (i) बहु-उत्पाद एसईजैड के लिए 1000 हेक्टेयर; (ii) बहु-सेवा तथा क्षेत्र-विशिष्ट एसईजैड के लिए 100 हेक्टेयर; (iii) सूचना प्रौद्योगिकी एसईजैड (जिसमें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 1,00,000 वर्ग मीटर हो); रत्न और जवाहरात (जिसमें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर हो) तथा जैव-प्रौद्योगिकी एवं अपारंपरिक ऊर्जा (अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन तथा विनिर्माण को छोड़कर) (जिसमें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 40,000 वर्ग मीटर हो); और (iv) एफटीडब्ल्यूजैड के लिए 40 हेक्टेयर (जिसमें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 1,00,000 वर्ग मीटर हो)। कतिपय विशिष्ट राज्यों के संबंध में बहु-उत्पाद और क्षेत्र-विशिष्ट एसईजैड के लिए न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षा में छूट प्रदान की गई है।

5.30 ***अनुमोदित/प्रचालन में स्थित एसईजैडः*** कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नै (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित आठ मौजूदा निर्यात प्रक्रमण जोनों को एसईजैड के रूप में परिवर्तित किया गया था, जो अभी प्रचालन में हैं। एसईजैड अधिनियम के अंतर्गत एसईजैड हेतु बोर्ड ऑफ एप्रूवल (बीओए) द्वारा निजी/संयुक्त क्षेत्र में या राज्य सरकारों और इसकी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट आर्थिक ज़ोनों को स्थापित करने के लिए 369 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। इनमें से 146 को प्रचालन हेतु अधिसूचित किया गया है जिनमें से कुछ पहले से ही प्रचालनरत हैं जबकि शेष प्रचालन किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

5.31 ***एसईजैड से लाभः***

- एसईजैड से सृजित होने वाले प्रत्याशित आर्थिक क्रियाकलापों में निवेश, अवसंरचना विकास, रोजगार के अवसर और निर्यात में वृद्धि हैं।
- एसईजैड के अवसंरचना विकास तथा यूनिटों की स्थापना से दिसंबर, 2007 के अंत तक लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डालर जिसमें 5-6 बिलियन अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है, का निवेश किए जाने की आशा है।
- वर्तमान में, 1016 यूनिट एसईजैड के अंतर्गत प्रचालन में हैं जो लगभग 1.27 लाख व्यक्तियों (जिनमें से 40% से भी अधिक महिलाएं हैं) को सीधा रोजगार प्राप्त हो रहा है। विशेष आर्थिक ज़ोनों में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों के सृजित होने की संभावना है। इनसे दिसंबर 2007 के अंत तक 500,000 नौकरियां सृजित होने की आशा है।
- गत तीन वर्षों के दौरान एसईजैड से निर्यात निम्नलिखित के अनुरूप हुआः वर्ष 2003-04 में 2996 मिलियन अमेरिकी डालर; वर्ष 2004-05 में 4075 मिलियन अमेरिकी डालर और वर्ष 2005-06 में 5004.56 मिलियन अमेरिकी डालर।

रूस में विशेष आर्थिक जोनः

5.32 रूसी क्षेत्र में विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईजैड) के विकास और संस्थापना हेतु एक जोरदार प्रक्रिया चल रही है। रूसी परिसंघ में विशेष आर्थिक ज़ोनों के सृजन और प्रचालन के लिए यथाप्रयोज्य प्रक्रिया को शासित करने वाले मुख्य सांविधिक कानूनी अधिनियम दिनांक 22 जुलाई, 2005 का 116-एफजैड संख्यांकित संघीय कानून है जो ''रूसी परिसंघ में विशेष आर्थिक जोन'' से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इसके प्रचालन रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति द्वारा 22 जुलाई, 2005 को जारी 855 संख्यांकित कार्यपालक आदेश के द्वारा विनियमित होता है जो ''विशेष आर्थिक जोनों के प्रबंधन हेतु संघीय एजेंसी'' से संबंधित कानून है। संघीय एजेंसी रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास तथा व्यापार मंत्रालय की परिधि के अंतर्गत आता है तथा यह अपने क्रियाकलापों को सीधे अथवा कार्यपालक शक्ति के अन्य संघीय अंगों, कार्यपालक शक्ति के क्षेत्रीय अंगों, स्थानीय स्वशासन प्राधिकरणों, सार्वजनिक एसोसिएशनों और अन्य संगठनों के सहयोग से इसके प्रादेशिक प्राधिकरणों और अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से निष्पादित करता है।

5.33 रूसी परिसंघ के क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित प्रकार के विशेष आर्थिक ज़ोन स्थापित किए जा सकते हैं:

- औद्योगिक विनिर्माणकारी विशेष आर्थिक ज़ोन
- प्रौद्योगिकी आगमन विशेष आर्थिक ज़ोन
- पर्यटन मनोरंजन ज़ोन

5.34 वर्तमान में, अन्य प्रकार के एसईजैड (विशेषकर पत्तन आर्थिक ज़ोन) के सृजन से संबंधित कानूनों में संशोधन करने से संबंधित मामला विचाराधीन है।

5.35 एसईजैड की स्थापना से विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता हैः

- निवेश तथा उद्यमीय परिवेश में सुधार;

– विद्यमान परिवेश को सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से विकसित करना ताकि विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा हेतु समान अवसर उपलब्ध हों;

– नई अर्थव्यवस्था का विकास अर्थात उच्च प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विज्ञान केंद्रित उत्पादन और सेवा को संवर्धन और साथ ही विज्ञान अनुसंधान विकास के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देना।

एसईजैड की स्थापना से कुछ क्षेत्रों को निर्यात की सुविधा प्रदान करने में सहायता प्राप्त होती है।

5.36 यह कानून एसईजैड के निवासियों के लिए प्रशासनिक, कराधान और सीमाशुल्क के संदर्भ में अधिमान प्रदान करता है। सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने, निवेश परिवेश, और संभावित अधिमानों के द्वारा एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें अनेक प्रमुख कंपनियों, विशेषकर बोइंग, हैवलेट पैकर्ड, आईबीएम और इंटेल ने वर्तमान में रूसी परिसंघ में विकसित हो रहे विशेष आर्थिक जोनों में अपनी रुचि प्रदर्शित की है।

5.37 वर्ष 2005 में रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास तथा व्यापार मंत्रालय तथा रॉस एसईजैड (रूसी परिसंघ की विशेष आर्थिक ज़ोन प्रबंधन एजेंसी) द्वारा आमंत्रित की गई निविदा के परिणामों के आधार पर रूसी परिसंघ के सरकार द्वारा 08 दिसंबर, 2005 को आयोजित सत्र में सेंट पीटर्सबर्ग, टोम्स, जेलेनोग्राड, दुबना (मास्को क्षेत्र) शहरों में प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण किस्म के चार विशेष आर्थिक जोनों को स्थापित करने और साथ ही लिपेट्स और येलाबुगा (तातारस्तान गणराज्य) में औद्योगिक विनिर्माण किस्म के दो विशेष आर्थिक ज़ोनों को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

5.38 अक्तूबर, 2006 में कालिनीग्राड क्षेत्र में एक विशेष आर्थिक ज़ोन की स्थापना की गई जिसमें निवेश, विनिर्माण और अन्य क्रियाकलापों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। वर्ष 2006 में मिनरल लाइन बॉडी (कोकासस में) और इरकुट्स क्षेत्र एवं बुरियाटिया गणराज्य में दो पर्यटन मनोरंजन ज़ाने सृजित किए गए।

विदेश में भारतीय निवेश

5.39 गत वर्षों के दौरान भारत में विदेशी निवेश नीति को अत्यधिक उदार बनाया गया है। भारतीय निगमों, भागीदार फर्मों को अब विदेश में स्थित कंपनियों में बिना कोई विशेष अनुमोदन प्राप्त किए अर्थात स्वचालित मार्ग से अपने नेटवर्थ का 200% निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार या किसी विनियामक एजेंसी से पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों को भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी निवेश संबंधी एक विशेष समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

5.40 विदेश में भारतीय निवेश अप्रैल, 1996 से मार्च, 2006 में 557 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2856 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया है, जो 500% से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान अनुमोदनों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसकी संख्या 290 से बढ़कर 1395 हो गई है।

5.41 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 (अप्रैल 06 में) के दौरान भारतीय कंपनियों को विदेश में निवेश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के 93 अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2005-2006 (अप्रैल 05 से मार्च 06 तक) के दौरान विदेश के लिए अनुमोदित भारतीय निवेश के क्षेत्र-वार

वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि 60% निवेश विनिर्माण क्षेत्र में किए गए, जिसके पश्चात सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में क्रमशः 30.6% और 4.7% निवेश किए गए।

5.42 अप्रैल 1996 से मार्च 2006 के दौरान भारत द्वारा विदेश में निवेश हेतु कुल अनुमोदित निवेश में से शीर्षस्थ 5 देशों के नाम क्रमशः रूस (17.2%), अमेरिका (15.3%), मारीशस (8.8%), सूडान (6.2%) और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (5.8%) के नाम उल्लेखनीय हैं।

5.43 विदेश में भारतीय कंपनियों के कार्य-निष्पादन का बोस्टन कंसलटिंग ग्रुप द्वारा ''नई वैश्विक चुनौतियांः किस प्रकार तेजी से विकासित हो रही अर्थव्यवस्था वाले देशों (आरडीई) की 100 शीर्षस्थ कंपनियां विश्व को चुनौती दे रही हैं'' नाम से हाल ही में प्रकाशित की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में बड़ी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाले देशों में स्थित शीर्षस्थ 100 कंपनियों (आरडीई 100) की पहचान की गई है। यह सूची अर्थव्यवस्था के आकार, निर्यात की मात्रा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि के आधार पर 12 प्रमुख आरडीई वाले देशों से एक विस्तृत जांच प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई थी। इस सूची में ब्राजील, चीन, चैक गणराज्य, हांगकांग, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, रूस, थाइलैंड और तुर्की के नाम शामिल हैं। आरडीई की 100 कंपनियों की इस सूची में 21 भारतीय कंपनियों के नाम शामिल हैं।

5.44 आरडीई 100 में स्थित भारतीय कंपनियां मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों से संबंधित हैं - तकनीकी और वाणिज्यिक सेवाएं, ऑटोमोबाइल निर्माण सेवाएं तथा स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं। विदेश में निवेश करने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में ऑटोमोबाइल विनिर्माता कंपनियों जैसेकि बजाज, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और भारत फोर्ज; सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ कंपनियों जैसेकि इन्फोसिस, सत्यम, टाटा कंसलटैंसी सर्विसेज और विप्रो; प्रमुख इंजीनियरी और निर्माण कंपनियों लार्सन एंड ट्युब्रो; अग्रणी औषधीय निर्माण कंपनियों जैसेकि रैनबैक्सी, सिपला और डॉ रेड्डी; औद्योगिक वस्तु निर्माण करने वाली कंपनियों जैसेकि हिंडाल्को, टाटा स्टील और क्राम्प्टन ग्रीव्स तथा अन्य क्षेत्रों की कंपनियों जैसेकि ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वीडियोकोन, वीएसएनएल और टाटा टी के नाम शामिल हैं।

5.45 इस रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकांश भारतीय कंपनियां उत्पादन या विनिर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो विदेश में एम एंड ए क्रियाकलापों से जुड़ी हैं। वर्ष 2000-2004 की अवधि के दौरान विदेश में एम एंड ए क्रियाकलापों को करने वाली सभी आरडीई आधारित कंपनियों में से लगभग 15% कंपनियां भारतीय कंपनियां थीं तथा परिपक्व बाजार में लगभग 26% कंपनियां भारतीय कंपनियां थीं जो किसी भी आरडीई देश की तुलना में अधिक थीं। परिपक्व बाजार में अपनी हिस्सेदारी सुदृढ़ करने के संदर्भ में भारत उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक सक्रिय रहा, जिसके पश्चात पश्चिमी यूरोप में इसकी सक्रियता देखी गई है। उत्तरी अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं/बीपीओ के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की अधिक रुचि के कारण ही यहां काफी अधिक संख्या में आरडीई 100 कंपनियों की उपस्थिति देखी जा रही है।

5.46 भारतीय कंपनियों ने अनेक भिन्न-भिन्न वैश्वीकरण रणनीतियों को अपनाया है तथा इनके द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों में से कभी-कभी कुछ पद्धतियां आरडीई 100 की सूची में स्थित कुछ अन्य कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों पर अति व्याप्त हो जाती हैं। तथापि, भारत की सहज इंजीनियरी प्रतिभा के क्षेत्र में महती लाभ को देखते हुए भारतीय 21 कंपनियों ने इंजीनियरी आधारित नवप्रवर्तन दृष्टिकोण को अपनाया है। भारत फोर्ज और क्राम्पटन ग्रीव्स, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपने क्रियाकलापों को विस्तार प्रदान करने वाले आरंभिक भारतीय प्रतिष्ठान हैं, ने भी वर्तमान में श्रेणीकृत

नेतृत्व को अपनाया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया है, अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर प्रचालित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

5.47 कुछ भारतीय कंपनियां अपने सेगमेंटों में वैश्विक आधार पर अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए भारत फोर्ज अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी है। इसी प्रकार रैनबैक्सी विश्व में जेनरिक औषधियां बनाने वाली 10 शीर्षस्थ कंपनियों की सूची में शामिल है। विप्रो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय पक्ष इंजीनियरी सेवा कंपनी बन गया है। निम्न विनिर्माण लागत, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान, इंजीनियरी और अनुसंधान में सहज सामर्थ्य के संयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय कंपनियां काफी सुदृढ़ स्थान ग्रहण कर चुकी हैं।

विदेश में रूसी व्यवसाय

5.48 न केवल विदेशी कंपनियां ही रूस में अधिक निवेश करने लगी हैं बल्कि रूसी कंपनियों ने भी वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जोरदार प्रयास करना आरंभ कर दिया है। न केवल पश्चिमी और पूर्वी देशों के बाजारों में कच्ची सामग्रियों और वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि हुई है बल्कि प्रमुख रूसी कंपनियों ने विदेश में कंपनियों और उद्यमों का अधिग्रहण भी आरंभ कर दिया है और रूस के बाहर निवेश परियोजनाओं में निधि का निवेश करना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार, अंकटॉड के अनुसार, वर्ष 2005 में विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में उभर रही और सक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में रूस का स्थान तीसरा था (13 बिलियन अमेरिकी डालर) (इससे आगे केवल हांगकांग और वर्जिन आइलैंड का ही स्थान है)। हाल के वर्षों के दौरान (1992-2004) के दौरान विदेश में प्रत्यक्ष रूसी निवेश में औसतन 12% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। इन निवेशों के कारण वैश्विक स्तर पर देशों द्वारा प्रयुक्त सुदृढ़ प्रभाव में ही सहायक हैं बल्कि देश द्वारा निर्यात में और अधिक वृद्धि करने में भी ये प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

5.49 एक ओर, रूसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकांशतः प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय हैं- वर्ष 2005 में किया गया सर्वाधिक उल्लेखनीय क्रय कजाकिस्तान के तेल क्षेत्रों में तेल की खोज करने और उत्पादन करने के कार्य में जुटी कंपनी कनाडियन नेशनल रिसोर्सिज से ल्युक ऑयल की खरीद करना है (सौदे की कुल राशि लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डालर थी)। इसी वर्ष प्रमुख ऐलुमिनियम उत्पाद रूस ए1 ने आस्ट्रेलियाई ऐलुमिना के उत्पादक क्वींसलैंड ऐलुमिना में 400 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के 20% शेयरों की खरीद की।

5.50 दूसरी ओर, अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही रूसी कंपनियां भी अधिकाधिक सक्रिय होती जा रही हैं। रूसी मोबाइल प्रचालकों ने न केवल सीआईएस के प्रदेश के में बल्कि विदेश में भी अपने व्यवसाय को सक्रिय रूप से विकसित किया है। अल्फा समूह, जिसने तुर्की मोबाइल प्रचालक तुर्कसेल के 27% शेयरों की 3.3 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य पर खरीद की है, इस प्रकार की पहुंच के उदाहरण हैं।

5.51 रूस कुछ क्षेत्रों में विश्व के सर्वाधिक बड़ी कंपनियों का केंद्र बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए अक्तूबर, 2006 में दो रूसी ऐलुमिनियन कंपनी - रूसल (ऐलुमिनियम के उत्पादन के संदर्भ में विश्व में तीसरा स्थान) और सुअल (इसका नाम विश्व के शीर्षस्थ 10 उत्पादकों में शामिल है) और स्विस कंपनी ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी ने अपने ऐलुमिनियम और ऐलुमिनियम से संबंधित परिसंपत्तियों को मिलाकर ''यूनाइटेड कंपनी रूसल'' को सृजित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ''यूनाइटेड कंपनी रूसल'' विश्व की सबसे बड़ी ऐलुमिनियम और ऐलुमिनियम से संबंधित उत्पादों का

उत्पादन करने वाली कंपनी होगी (विश्व के प्राथमिक ऐलुमिनियम का 12.5% और विश्व के ऐलुमिनियमयुक्त उत्पादों का 16%) तथा इसके लगभग 110 हजार कर्मचारी होंगे जो पांच महाद्वीपों में कार्य कर रहे होंगे।

5.52 रूसी कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश करने के अनेक कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण संबंधित बाजारों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने की इच्छा है और ये न केवल पड़ोसी देशों (सीआईएस) के बाजार हैं बल्कि ये वैसे बाजार भी हैं, जहां उनके उत्पादों का विक्रय होता है। दूसरी बात यह है कि उनमें अपनी दक्षता में भी वृद्धि करने की क्षमता है अर्थात वे योजित मूल्य श्रृंखला के भीतर आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। तीसरा कारण, प्राकृतिक संसाधनों की पहुंच का होना है।

5.53 वर्ष 2005 में रूस द्वारा विदेश में किए गए निवेश की कुल राशि 120 मिलियन अमेरिकी डालर थी। रूसी पूंजी के लिए अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्र थेः आयॅल, खनन, धातुकर्म, परिवहन, संचार, खाद्य और तम्बाकू उद्योग।

भारत और रूस के बीच निवेश सहयोग

5.54 निवेश सहयोग और संवर्धन के संबंध में रूसी परिसंघ की सरकार और भारतीय गणराज्य के बीच 23 दिसंबर, 1994 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जो 14 अगस्त, 1996 को प्रभावी हुआ। दोहरे कराधान को रोकने के संबंध में रूसी परिसंघ की सरकार और भारतीय गणराज्य की सरकार के बीच 25 मार्च, 1997 को एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए जो 11 अप्रैल, 1998 को लागू हुआ। यह करार व्यवहार रूप में 2000-2001 से सक्रिय रूप से लागू हो गया है।

5.55 गत दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में रूसी निवेश की राशि लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डालर थी, जिसमें से 80 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि ''ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड'' कंपनी के उद्यम हेतु थी।

5.56 इसके अतिरिक्त, हालांकि रूसी अर्थव्यवस्था में भारतीय निवेश की कुल मात्रा काफी अधिक है (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा बड़ी मात्रा में निवेश किए जाने के कारण), भारतीय निवेश की संख्या अभी भी कम बनी हुई है। भारत सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी ''ओएनजीसी विदेश लिमिटेड'' कंपनी सबसे बड़ा भारतीय निवेशक है, जिसने ''सखालिन-1'' परियोजना में लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डालर का निवेश किया है।

5.57 जनवरी, 2007 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम वी पुतिन के भारत आगमन के दौरान रोजनेफ्ट और ओएनजीसी के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5.58 2007 से रूसी भारतीय निवेश मंच की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। इससे दोनों पक्षों द्वारा निवेश की राशि में वृद्धि करने की आशा की जा सकती है तथा इस संबंध में कुछ उल्लेखनीय सौदे किए जा सकते हैं।

5.59 रूसी और भारतीय पक्ष दोनों देशों की प्राथमिकता वाले उद्योगों में बृहत्तर संयुक्त निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रुपया ऋण के उपयोग के प्रश्न पर एक करार करने की दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं ताकि रूसी भारतीय कार्यनीतिक भागीदारी को संवर्धन प्रदान किया जा सके।

5.60 रूसी परिसंघ के क्षेत्रों तथा भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग पर भी हाल में बल दिया गया है। इस ढांचे के अंतर्गत कर्नाटक और समारा क्षेत्र, गुजरात और अस्तरखान क्षेत्र और आंध्र प्रदेश ततारस्तान के बीच सहयोग संबंधी नवाचार आरंभ किए गए हैं। ततारस्तान के

प्रधान मंत्री ने दिसंबर 2004 में आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा किया तथा गुजरात के मुख्य मंत्री जुलाई 2006 में अस्तरखान के दौरे पर गए। मुंबई और सेंट पीसटर्सबर्ग के बीच सहयोग नवाचार पर राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन के दौरान दिसंबर 2004 में हस्ताक्षर किए गए।

निवेश हेतु संभावित क्षेत्र

रूस में निवेश

5.61 निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने निवेश किया है अथवा उल्लेखनीय रुचि प्रदर्शित की हैः

5.61.1 *विद्युत क्षेत्र :* भारतीय पक्ष को आमतौर पर रूस में ऊर्जा के क्षेत्र में, विशेषकर ईएंडपी, पाइपलाइन, पेट्रोरसायन तथा गैस प्रक्रमण संयंत्रों और एलएनजी के क्षेत्रों, जिनमें भारतीय निवेश का रूस में अंतर्वाह हो सकता है, में सरकारी/बृहत आकार के उद्यमों में रूस में निवेश की संभावनाओं पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सूचना का बार-बार छोटे अंतरालों पर आदान-प्रदान किया जाए ताकि इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिल सके।

5.61.2 *स्वास्थ्य सुविधा तथा औषधीय क्षेत्र* : रैनबैक्सी, डॉ रेड्डी लैब, यूनिक फर्मास्यूटिकल्स लैबोरेट्रीज जैसी भारतीय कंपनियां अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से कार्य करती हैं।

5.61.3 *ऑटोमोटिव उद्योग* : टाटा मोटर्स रूस के प्रादेशिक क्षेत्र में अपना एक असेंबलिंग संयंत्र निर्मित करने पर विचार कर रहा है। अन्य भारतीय विनिर्माता भी रूस में अपना संयंत्र स्थापित करने की इच्छा रख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यम अवधि (2008 से) के दौरान रूसी आटोमोटिव बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तथा यदि यहां कोई असेंबलिंग संयंत्र स्थापित न किया जाए तो बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में कठिनाई होगी।

5.61.4 *रसायन उत्पादन और उर्वरक* : उर्वरक (और अन्य उत्पाद) रूस से भारत को निर्यात की जाने वाली एक मुख्य वस्तु है। इस उद्योग में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत उर्वरकों का एक स्थायी उपभोक्ता है। इस स्थिति में भारत को उर्वरक जैसे उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लाभों का विश्लेषण करना संभव है।

5.61.5 *धातुकर्म और खनन :* रूसी विशेषज्ञ भारतीय इस्पात, कोयला और ऊर्जा कंपनियों को निरंतर परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराते रहे हैं। अतः यह क्षेत्र भारतीय कंपनियों कंपनियों के लिए आकर्षक क्षेत्र हो सकता है।

भारत में निवेश

5.62 रूसी कंपनियों के लिए सर्वाधिक रुचि वाले क्षेत्र हैंः

5.62.1 "अवसंरचना क्षेत्र" भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र है। अवसंरचना विकास हेतु काफी अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। भारत के योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि अवसंरचना, जिसकी व्यापक परिभाषा में सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन, विद्युत ऊर्जा, दूरसंचार, जल आपूर्ति और सिंचाई आदि शामिल हैं, में निवेश के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 14,50,000 करोड़ रुपए या 320 बिलियन अमेरिकी डालर की आवश्यकता होगी। भारत सरकार सार्वजनिक निवेश, सरकारी-निजी भागीदारी और कभी-कभी अनन्य रूप से निजी निवेश, जहां संभव हो, के संयोजन से अवसंरचना क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने के प्रयास कर

रही है। सरकार ने रिलायंस को अवसंरचना के क्षेत्र में निजी पूंजी के अंतर्वाह को संवर्धन प्रदान करने का कार्य सौंपा है। दीर्घकालिक ऋण, जोकि बाजार में उपलब्ध नहीं है, के लिए अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक विशेष प्रयोजनार्थ गठित की गई कंपनी भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की गई है, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो परियोजना लागत के 20% तक की राशि का 10 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराएगी। अतः रूसी पूंजी को भी पत्तनों और बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि के पुनर्निर्माण में प्रयोग में लाया जा सकता है।

5.62.2 भारत सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सुदृढ़ स्थिति में है। वर्ष 2003-03 में सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और सेवा के क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 2.4% थी तथा कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20% थी। वर्ष 2008 तक भारत इस आंकड़े को बढ़ाकर क्रमशः 7 और 35% करने की योजना बना रहा है। काफी अधिक संख्या में कम वेतन पर उपलब्ध उच्च योग्यताप्राप्त प्रोग्रामरों, मुक्त रूप से अंग्रेजी का ज्ञान तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के कारण भारत इस क्षेत्र में सफल हो रहा है। भारत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए "प्रमुख योजक" है। आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लगभग 855 मिलियन अमेरिकी डालर राशि का निवेश किया जाएगा। रूसी कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने में अपनी रुचि प्रदर्शित की है।

5.62.3 कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के अधिकांश क्षेत्रों में भारत में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। रूसी कंपनी रूस एग्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है।

5.62.4 भारत के ऊर्जा क्षेत्र को मुक्त बना दिए जाने से अब विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार में निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। प्रतिस्पर्धात्मक मार्ग के माध्यम से अनेक उत्पादन और पारेषण परियोजनाए विकसित की जा रही हैं, जिनमें रूसी कंपनियों भाग ले सकती हैं।

5.62.5 *ताप और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण* : भारत और रूस का इस क्षेत्र में सहयोग का पुराना इतिहास रहा है, उदाहरण के लिए रूसी कंपनी "पावर मशीन्स" भारत में 40 से भी अधिक वर्षों से कार्य कर रही है। रूसी पक्ष नई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में सहयोग और भागीदारी में वृद्धि करने के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं।

5.62.6 *विशेष आर्थिक ज़ोनों में निवेश* भी रूसी कंपनियों के लिए रुचि का क्षेत्र है। यह एक निःशुल्क क्षेत्र है जिसे व्यापार, शुल्क और कर संग्रहण के उद्देश्य से विदेशी प्रादेशिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ऐसे जोनों में कार्य कर रहे उद्यम विशेष कर व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। विशेष आर्थिक ज़ोन सूचना प्रौद्योगिकी, अन्य उच्च प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आधारित ऐसे क्षेत्र/उद्योग जो भारत-रूसी सहयोग (रसायन, धातुकर्म और अन्य क्षेत्रों में) हेतु महत्त्वपूर्ण हैं; हीरा प्रक्रमण और आभूषण उत्पादन; और अन्य क्षेत्रों में जुटी कंपनियों के लिए रुचि के क्षेत्र हो सकते हैं।

दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग में वृद्धि करने हेतु संस्थागत एवं कानूनी उपाय

5.63 संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि भारत और रूस के बीच निवेश सहयोग के स्तर में निम्नलिखित उपायों द्वारा वृद्धि की जा सकती हैः

i. दोनों देशों के प्राथमिकता वाले उद्योगों में बड़े आकार वाली संयुक्त निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रुपया ऋण के उपयोग को सुकर बनाना।

ii. जैव-प्रौद्योगिकियों और उच्च प्रौद्योगिकियों के लिए विशेष आयोगों की स्थापना करना। इस प्रकार की एजेंसियों को दोनों देशों की रुचि वाले उप-क्षेत्रों में पारस्परिक निवेश संबंधी बाधाओं पर विचार-विमर्श करने और उन्हें दूर करने की दृष्टि से स्थापित किया जा सकता है।

iii. समर्पित सूचना एजेंसियों को स्थापित करना तथा रूस और भारत में व्यावसायिक अवसरों से संबंधित सूचनाओं का नियमित रूप से प्रसार करना। यह ध्यातव्य है कि भारतीय और रूसी दोनों पक्षों द्वारा इस प्रकार की सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए अपने देशों में इन सूचनाओं के प्रकाशन हेतु उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

iv. आरंभिक चरणों में यह उपुयक्त होगा कि भारत और रूस दोनों देशों के संदर्भ में विदेशी बाजारों में सर्वाधिक सक्रिय उद्योगों और कंपनियों की पहचान की जाए और तत्पश्चात ऐसी कंपनियों के साथ कार्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस दिशा में प्राप्त की गई पहली सफलता अन्य अधिकांश उद्यमियों के लिए उदाहरण सिद्ध होगी।

v. निवेश के संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं (बैंक, बीमा संगठन, स्टॉक बाजार आदि सहित) के पास उपलब्ध अवसरों के संबंध में सूचना का प्रसार करना। यह सूचना सहायता के संबंध में एक अधिक महत्त्वपूर्ण विषय होगा।

vi. दोनों देशों की वित्तीय संस्थाओं के बीच सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर करना।

vii. भारत और रूस की क्षेत्रीय व्यावसायिक परिषदों की स्थापना करना, जिससे दोनों देशों में विभिन्न रूसी क्षेत्रों और भारतीय राज्यों की कंपनियों को व्यापार संबंधी अवसरों और संभावनाओं के बारे में उपयुक्त रूप में आकलन करने, तथा भागीदारों और उपुक्त व्यावसायिक तंत्रों को ज्ञात करने में सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार की व्यावसायिक परिषदें किसी विशेष उद्योग की कंपनियों को यह लाभ उपलब्ध करा सकती हैं, यदि केवल इसी प्रकार के उद्योग में पारस्परिक हित संबंद्ध हो। इस प्रकार की परिषद् का एक महत्त्वपूर्ण कार्य भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों में छोटे और मध्यम व्यवसायों को अतर्निहित करना हो सकता है और इससे दीर्घकालिक स्थायी संबंध भी विकसित हो सकते हैं।

अध्याय 6 अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग

6.1 भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंध इन दोनों देशों के बीच की अच्छी छवि और साझे हितों द्वारा प्रतिबंबित होता है। व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त, कुछ अन्य क्षेत्रों जैसेकि रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, संस्कृति आदि क्षेत्रों में व्यापक सहयोग हमारे सुदृढ़ संबंधों का आधार है। कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के संबंध में नीचे उल्लेख किया गया हैः

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

6.2 समेकित दीर्घकालिक सहयोग कार्यक्रम (आईएलटीपी) के अंतर्गत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चल रहा सहयोग भारत और रूस दोनों देशों के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ा सहयोगात्मक कार्यक्रम है। एसएआरएएस डुएट, अर्ध-चालक उत्पादों, सुपर कंप्यूटरों, पॉलिवैक्सीनों, लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भूकम्पविज्ञान, उच्च शुद्धता वाले पदार्थों, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी तथा आयुर्वेद की सहयोग हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। आईएलटीपी का समन्वयन भारतीय पक्ष से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तथा रूसी पक्ष से रूसी विज्ञान अकादमी और उद्योग एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी रूसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

6.3 विद्यमान अनुसंधान कार्यक्रमों में जैव-प्रौद्योगिकी, भवन सामग्रियों के संबंध में अनुसंधान, कृषि एवं मृदा विज्ञान में सहयोग, पशुओं को होने वाले रोगों और टीकाकरण के संबंध में अध्ययन, ट्रांसजेनिक जंतुओं का उत्पादन और जननद्रव्य का आदान-प्रदान, मौसमविज्ञान के क्षेत्र में आईएमडी और रोशिड्रोमेट के बीच सहयोग, जैव-सक्रिय समुद्री जीवों के क्षेत्र में सहयोग, गैस हाइड्रेटों और भू-अध्ययनों के क्षेत्र में सहयोग, गौस टेंडार्ट और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच सहयोग, भूकम्प अनुसंधान के लिए भारत-रूसी केंद्र के अंतर्गत भूकम्प-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, उच्च निष्पादन वाले संगणन के क्षेत्र में सहयोग, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और रूसी विज्ञान अकादमी के बीच सहयोग, चूर्ण धातुकर्म में सहयोग, मुखीय पोलियो टीकों के उत्पादन में सहयोग, आयुर्वेदिक अनुसंधान आदि से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

6.4 सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी तथा आयुर्वेद की पहचान भावी सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है। भावी अनुसंधान हेतु पर्याप्त संभावना वाले क्षेत्र हैं, जैसेकि इम्युनोमॉड्युलेटर्स तथा नई पीढ़ी के टीके, सूचना प्रौद्योगिकी उद्यानों में वाणिज्यिक आधार पर सहयोग, दूर-चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, साइबर फोंरेंसिक, नैनो प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल अनुसंधान, रोबोटिकी और साइबरनेटिक्स के क्षेत्र में सहयोग तथा अंतरिक्ष यान, भू-अवतरण प्रणालियों, अंतरिक्ष केंद्र निर्माण आदि सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास में सहयोग।

6.5 प्रयोगशाला स्तरीय परिणामों के वाणिज्यीकरण हेतु एक संयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है। तथापि, बहुत अधिक संभावनाओं का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु इनके वाणिज्यिक अभिमुखीकरण एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है ताकि निजी क्षेत्रों द्वारा इनमें भागीदारी की जा सके।

6.6 दोनों पक्ष बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करेंगे।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

6.7 आज की स्थिति के अनुसार, भारत रूस से तेल या गैस का आयात नहीं करता। रूस में विश्व का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है और यहां वर्ष 2005 में प्रतिदिन 9.2 मिलियन बैरल (एमबीपीडी) का उत्पादन किया जाता था। रूस सउदी अरब के बाद 5.15 एमबीपीडी का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। यहां विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार (47.57 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर) मौजूद है तथा यह इसका सबसे बड़ा उत्पादक (2005 में 587 बिलियन क्यूबिक मीटर या बीसीएम का उत्पादन किया जाता था) तथा निर्यातक (157 बीसीएम) देश था।

6.8 ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) का सखालिन-1 परियोजना में लगभग 2.7 बिलियन अमेरिकी डालर का निवेश रूसी तेल और गैस क्षेत्र में किसी भारतीय कंपनी का एकमात्र उल्लेखनीय निवेश है। इस क्षेत्र में गेल (जीएआईएल) के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें संयुक्त बोली लगाने तथा बंगाल की खाड़ी में एक ब्लॉक की खोज करने से संबंधित करार शामिल है, ओएनजीसी समूह और गैजप्रोम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर तथा ओएनजीसी और स्कॉटचिन्सकी इंस्टिट्यूट के बीच एक सहयोग संबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6.9 यह ध्यान देने योग्य बात है कि "सखालिन" के अपवाद को छोड़कर, भारत की उच्च ऊर्जा अपेक्षाओं को तेल और प्राकृतिक गैस के रूसी निर्यात के साथ संबंधित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय पक्ष ने यह सूचित किया कि भारत रूस से प्रतिदिन एक मिलियन बैरल तेल और ओईजी का आयात कर सकता है और साथ ही पूर्वी साइंबेरियाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करा सकता है। भारतीय पक्ष ने यह सुझाव दिया कि भारतीय पक्ष से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड तथा रूसी पक्ष से गैजप्रोम/रोजनेफ्ट द्वारा रूस में खोज एवं उत्पादन के लिए तथा ढुलाई (परिवहन) एवं भारत में अपने उत्पादन हेतु बाजार की खोज करने के उद्देश्य से एक समेकित संयुक्त उद्यम कंपनी गठित करने की संभावना पर विचार करें, जिस स्थिति में गैजप्रोम और रोजनेफ्ट भारत में सामग्रियों के निर्यात से संबंधित क्रियाकलापों में भी भाग ले सकते हैं। इसके फलस्वरूप रूसी ऊर्जा क्षेत्र में भारत की अतिरिक्त इक्विटी भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और/या आदान-प्रदान की व्यवस्था के माध्यम से एक दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जा सकता है जिसके द्वारा रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अपनी भूमिका प्राप्त कर सकता है। इसमें ऊर्जा के अपारंपरिक तथा वैकल्पिक स्रोत भी शामिल होंगे। इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित कंपनियों द्वारा किया जाए।

6.10 भारतीय पक्ष द्वारा यह सूचित किया गया कि रूस/भारत या अन्य देशों में विकासोन्मुख क्षेत्र में संयुक्त भागीदारी के लिए भारतीय तेल कंपनियां रूसी प्राकृतिक तेल कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती हैं।

6.11 गेल (जीएआईएल) और गैजप्रोम ने एक कार्यनीतिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं। वे बंगाल की खाड़ी में ब्लॉक-26 की तलाश करने और उसका विकास करने के लिए संयुक्त रूप से भी कार्य कर रहे हैं। इन दोनों कंपनियों ने ईरान-पाकस्तान-भारत (आईपीआई) पाइपलाइन और उत्तरी यूरोपीय

गैस पाइपलाइन (एनईजीपी) के लिए रुचि और सहभागिता भी प्रदर्शित की है। संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि इस दिशा में आवश्यक प्रयास में तेजी लाई जाए।

6.12 वर्धित भावी सहयोग के संभावित क्षेत्रों में रूस में नए क्षेत्रों की खोज और विकास, एलएनजी, परिष्करण तथा पेट्रो अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्रों में रूस में स्थित रूसी और भारतीय कंपनियों (निजी कंपनियों सहित), भारत और तीसरे देशों के बीच संयुक्त परियोजनाएं शामिल हैं।

6.13 कुडानकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जिसमें 2000 मेगा वाट की संयुक्त क्षमता से युक्त दो यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं, भारत-रूस नाभिकीय सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। रूसी पक्ष द्वारा इस क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया तथा भारत में चार और अन्य नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया।

6.14 दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने में रुचि प्रदर्शित की। भारतीय विद्युत अधिनियम के द्वारा भारत में ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक उदार एवं प्रतिस्पर्धी ढांचा स्थापित किया गया है। बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। रूसी कंपनियों के लिए परियोजना विकासकर्ता, उपस्कर आपूर्तिकर्ता या तकनीकी परामर्शदात्री सेवा प्रदाता के रूप में विद्युत क्षेत्र में भागीदारी करने की अच्छी संभावनाएं उपलब्ध हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग

6.15 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ व्यापक और दीर्घकालिक संबंध रहा है । दिसंबर, 2004 में राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान दो महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए (i) शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग से संबंधित इंटर-गवर्नमेंटल अम्ब्रेला एग्रीमेंट, और (ii) रूसी वैश्विक उपग्रह संचालन प्रणाली "ग्लोनास" में सहयोग के संबंध में इंटर-एजेंसी (रोसकॉसमॉस-इसरो) एग्रीमेंट। प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान 06 दिसंबर, 2005 को ग्लोनास परियोजना में सहयोग हेतु प्रौद्योगिकीय सुरक्षोपाय संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधान मंत्री श्री मिखाइल फ्रेडकोव के 16-17 मार्च, 2006 को भारत दौरे के दौरान ग्लोनास से संबंधित दो और अन्य अनुवर्ती करारों - (i) ग्लोनास-एम के भारतीय जीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपण, और (ii) ग्लोनास-के उपग्रहों के संयुक्त विकास पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति पुतिन के जनवरी, 2007 में भारत दौरे के दौरान ग्लोनास में सहयोग के संबंध में दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

धातुकर्म और खनन

6.16 धातुकर्म और खनन के क्षेत्रों में सहयोग हेतु दोनों देशों के उभरते बाजारों में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। वर्तमान में रेल रोडर सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया हेतु गणितीय मॉडल, ब्लास्ट फरनेस चार्ज प्रक्रम नियंत्रण, ताप यांत्रिक नियंत्रण, शीतलन प्रक्रमण, उच्च विभंग कठोरता के कोच पहियों के उत्पादन हेतु रोलिंग प्रौद्योगिकियों आदि के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं।

6.17 भारत में कोकिंग कोल की पर्याप्त मांग बनी हुई है, जिसमें रूस में अत्यधिक अवसर उपलब्ध हैं। टिटैनियम डाइऑक्साइड और टिटैनियम स्पंज का उत्पादन एक अन्य क्षेत्र है जिसमें रूसी कंपनियां

विश्व बाजार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत अयस्कों का एक अच्छा स्रोत है। इस क्षेत्र में संयुक्त कार्य करने की आवश्यकता है और कुछ संयुक्त उद्यम स्थापित भी किए गए हैं। कोल गैसीफिकेशन परियोजना तथा खनन सुरक्षा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे दोनों देशों को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

गुणवत्ता निरीक्षण तथा प्रमाणन संगठनों के मध्य सहयोग

6.18 संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए भारत और रूस की संबंधित संस्थाओं को मानकों तथा अनुरूपता प्रक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप समन्वित करने की दृष्टि से एक द्विपक्षीय वार्ता तंत्र स्थापित करना चाहिए और उपयुक्त उपाय आरंभ किए जाने चाहिए। दोनों पक्षों को मानकीकरण, प्रमाणन, विनियमन और योग्यता मूल्यांकन में सुधार लाने के लिए तथा साथ ही दोनों देशों के सरकारी विभागों, कार्यान्वयन संस्थाओं और पर्यवेक्षण प्राधिकरणों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए।

6.19 इस क्षेत्र में कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत और रूस के बीच अनुरूपता मूल्यांकन तथा समतुल्यता आदि के संबंध में एमआरए पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया जाना चाहिए। संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रयोजनार्थ दोनों पक्षों की संगत एजेंसियों के बीच अधिक तकनीकी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मानकीकरण, प्रमाणन और विनियमन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी एजेंसियों के बीच सूचना का भारत और रूस के बीच आदान-प्रदान करने की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग

6.20 भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग एवं सौहार्द्धपूर्ण संबंध का एक लंबा इतिहास रहा है। मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कज़ान और व्लाडिवोस्टोक में भारतीय विद्या से संबंधित 5 पीठ स्थापित किए गए हैं। नवंबर, 2003 में भारत में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में ''डेज ऑफ रसियन कल्चर'' का आयोजन किया गया। रूस में 25 सितंबर से 05 अक्तूबर, 2005 के दौरान ''डेज ऑफ इंडियन कल्चर'' नामक सांस्कृतिक सौहार्द कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत में अक्तूबर 2004 में निकोलाई रोएरिक का 130वां जन्म दिवस तथा स्वैतोस्लाब रोएरिक का 100वां जन्म दिवस समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्य मंत्री ने 28 मई-01 जून, 2006 के दौरान ''डेज ऑफ देहली इन मास्को'' नामक कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देश वर्ष 2008 में ''भारत में रूसी वर्ष'' और वर्ष 2009 में ''रूस में भारतीय वर्ष'' आयोजित करने पर सहमत हुए। सांस्कृतिक सहयोग के लिए स्थापित किए गए अंतरसरकारी तंत्र में एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी) शामिल है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

6.21 दोनों देशों में बनाई गई फिल्मों, एनीमेशन उत्पादों, बाल फिल्मों को वाणिज्यिक आधार पर संवर्धन प्रदान करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को रूसी स्टेट टेलीविजन चैनल्स एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी तथा भारतीय प्रसारण संगठनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध और संपर्क तथा समाचार एजेंसियों के बीच सहयोग में वृद्धि करने के लिए सहयोग स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

अध्याय 7 निष्कर्ष

7.1 भारत और रूस के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के विकास की संभावनाओं के मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि वास्तव में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों और निवेश सहयोग में विस्तार के विशाल अवसर उपलब्ध हैं। तथापि, हाल के वर्षों के दौरान इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रवाह का रुके रहना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के मार्ग में अत्यधिक बाधाओं की उपस्थिति का प्रमाण है। यदि इन बाधाओं को दूर कर लिया जाए तो जिन क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं, उनमें इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। दोनों पक्षों के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग संबंध स्थापित करना एक बहुमूल्य उपलब्धि सिद्ध होगी।

7.2 विशेष रूप से -

(i) दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक विशाल और विस्तृत हो रही अर्थव्यवस्था है।

(ii) द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्रों में बहुत अधिक संभावनाएं विद्यमान हैं, जिन्हें समेकित करने की आवश्यकता है।

7.3 ग्रैविटी मॉडल के आधार पर किए गए अनुमान से यह ज्ञात होता है कि दोनों देशों में आर्थिक विकास अपने आप वर्ष 2010 तक व्यापार प्रवाह को बढ़ाकर केवल 7 बिलियन अमेरिकी डालर तक ही कर सकता है। अतः वर्ष 2010 में 10 बिलियन अमेरिकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार टर्नओवर के लक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए दोनों देशों को मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए तथा व्यापारिक संबंधों को संवर्धन प्रदान करने के लिए विशेष उपाय लागू करने चाहिए।

7.4 इतने विशाल अवसरों को प्राप्त करने के लिए तथा 10 बिलियन अमेरिकी डालर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्षों का उल्लेख किया गया हैः

(i) वस्तु और सेवा व्यापार तथा निवेश में सुधार पर निगरानी रखने के लिए तीन वर्षों के लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया जाए।

(ii) वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतर्निहित मानक वस्तुओं और सौदों पर विचार करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए। इससे सेवा व्यापार के रेंज और अभिलक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी जो वर्तमान में प्राप्त कर पाना कठिन है।

(iii) उन क्षेत्रों में ध्यान दिया जाए, जिनमें निकट भविष्य में पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। सबसे पहले, औद्योगिक रूप से उन्नत प्रौद्योगिकीय उत्पादों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योगों के नवविकास के क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यापक क्षमता वाले अनेक अन्य मार्ग भी विद्यमान हैं, उदाहरण के लिए आभूषण तथा रत्न व्यापार जैसे क्षेत्र।

(iv) पहले से विकसित किए गए अनुसार संचार और व्यापार में सुधार लाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए (यहां उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एक विशिष्ट स्थान रखता है)।

(v) जिन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच पूर्व में पर्याप्त व्यापार हुआ है, वह और जिन क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए (इस संदर्भ में औषधि तथा औषधीय उत्पादों और उर्वरकों का उल्लेख करना सर्वाधिक उपयुक्त है)।

(vi) आर्थिक सहयोग के ऐसे क्षेत्रों को स्थापित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, जिनमें कुछ प्रशुल्क श्रेणियों में विशेष सीमाशुल्क अंतर्निहित हो ताकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस संदर्भ में उद्‌गम के नियमों के संबंध में सहमति विकसित करने के लिए विचार-विमर्श किए जाने चाहिए।

7.5 तथापि, इन उपायों से गंभीर प्रभाव उत्पन्न होंगे जिनसे व्यापार को 10 बिलियन अमेरिकी डालर के मानक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, किंतु ऐसा तभी संभव है यदि उद्यमीय दृष्टिकोण में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाए जाएं, जिनमें निम्नलिखित अनिवार्य रूप से शामिल हैं:

(i) यह आवश्यक है कि रूस भारत को व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए एक अत्यधिक लाभपूर्ण स्थल माने। भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण रूसी व्यवसायिकों को अनेक अवसर उपलब्ध कराता है।

(ii) यही बात रूसी परिसंघ के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण के विषय में कही जा सकती है।

(iii) रूसी परिसंघ में अनेक वस्तुओं के संबंध में "ब्रांड इंडिया" को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। परिवहन लागत के संदर्भ में भारतीय वस्तुएं लागत की दृष्टि से लाभकारी नहीं हो सकती। तथापि, भारतीय वस्तुएं चीनी, यूरोपीय और अमेरिकी उत्पादों की तुलना में अनेक प्रकार से लाभकारी हो सकती हैं क्योंकि भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता काफी हद तक बेहतर होती है।

(iv) भारत और रूस के बीच सेवा क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाओं के दृष्टिगत दोनों देशों की सरकारों को पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा सेवा व्यापार को संवर्धन प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। सेवा व्यापार के संबंध में किसी दृष्टिकोण के बिना अधिकांश अवसरों को एकल आर्डर उत्पादनकारी उद्यम माना जा सकता है जिसमें सीमित लाभ उत्पन्न होगा। इस प्रकार के व्यापार के उपयुक्त मूल्यांकन की दृष्टि से सेवा व्यापार संबंधी आंकड़ों में भी सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

(v) दोनों देशों के बीच निवेश की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए, दोनों देशों को एक-दूसरे के देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपायों को शुरू करना चाहिए।

(vi) विशिष्ट उद्योगों में अनेक विशिष्ट उपायों को लागू किया जाना चाहिए ताकि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जा सके तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश की बाधाओं को समाप्त किया जा सके।

व्यापक आर्थिक सहयोग करार

7.6 इस रिपोर्ट में उपलब्ध कराई गई सामग्री से यह ज्ञात होता है कि केवल मुक्त व्यापार करार किए जाने से एक सीमित लाभ ही प्राप्त होगा। तथापि, एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए), जिसके अंतर्गत वस्तुओं में मुक्त व्यापार करार (अर्थात एक निश्चित समय-सीमा के भीतर ऐसी वस्तुओं पर शून्य सीमाशुल्क आरोपित करना, जिनका काफी अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता हो और संवेदनशील वस्तुओं की अपेक्षाकृत छोटी ऋणात्मक सूची, जिनके लिए सीमाशुल्क संबंधी रियायतें या तो अत्यधिक सीमित या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हों), सेवा, निवेश और आर्थिक सहयोग के अभिज्ञात क्षेत्रों को शामिल किया गया हो, दोनों देशों के बीच एक औसत समय के दौरान या फिर दीर्घकाल में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रशुल्क समायोजन इस करार का एक महत्त्वपूर्ण घटक होग। तथापि, इन्हें निवेश सहयोग संबंधी करार और द्विपक्षीय सेवा व्यापार में वृद्धि करने के लिए सहयोग हेतु सुदृढ़ वचनबद्धता के साथ सुमेलित किया जाएगा।

7.7 अतः संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि संयुक्त अध्ययन दल की अन्य सिफारिशें के क्रियान्वयन के परिणाम के आधार पर भारत और रूस के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) किया जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

(क) सुनिश्चित उद्गम नियमों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार तथा निवेश के संबंध में करार तथा अनुरूपता मूल्यांकन और समतुल्यता के संबंध में पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए);

(ख) व्यापार तथा निवेश को सुकर बनाने और संवर्धन प्रदान करने के लिए तथा द्विपक्षीय व्यापार की गैर-प्रशुल्क बाधाओं (एनटीबी) को समाप्त करने के लिए अभिज्ञात समझ;

(ग) अभिज्ञात क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के संवर्धन हेतु उपाय और करार।

सिफारिशें

7.8 संयुक्त अध्ययन दल यह सिफारिश करता है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा तथा निवेश प्रवाह में वृद्धि करने के लिए अनौपचारिक तथा तकनीकी बाधाओं को समाप्त करने की दृष्टि से व्यापार प्रवाह में वृद्धि करने हेतु संस्तुत उपायों का क्रियान्वयन किया जाए। इन सिफारिशों को इस रिपोर्ट के अध्याय 2 से लेकर अध्याय 6 में अभिज्ञात उपायों के शीघ्र क्रियान्वयन द्वारा भारतीय और रूसी दोनों सरकारों द्वारा शीघ्र क्रियान्वित किया जाए ताकि एक सहमत समय-सीमा के भीतर द्विपक्षीय व्यापार की बाधाओं को समाप्त किया जा सके और आर्थिक संबंधों को और अधिक विस्तार प्रदान किया जा सके। संयुक्त अध्ययन दल द्वारा यह भी सिफारिश की जाती है कि दोनों पक्षों की

सरकारों को संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट के बारे में तथा संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक संयुक्त कार्यबल गठित करने के लिए तथा भारत और रूस के बीच ''व्यापक आर्थिक सहयोग करार(सीईसीए)'' पर हस्ताक्षर करने की संभावना पर विचार करने के लिए कहा जाए। व्यापक आर्थिक सहयोग करार(सीईसीए) की शर्तों को इस रिपोर्ट की सिफारिशें के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों तथा विश्व व्यापार संगठन में रूस की सदस्यता पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाए।

.....